

**भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक  
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन  
31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**

**बिहार सरकार**  
**वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या—04**



# विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रावक्थन		v
कार्यकारी सारांश		vii
<b>अध्याय—I अवलोकन</b>		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	1.2	3
प्रतिवेदन संरचना	1.3	3
सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाएँ	1.4	4
राजकोषीय संतुलन— घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.5	8
लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा	1.6	10
<b>अध्याय-II राज्य का वित्त</b>		
2018–19 की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संग्रह में प्रमुख परिवर्तन	2.1	11
निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	2.2	11
राज्य के वित्तीय संसाधन	2.3	13
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	23
लोक लेखा	2.5	35
ऋण प्रबंधन	2.6	39
ऋण स्थिरता विश्लेषण (डीएसए)	2.7	43
निष्कर्ष और अनुशंसा	2.8	48
<b>अध्याय-III वित्तीय प्रबंधन</b>		
प्रस्तावना	3.1	49
विनियोग लेखे	3.2	51
बजटीय सम्पूर्णता और लेखा प्रक्रिया पर टिप्पणियाँ	3.3	51
बजट प्रावधान और अपेक्षा एवं वास्तविकी के बीच का अंतर	3.4	58
चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.5	64
अनुदान संख्या—16 “पंचायती राज विभाग”	3.5.1	65
अनुदान संख्या—51 “समाज कल्याण विभाग”	3.5.2	66
अनुशंसा	3.6	69
<b>अध्याय-IV लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार</b>		
राज्य के समेकित निधि एवं लोक लेखा से बाहर की निधि	4.1	71
वित्तीय वर्ष के दौरान स्पष्ट देनदारियों का समावेश नहीं किया जाना	4.2	73
ब्याज संग्रही जमा राशियों पर ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना	4.3	73

# विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे निधि का हस्तांतरण	4.4	74
स्थानीय जमा निधि	4.5	75
उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति में विलंब	4.6	76
सार आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र	4.7	78
व्यक्तिगत जमा (पी०डी०) खाता	4.8	79
व्यक्तिगत बही (पी०एल०) खाता	4.9	81
लघु शीर्ष 800 का अनुचित प्रयोग	4.10	81
मुख्य उचंत और ऋण, जमा और प्रेषण (डी०डी०आर०) शीर्ष के अंतर्गत लंबित शेष	4.11	83
विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन	4.12	84
नकद शेष का समाशोधन	4.13	86
लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.14	86
स्वायत्त निकायों की लेखा/पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण	4.15	87
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम/निगम/कम्पनियाँ	4.16	88
लेखाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता	4.17	89
गबन, हानि, चोरी, इत्यादि	4.18	89
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्वाई	4.19	89
निष्कर्ष	4.20	90
अनुशंसाएँ	4.21	90

## परिशिष्ट

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	राज्य का परिचय	1.1	93
2.1	राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े	2.1	94
3.1	अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए	3.3.3	97
3.2	निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन	3.3.4	99
3.3	निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन जहाँ अंतिम बचत ₹ 50 लाख से अधिक थे	3.3.4	103
3.4	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर पुनर्विनियोजन के मामले	3.3.4	104
3.5	मूल प्रावधान में से ₹ 100 करोड़ एवं अधिक बचत वाले अनुदान/ विनियोग	3.3.5	106

## विषय सूची

संख्या	विवरण	परिशिष्ट	
		कंडिका	संदर्भ पृष्ठ
3.6	कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत एवं अधिक बचत प्रदर्शित करने वाले अनुदान / विनियोग	3.3.5	109
3.7	2015–16 से 2019–20 के दौरान लगातार बचत (100 करोड़ और अधिक) को प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची	3.3.5	111
3.8	निधियों का शत् प्रतिशत अनुपयोग (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक)	3.4	113
3.9	मार्च 2020 में सघन व्यय	3.4.4	116
3.10	मार्च 2020 में किए गए शत् प्रतिशत व्यय	3.4.4	117
3.11	गैर आकस्मिक व्यय के लिए आकस्मिकता निधि से निकासी	3.4.5	118
3.12	अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान संख्या–16)	3.5.1	120
3.13	सघन व्यय (अनुदान संख्या–16)	3.5.1	121
3.14	व्यय के अँकड़े का असमाशोधन (अनुदान संख्या–16)	3.5.1	122
3.15	लंबित सार आकस्मिक विपत्र (अनुदान संख्या–16)	3.5.1	124
3.16	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (अनुदान संख्या–16)	3.5.1	125
3.17	अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान संख्या–51)	3.5.2	126
3.18	वार्षिक योजना 2019–20 की स्वीकृति, व्यय एवं समर्पण (अनुदान संख्या–51)	3.5.2	127
3.19	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (अनुदान संख्या–51)	3.5.2	130
3.20	लंबित सार आकस्मिक विपत्रों की स्थिति (अनुदान संख्या–51)	3.5.2	131
4.1	अपूर्ण परियोजनाओं पर लंबित भुगतान	4.2	132
4.2	लघु शीर्ष 800– “अन्य व्यय” का परिचालन	4.10	137
4.3	लघु शीर्ष 800– “अन्य प्राप्तियाँ” का परिचालन	4.10	138
4.4	निकायों या प्राधिकरणों की सूची, जिन्हांने ₹१०००० रुपये को लेखाओं की लेखापरीक्षा नहीं सौंपी है	4.15	139
4.5	30/09/2020 को सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के बकाए लेखे, बिहार सरकार	4.16	140
4.6	उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को वित्तीय सहायता जिनके लेखे 2019–20 तक बकाया हैं	4.16	143
4.7	घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की सूची	4.16	145
	संकेताक्षरों की शब्दावली		147



# प्राक्कथन

बिहार राज्य के वित्त पर इस प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का आकलन करने एवं राज्य विधायिका को वित्तीय आँकड़ों पर आधारित लेखापरीक्षा विश्लेषण के आगत को उपलब्ध कराने का प्रयोजन रखता है। यह प्रतिवेदन बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016, XIV वित्त आयोग प्रतिवेदन (एफ०सी०), सरकारी कार्यों के प्रबंधन हेतु नियमों एवं संहिताओं तथा बजट अनुमान 2019–20 द्वारा उल्लिखित लक्ष्यों के विरुद्ध वित्तीय प्रदर्शन का भी विश्लेषण करता है। प्रतिवेदन चार अध्यायों में संरचित है।

**अध्याय I** वित्त लेखों की लेखापरीक्षा और बिहार सरकार की राजकोषीय स्थिति (31 मार्च 2020) के आकलन के आधार पर प्रमुख राजकोषीय संग्रहों में परिवर्तन का विश्लेषण करता है।

**अध्याय II** सरकार के घाटे के प्रबंधन, राजस्व और पूँजीगत व्यय में रुझान, आकस्मिक मुद्दों, प्रतिबद्ध और अनिवार्य व्यय, सब्सिडी, ऋण, निवेश और उधार पैटर्न में गहन जानकारी प्रदान करता है। यह वर्ष 2019–20 के लिए बिहार सरकार के वित्त का लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है और पिछले वर्षों से संबंधित राज्य के वित्त लेखों में निहित विवरण और वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2020 तक की स्थिति के आकलन के आधार पर प्रमुख राजकोषीय संग्रह में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

**अध्याय III** बजटीय नियंत्रण, व्यय पर नियंत्रण और इसके लेखांकन की जाँच करता है। यह विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन के ढंग का वर्णन करता है।


**अध्याय IV** चालू वर्ष के दौरान लेखाओं की गुणवत्ता और निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं, निर्देशों का वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार में राज्य सरकार के लेखाओं की गुणवत्ता और अनुपालन का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा सांविधिक नियमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा अवलोकन को शामिल करने वाले प्रतिवेदन एवं राजस्व प्राप्तियों पर अवलोकन को समाहित करने वाले प्रतिवेदन को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।



## कार्यकारी सारांश



# कार्यकारी सारांश

मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के लेखाओं की लेखापरीक्षा के आधार पर यह प्रतिवेदन, राज्य सरकार के वित्त की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### राजकोषीय स्थिति

राज्य ने वर्ष के दौरान ₹ 14,724 करोड़ का राजकोषीय घाटा दर्ज किया जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 917 करोड़ बढ़ गया है। वर्ष 2019–20 के दौरान, राज्य को 2008–09 से अबतक पहली बार राजस्व घाटा के रूप में ₹ 1,784 करोड़ का सामना करना पड़ा। पूँजीगत शीर्ष के तहत राजस्व लेनदेन के गलत वर्गीकरण और अन्य देनदारियों के गैर-लेखांकन के उदाहरण थे, जो घाटे को और अधिक बढ़ा देते, जैसा कि प्रतिवेदन में बताया गया है।

यद्यपि जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा पिछले दो वर्षों से संशोधित बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के लक्ष्यों के भीतर था, तथापि, जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष बकाया ऋण बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के लक्ष्य के भीतर नहीं था।

(अध्याय I)

### राज्य का वित्त

राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹ 7,561 करोड़ (5.74 प्रतिशत) की कमी देखी गई जो मुख्य रूप से भारत सरकार से कर अंतरण और करेतर राजस्व में कमी के कारण थी।

राजस्व व्यय में ₹ 1,120 करोड़ (0.90 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो मुख्य रूप से वर्ष के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि के कारण हुई। साथ ही, राज्य सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में संपत्ति निर्माण पर व्यय 41.57 प्रतिशत कम किया।

वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया लोक ऋण पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ₹ 22,035 करोड़ (17.47 प्रतिशत) बढ़ गया है।

राज्य की देनदारियाँ साल-दर-साल बढ़ रही हैं और वर्ष 2019–20 के दौरान उधार राशि का 74 प्रतिशत से अधिक का उपयोग ऋण पुनर्भुगतान में किया गया, जिससे राज्य में संपत्ति निर्माण प्रभावित हुआ।

(अध्याय II)

### बजटीय प्रबंधन

वर्ष के दौरान ₹ 78,845.26 करोड़ की कुल बचत में से केवल 21.20 प्रतिशत (₹ 16,713.67 करोड़) अभ्यर्पित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 62,131.59 करोड़ (कुल बचत का 78.80 प्रतिशत) की बचत का अभ्यर्पण नहीं हुआ।

2019–20 के दौरान, 51 मामलों में, ₹ 21,084.50 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए और अप्रयुक्त रहे क्योंकि व्यय (₹ 1,14,219.75 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 1,62,210.48 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुँच सका था।

(अध्याय III)

## लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संब्यवहार

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर, बिहार जिला खनिज प्रतिष्ठान एवं पंजीयन कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु जिला सोसायटी में किये गये अंशदान को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में रखा गया। इसी तरह रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा संग्रहित निधियों को भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में रखा गया। इससे संविधान के अनुच्छेद 266 का उल्लंघन हुआ है क्योंकि राशि को राज्य की समेकित निधि या लोक खाते से बाहर रखा गया।

158 पी0डी0 खातों में मार्च 2020 तक ₹ 3,312.94 करोड़ के समापन शेष थे। इस वर्ष के दौरान ₹ 552.13 करोड़ की राशि का इन खातों में अंतरण दर्शाया गया है। बजटीय प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत जमा खातों के उपयोग को कम करना अनिवार्य है।

इसके अलावा, व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी0एफ0एम0एस0) और वित्त लेखों के अनुसार पी0डी0 खातों की संख्या और इनमें पड़ी राशि में अंतर था, जो मुख्य रूप से सरकार द्वारा पुरानी संरचना से नई संरचना में शेष राशि को स्थानांतरित करने के कारण था। इसके लिए समाधान की आवश्यकता है, क्योंकि सी0एफ0एम0एस0 और वित्त लेखों की शेष राशि के बीच महत्वपूर्ण अंतर पाया गया।

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार, उपयोगिता प्रमाण पत्र ₹ 79,690.92 करोड़ की राशि के बकाया थे जो निधियों के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है।

यह देखा गया है कि मार्च 2020 तक कुल ₹ 9,155.44 करोड़ की राशि के 20,642 ए0सी0 विपत्रों का समायोजन नहीं किया गया था। इनमें से ₹ 644.13 करोड़ की राशि के 1383 ए0सी0 विपत्र (कुल आहरित ए0सी0 विपत्रों का 15.22 प्रतिशत) केवल मार्च 2020 में आहरित किए गए थे। सार आकस्मिक बिलों के आहरण के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत न करने से अपव्यय और दुरुपयोग की संभावना बढ़ गई है।


102—उचंत लेखा—सिविल के अंतर्गत राशि पिछले वर्ष 2018–19 के (निवल जमा ₹ 3,956.07 करोड़) की तुलना में 2019–20 में (निवल जमा ₹ 9,857.46 करोड़) उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

लघु शीर्ष 800 — अन्य व्यय के अविवेकपूर्ण संचालन ने वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता को प्रभावित किया और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के समुचित विश्लेषण को अस्पष्ट कर दिया। वर्ष 2019–20 के दौरान, ₹ 1,38,320.56 करोड़ के कुल व्यय में से लघु शीर्ष '800' के माध्यम से ₹ 640.26 करोड़ का व्यय किया गया। कुल राजस्व प्राप्ति ₹ 1,24,232.53 करोड़ में से ₹ 948.22 करोड़ (0.76 प्रतिशत) की प्राप्ति लघु शीर्ष '800' के माध्यम से दर्ज की गई थी।

(अध्याय IV)

## **अध्याय—I**

### **अवलोकन**



यह अध्याय वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित प्रमुख राजकोषीय संग्रह में परिवर्तन का विश्लेषण एवं 31 मार्च 2020 को बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का आकलन करता है।

### 1.1 राज्य की रूपरेखा

बिहार एक भूमि से घिरा राज्य है, जो पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखण्ड और उत्तर में नेपाल के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है। यह भौगोलिक आकार (94,163 वर्ग किमी) के मामले में भारत का बारहवाँ सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या (12,23 करोड़) की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य में 38 ज़िले हैं।

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है और राज्य के पास कोई महत्वपूर्ण खनिज संपदा नहीं है। जैसा कि परिशिष्ट 1.1 में दर्शाया गया है, जनसंख्या का घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. (वर्ष 2001) से बढ़ कर (वर्ष 2011) में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हो गया है। अखिल भारतीय औसत की तुलना में बिहार में गरीबी का स्तर अधिक है। हालांकि, राज्य ने 2011–12 से 2019–20 की अवधि के दौरान आर्थिक विकास में मामूली वृद्धि दिखाई है क्योंकि इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) सामान्य श्रेणी के राज्यों के 11.98 प्रतिशत की तुलना में 12.00 प्रतिशत रही है। राज्य की प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. 2019–20 के अंत में ₹ 50,735 था, जबकि झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. क्रमशः ₹ 87,127, ₹ 78,827, ₹ 1,21,382 और ₹ 1,26,121 थी।

#### 1.1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)<sup>1</sup>

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) एक निश्चित अवधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जी.एस.डी.पी. की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक अवधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

अर्थव्यवस्था के बदलते ढाँचे को समझने के लिए जी.एस.डी.पी. में क्षेत्रीय योगदान में बदलाव भी महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं।


**तालिका 1.1: राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में जी.एस.डी.पी. में प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)**

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
भारत सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रेणी)	1,37,71,874	1,53,91,669	1,70,98,304	1,89,71,237	2,03,39,849
पिछले वर्ष की तुलना में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.46	11.76	11.09	10.95	7.21
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रेणी)	3,71,602	4,21,051	4,68,746	5,30,363	6,11,804
पिछले वर्ष की तुलना में जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	8.35	13.31	11.33	13.15	15.36

(आँकड़े का स्रोत: एम.ओ.एस.पी.आई. प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.07.2020)

<sup>1</sup> जी.डी.पी. और जी.एस.डी.पी. क्रमशः देश एवं राज्य के भीतर उत्पादित सभी आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का एक निश्चित अवधि में बाजार मूल्य है तथा देश और राज्य के अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।


चार्ट 1.1: जी.एस.डी.पी. में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन (2015–16 और 2019–20)



(आँकड़े का स्रोत: वर्ष 2020–21 का आर्थिक सर्वेक्षण)

राज्य के जी.एस.डी.पी. में आधे से अधिक का योगदान करने वाले तृतीयक क्षेत्र ने 2015–16 की तुलना में 2019–20 के दौरान अपने सापेक्ष हिस्से में 1.05 प्रतिशत की कमी आई है। 2015–16 की तुलना में 2019–20 के दौरान प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी में क्रमशः 0.93 और 0.84 प्रतिशत की कमी आई। चार्ट 1.2 2015–16 से 2019–20 की अवधि के लिए जी.एस.डी.पी. में क्षेत्रगत वृद्धि को दर्शाता है।

चार्ट 1.2: जी.एस.डी.पी. में क्षेत्रगत वृद्धि



(आँकड़े का स्रोत: वर्ष 2020–21 का आर्थिक सर्वेक्षण)

खनन और उत्खनन, पशुधन, वानिकी और सिल्ली निर्माण में वृद्धि के कारण वर्ष 2019–20 में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि 2018–19 की तुलना में 5.60 प्रतिशत से बढ़कर 15.40 प्रतिशत हो गई थी। पिछले वर्ष की तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की वृद्धि दर में कमी आई है।

## 1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) की किसी राज्य के खातों से संबंधित प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जानी है, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए प्रेरित करेगा। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.एफ.ए.आर.) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के तहत तैयार और प्रस्तुत की जाती है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य के नियंत्रणाधीन कोषागारों, कार्यालयों एवं विभागों द्वारा प्रदान किये गये वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक एवं सहायक लेखों तथा रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से प्रतिवर्ष राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करता है। इन खातों की स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है और इसे नि.म.ले.प. द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के मुख्य आँकड़े हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य का बजट अनुमानों के साथ—साथ राजकोषीय मानकों और आवंटन प्राथमिकताओं का आकलन करने के लिए, साथ ही साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए;
- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषागारों के पास अन्य आँकड़े (लेखा के साथ—साथ एम.आई.एस.);
- जी.एस.डी.पी. आँकड़े और राज्य से संबंधित अन्य आँकड़े; तथा
- भारत के नि.म.ले.प. की विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम तथा भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशानिर्देशों के आलोक में भी यह विश्लेषण किया गया है।

## 1.3 प्रतिवेदन संरचना

राज्य के वित्त प्रतिवेदन को निम्नलिखित चार अध्यायों में संरचित किया गया है:

<b>अध्याय-I</b>	<b>अवलोकन</b> यह अध्याय प्रतिवेदन और अंतर्निहित आँकड़ों के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के मैक्रो—वित्तीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है।
<b>अध्याय-II</b>	<b>राज्य के वित्त</b> यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2015–16 से 2019–20 की अवधि के दौरान समग्र रुझान, राज्य का ऋण प्रोफाइल और प्रमुख लोक लेखा राज्य के वित्त लेखों के आधार पर लोक लेखा का विश्लेषण करता है।

अध्याय-III	<b>बजटीय प्रबंधन</b> यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार के विनियोग और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदन करता है।
अध्याय-IV	<b>लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार</b> यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

#### 1.4 सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाएं

राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है:

##### 1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस कोष में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, आदि), तरीके शामिल हैं। इसका अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अग्रिम और राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त सभी धन शामिल हैं। इस निधि से कानून के अनुसार और उद्देश्यों के लिए और भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए तरीके के अलावा किसी भी धन को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण चुकौती आदि), राज्य की समेकित निधि (प्रभारित व्यय) पर एक प्रभार का गठन करती है और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होती है। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है।

##### 2. राज्य की आकस्मिकता निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल कानून द्वारा स्थापित किया गया है, और राज्य विधानमंडल द्वारा इस तरह के व्यय के प्राधिकरण के लंबित अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिमों को सक्षम करने के लिए राज्यपाल के निपटान में रखा जाता है। राज्य की संचित निधि से संबंधित कार्यात्मक प्रमुख शीर्ष पर व्यय को नामे करके निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

##### 3. राज्य के लोक लेखा (संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जहाँ सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखे में जमा किया जाता है। लोक खाते में चुकौती योग्य जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित और ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित और ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (दोनों अस्थायी शीर्ष हैं, अंतिम बुकिंग लंबित हैं) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध नकद शेष भी लोक लेखा में शामिल है। लोक लेखा विधानमंडल के मत के अधीन नहीं है।

भारत में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना एक संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202)।

यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अलावा, बजट में से राजस्व लेखे पर व्यय को अलग करना चाहिए।

**राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, गैर—कर राजस्व, संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा और भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो) के लिए किए गए खर्चों से संबंधित होते हैं।

**पूँजीगत प्राप्तियों** में शामिल हैं:


- ऋण प्राप्तियाँ:** बाजार ऋण, बॉड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम के तहत शुद्ध लेनदेन, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम, आदि;
- गैर—ऋण प्राप्तियाँ:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों और अग्रिमों की वसूली;

पूँजीगत व्यय में भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश, और सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य पार्टियों को ऋण और अग्रिम के अधिग्रहण पर व्यय शामिल होते हैं।

वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	लेन—देन का गुण	वर्गीकरण
सी.जी.ए द्वारा मुख्य व लघु शीर्ष सूची में मानकीकृत	कार्य—शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि / विभाग	अनुदान के तहत मुख्य शीर्ष (4—अंकीय)
	उप कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2—अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3—अंकीय)
राज्यों के लिए छोड़ा गया लचीलापन	योजना	उप—शीर्ष (2—अंकीय)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2—अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति / गतिविधि	विषय शीर्ष—वेतन, लघु कार्य, आदि (2—अंकीय)

कार्यात्मक वर्गीकरण के द्वारा विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय की वस्तु को समझा जाता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूँजी, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4—अंकीय मुख्य शीर्षों के पहले अंक में एम्बेडेड नंबरिंग तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए है, 2 और 3 राजस्व व्यय आदि के लिए है। आर्थिक वर्गीकरण भी कुछ विषय शीर्षों की एक अंतर्निहित परिभाषा और वितरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, आम तौर पर "वेतन" विषय शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" विषय शीर्ष पूँजीगत व्यय है। विषय शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।



### बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के समक्ष वर्ष 2019–20 के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में रखा जाना है। अनुच्छेद 203 के अनुसार, विवरण राज्य विधानमंडल को अनुदान मांगों/विनियोगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इनकी स्वीकृति के बाद, विनियोग विधेयक को विधानमंडल द्वारा अनुच्छेद 204 के तहत आवश्यक धन के विनियोग का समेकित निधि से प्रावधान करने के लिए पारित किया जाता है।

राज्य बजट मैनुअल, बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमान तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों की निगरानी में मार्गदर्शन करता है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन का परिणाम इस प्रतिवेदन के अध्याय III में विस्तृत है।

#### 1.4.1 संक्षिप्त वित्तीय परिदृश्य

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2019–20 के बजट अनुमानों के साथ—साथ वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है।

**तालिका 1.2: वित्तीय वर्ष 2019–20 के वास्तविक वित्तीय परिणाम की तुलना बजट अनुमान एवं वर्ष 2018–19 के वास्तविक के साथ**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (बजट अनुमान)	2019-20 (वास्तविक)	बजट अनुमान से वास्तविक की प्रतिशतता	जी.एस.डी.पी. से वास्तविक की प्रतिशतता
1.	कर राजस्व	29,408.14	33,800.00	30,157.98	89.22	4.93
2.	करेतर राजस्व	4,130.56	4,806.47	3,699.60	76.97	0.60
3.	संघीय कर/शुल्कों का अंश	73,603.13	89,121.79	63,406.33	71.15	10.36
4.	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	24,651.62	49,019.38	26,968.62	55.02	4.41
5.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,31,793.45	1,76,747.64	1,24,232.53	70.29	20.31

क्र. सं.	घटक	2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (बजट अनुमान)	2019-20 (वास्तविक)	बजट अनुमान से वास्तविक की प्रतिशतता	जी.एस.डी.पी. से वास्तविक की प्रतिशतता
6.	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	1,825.40	416.38	30.40	7.30	0.00
7.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	उधारी एवं अन्य दायित्व	18,668.20	24,420.74	29,145.03	119.35	4.76
9.	पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	20,493.60	24,837.12	29,175.43	117.47	4.77
10.	कुल प्राप्तियाँ (5+9)	1,52,287.05	2,01,584.76	1,53,407.96	76.10	25.07
11.	राजस्व व्यय	1,24,896.81	1,55,230.65	1,26,016.66	81.18	20.60
12.	ब्याज भुगतान	10,071.14	10,723.47	10,991.42	102.50	1.80
13.	पूँजीगत व्यय	21,058.25	36,592.62	12,303.90	33.62	2.01
14.	ऋणों एवं अग्रिमों	1,470.56	75.50	666.30	882.52	0.11
15.	कुल व्यय (11+13+14)	1,47,425.62	1,91,898.77	1,38,986.86	72.43	22.72
16.	राजस्व आधिक्य (5-11)	6,896.64	21,516.99	(-1),784.13	(-)8.29	(-)0.29
17.	राजकोषीय घाटा {15-(5+6+7)}	13,806.77	16,101.05	14,723.93	91.45	2.41
18.	प्राथमिक घाटा (17-12)	3,735.63	5,377.58	3,732.51	69.41	0.61

(आँकड़े का स्रोत: वर्ष 2019–20 के लिए राज्य के वित्त लेखे)

(क) संघीय करों से प्राप्त राज्यांश सहित

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में 5.74 प्रतिशत की गिरावट आई है। पूँजीगत प्राप्तियों में 42.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पूँजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 41.57 प्रतिशत की कमी आई। मुख्य रूप से निगम कर के अंतर्गत प्राप्तियों में ₹ 3,977.90 करोड़ और निगम कर के अलावा अन्य आय पर करों में ₹ 1,911.09 करोड़ की कमी के कारण संघ करों के हिस्से में ₹ 10,196.80 करोड़ की कमी आई है। राज्य सरकार के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 5.72 प्रतिशत की गिरावट आई है।

#### 1.4.2 सरकार की परिसंपत्तियाँ और देनदारियों का छायाचित्र

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देनदारियों और किए गए व्यय से बनाई गई संपत्ति को समाहित करते हैं। देनदारियों में मुख्य रूप से आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, सार्वजनिक खाते और आरक्षित निधि से प्राप्तियाँ शामिल हैं, और संपत्ति में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम और नकद शेष शामिल हैं।

#### तालिका 1.3 परिसंपत्तियाँ और देनदारियों की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएँ				परिसंपत्तियाँ			
	2018-19	2019-20	प्रतिशत में वृद्धि		2018-19	2019-20	प्रतिशत में वृद्धि
समेकित निधि							
अ	आंतरिक ऋण	1,14,359.69	1,36,082.09	18.99	अ	सकल पूँजीगत परिव्यय	2,05,175.42
ब	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	11,785.37	12,098.16	2.65	ब	ऋण एवं अग्रिम	20,814.33
आकस्मिकता निधि		350	350				0
लोक लेखा							
अ	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	9,088.69	9,279.09	2.10	अ	अग्रिम	249.96
							249.96
							0.00

देयताएँ				परिसंपत्तियाँ			
	2018-19	2019-20	प्रतिशत में वृद्धि		2018-19	2019-20	प्रतिशत में वृद्धि
ब जमा	33,661.25	35,373.24	5.09	ब प्रेषण	1,120.36	1,916.87	71.09
स आरक्षित निधि	4,921.55	6,289.49	27.79	स उचंत तथा विविध	4,724.71	10,498.30	122.20
द उचंत तथा विविध शेष	0.00	63.85		रोकड़ शेष (उद्दिष्ट निधियों का निवेश)	20,837.31	24,912.65	
इ अंतर्राज्यीय समाशोधन	74.01	74.01					
फ सरकारी लेखा पर अधिकाई	78,681.53	76,897.40					
कुल	2,52,922.09	2,76,507.33	9.33	कुल	2,52,922.09	2,76,507.33	9.33

(आँकड़े का स्रोत: वर्ष 2019–20 के लिए राज्य के वित्त लेखे )

## 1.5 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

बिहार सरकार ने बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बी.एफ.आर.बी.एम) तथा संशोधित अधिनियम, 2016 पारित किया है, जिसका उद्देश्य मध्यम अवधि की रूपरेखा में राजस्व घाटे को समाप्त करने, राजकोषीय घाटे और समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करके, बेहतर ऋण प्रबंधन की स्थापना और पारदर्शिता में सुधार करके राजकोषीय प्रबंधन में विवेक सुनिश्चित करना है। इस संदर्भ में, अधिनियम घाटे के उपायों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले परिणामात्मक लक्ष्य प्रदान करता है।

तालिका 1.4: बी.एफ.आर.बी.एम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदंड	नियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि (₹ करोड़ में)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	राजस्व आधिक्य	12,507.16	10,819.81	14,823.01	6,896.64	(-) 1,784.13
		✓	✓	✓	✓	✗
राजकोषीय घाटा (-) / आधिक्य (+) (जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशतता के रूप में)	3.00 प्रतिशत	(-)12,061.59 (3.25)	(-)16,479.15 (3.91)	(-)14,304.83 (3.05)	(-)13,806.76 (2.60)	(-)14,723.93 (2.41)
		✗	✗	✗	✓	✓
कुल लंबित ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात (प्रतिशत में)	25.73 प्रतिशत	31.37	32.95	33.45	31.85	31.61
		✗	✗	✗	✗	✗

(आँकड़े का स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा बी.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम)

तालिका 1.5: 2019–20 के लिए एम.टी.एफ.पी.<sup>2</sup> में प्रस्तावित अनुमान की तुलना में वास्तविक (₹ करोड़ में)


क्र. सं.	राजकोषीय	एम.टी.एफ.पी. में अनुमानित	वास्तविक (2019–20)	अंतर (प्रतिशत में)
1	कर राजस्व	33,800.00	30,157.98	(-)10.78
2	करेतर राजस्व	4,806.47	3,699.60	(-)23.03
3	केन्द्रीय कर का अंश/हिस्सा	89,121.79	63,406.33	(-)28.85
4	सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	49,019.38*	26,968.62	(-)44.98
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,76,747.64	1,24,232.53	(-)29.71
6	राजस्व व्यय	1,55,230.65	1,26,016.66	(-)18.82
7	राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+) (5-6)	21,516.99	(-) 1,784.13	(-)108.29
8	राजकोषीय घाटा (-) / आधिक्य (+)	(-)16,101.05	(-)14,723.93	8.55
9	ऋण—जी0एस0डी0पी0 अनुपात (प्रतिशत)	25.73	31.61	22.85
10	चालू मूल्यों पर जी0एस0डी0पी0 वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.56	15.36	45.45

\* बिहार सरकार के बजट अनुमान के अनुसार

(आँकड़े का स्रोत: वर्ष 2019–20 के लिए वित्त लेखे एवं बी.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम)


<sup>2</sup> एम.टी.एफ.पी.— मध्यावधि राजकोषीय नीति

चार्ट 1.3: घाटे के मानकों में प्रवृत्ति




(आँकड़े का स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.4: जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष आयुक्ति/घाटे में प्रवृत्ति



(आँकड़े का स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.5: राजकोषीय देनदारियों और जी.एस.डी.पी. की प्रवृत्ति



(आँकड़े का स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

## 1.6 लेखापरीक्षा में जाँच के बाद घाटा

राज्य के वित्त की बेहतर तस्वीर पेश करने के लिए, राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत करने की प्रवृत्ति है।

### 1.6.1 लेखापरीक्षा के बाद – घाटा

राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण घाटे के आँकड़ों को प्रभावित करता है। इसके अलावा, स्पष्ट देनदारियों को स्थिगित करना, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, नई पेंशन योजना में कम योगदान, निक्षेप और मोचन निधि आदि भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आँकड़ों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आँकड़े निकालने के लिए ऐसी अनियमितताओं का प्रभाव **तालिका 1.6** में देखा जा सकता है।

**तालिका 1.6:** लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के बाद राजस्व और राजकोषीय घाटा


घटक	राजस्व घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्ति) (₹ करोड़ में)	राजकाषीय घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्ति) (₹ करोड़ में)	कंडिका का संदर्भ
मुख्य शीर्ष –1601 से मुख्य शीर्ष –8121 (एस.डी.आर.एफ.) में धन का हस्तांतरण न करना	553.17	553.17	2.5.2.2
नई पेंशन योजना में कम योगदान	94.19	94.19	2.4.2.3
स्पष्ट देयता का अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्थगन	-	123.80	4.2
राजस्व के बजाय पूँजीगत के तहत बजट/बुक किए गए लघु कार्य	50.45	-	3.3.2
ब्याज देनदारियों का निर्वहन न करना	560.33	560.33	4.3
कंपनियों, निगमों या अन्य निकायों में किए गए निवेश/ऋण, जो घाटे में चल रहे हैं या जिनकी कूल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। (पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का मुद्दा)	91.80	-	2.4.3.2
<b>कुल</b>	<b>1,349.94</b>	<b>1,331.49</b>	

(स्रोत: वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा विश्लेषण)

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, राज्य का राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा जो ₹ 1,784.13 करोड़ और ₹ 14,723.93 करोड़ था, वास्तव में क्रमशः ₹ 3,134.07 करोड़ और ₹ 16,055.42 करोड़ होगा।

## **अध्याय-II**

### **राज्य का वित्त**



यह अध्याय वर्ष 2019–20 के लिए बिहार सरकार के वित्त का एक लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है और पिछले वर्षों से संबंधित राज्य के वित्त लेखों में निहित विवरण के आधार पर प्रमुख राजकोषीय संग्रह में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण और 31 मार्च 2020 को राजकोषीय स्थिति का आकलन करता है।

## 2.1 2018–19 की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संग्रह में प्रमुख परिवर्तन

यह खंड पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के प्रमुख वित्तीय संग्रह में बड़े बदलावों का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। इनमें से प्रत्येक संकेतक निम्नलिखित पैराग्राफ में विश्लेषण करता है।

तालिका 2.1: 2018–19 की तुलना में 2019–20 में प्रमुख राजकोषीय संग्रहों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	✓ राज्य के राजस्व प्राप्तियों में 5.74 प्रतिशत की कमी। ✓ राज्य के स्व कर प्राप्तियों में 2.55 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ स्व करेतर प्राप्तियों में 10.43 प्रतिशत की कमी। ✓ संघीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी में 13.85 प्रतिशत की कमी। ✓ भारत सरकार से सहायता अनुदान में 9.40 प्रतिशत की वृद्धि।
राजस्व व्यय	✓ राजस्व व्यय में 0.90 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 7.59 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 0.80 प्रतिशत की कमी। ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 4.82 प्रतिशत की कमी। ✓ सहायता अनुदान पर व्यय में 59.34 प्रतिशत की कमी।
पूँजीगत व्यय	✓ पूँजीगत व्यय में 41.57 प्रतिशत की कमी। ✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 27.88 प्रतिशत की कमी। ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 30.99 प्रतिशत की कमी। ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 48.03 प्रतिशत की कमी।
ऋणों और अग्रिमों	✓ ऋणों और अग्रिमों के संवितरण में 54.69 प्रतिशत की कमी। ✓ ऋण एवं अग्रिम की वसूली में 98.33 प्रतिशत की कमी।
लोक ऋण	✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 56.12 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ लोक ऋण की अदायगी में 1.66 प्रतिशत की कमी।
लोक लेखा	✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 19.67 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ लोक लेखे के संवितरण में 21.36 प्रतिशत की वृद्धि।
नकद शेष	✓ 2019–20 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में नकद शेष में ₹ 430.95 करोड़ की वृद्धि (19.56 प्रतिशत)।

## 2.2 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

यह भाग पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग के घटकों की तुलना करता है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.1 में शामिल है।

तालिका 2.2: 2018–19 और 2019–20 के दौरान निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग का विवरण  
(₹ करोड़ में)



	विवरणी	2018-19	2019-20	वृद्धि / कमी
स्रोत	आर.बी.आई. के पास आंरभिक नकद शेष	22,081	20,837	(-)1,244
	राजस्व प्राप्तियाँ	1,31,794	1,24,233	(-)7,561
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	1,825	30	(-)1,795
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	11,438	22,035	10,597
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	1,124	(-)3,235	(-)4,359
	कुल	1,68,262	1,63,900	(-)4,362

अनुप्रयोग	विवरणी	2018-19	2019-20	वृद्धि / कमी
राजस्व व्यय		1,24,897	1,26,017	1,120
पूँजीगत व्यय		21,058	12,304	(-)8,754
ऋणों और अग्रिमों का संवितरण		1,470	666	(-)804
आर.बी.आई. के पास अंतिम नकद शेष		20,837	24,913	4,076
<b>कुल</b>		<b>1,68,262</b>	<b>1,63,900</b>	<b>(-)4,362</b>

(स्रोत: वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे)

चार्ट 2.1 में वर्ष 2019-20 के दौरान संचित निधि से प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण प्रतिशत में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: संसाधनों की संरचना / अनुप्रयोग



(स्रोत: वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे)

विश्लेषण से पता चला कि:-

- राजस्व व्यय मुख्य रूप से राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाता था जिसमें लोक ऋण की भी सहभागिता थी;
- सामान्य सेवाओं (राजस्व) में, 46.38 प्रतिशत वेतन एवं मजदूरी शामिल थी;
- लोक ऋण पुनर्भुगतान (35.85 प्रतिशत) के अलावा, ब्याज भुगतान 6.70 प्रतिशत था जिसमें कुल पुनर्भुगतान समेकित निधि का 42.55 प्रतिशत था;
- घाटे के वित्तपोषण की भरपाई उधार के माध्यम से की गई जो कुल संसाधनों का सात प्रतिशत था।

### 2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है:


1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल है।
2. **पूँजीगत प्राप्तियों** में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋण एवं अग्रिम की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार), और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल है।  
राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों राज्य के संचित निधि का हिस्सा है।
3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ:** प्राप्तियाँ और संवितरण से संबंधित कुछ ऐसे लेनदेन होते हैं जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण, आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये विधायिका के मत के अधीन नहीं होते हैं। यहाँ सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि, सरकार के पास उपयोग हेतु उपलब्ध निधि होती है।

#### 2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

यह समग्र प्राप्तियों की संरचना प्रदान करता है। पूँजीगत और राजस्व प्राप्तियों के अतिरिक्त लोक लेखे में उपलब्ध निधि (संवितरण निवल) का उपयोग सरकार द्वारा अपने घाटे को पूरा करने के लिए किया जाता है।

चार्ट 2.2: 2019–20 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना



(स्रोत: वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे)

वर्ष 2019–20 के दौरान कुल प्राप्तियों, राजस्व प्राप्तियों, पूँजीगत प्राप्तियों और निवल लोक लेखा प्राप्तियों से योगदान क्रमशः 82.72 प्रतिशत, 19.43 प्रतिशत और (-)02.15 प्रतिशत था जिसका विवरण बाद के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

### 2.3.2 राज्य के राजस्व प्राप्तियाँ

यह कुल राजस्व प्राप्तियों एवं उनके घटकों का प्रवृत्ति देता है। तत्पश्चात् प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को केंद्र सरकार एवं राज्य की स्वयं प्राप्तियों में विभाजित किया जाता है।

#### 2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि एवं प्रवृत्ति

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तथा राजस्व प्राप्तियों की संरचना तालिका 2.3 में दी गई है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

मापदंडों	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	96,123	1,05,585	1,17,447	1,31,794	1,24,233
आर.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	22.58	9.84	11.23	12.22	(-) 5.74
कर राजस्व	25,449	23,742	23,137	29,408	30,158
करेतर राजस्व	2,186	2,403	3,507	4,131	3,700
राजस्व की वृद्धि दर (स्वयं कर एवं करेतर राजस्व) (प्रतिशत)	23.88	(-) 5.39	1.91	25.88	0.95
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य (₹ करोड़ में) (2011–12 शृंखला)	3,71,602	4,21,051	4,68,746	5,30,363	6,11,804
जी.एस.डी.पी.की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.35	13.31	11.33	13.15	15.36
आर.आर./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	25.87	25.08	25.06	24.85	20.31
उत्प्लावकता अनुपात <sup>3</sup>					
जी.एस.डी.पी.के सापेक्ष में राजस्व उत्प्लावकता	2.70	0.74	0.99	0.93	(-) 0.37
जी.एस.डी.पी.के सापेक्ष में राज्य का स्वयं राजस्व	2.86	(-) 0.40	0.17	1.97	0.06


(जी.एस.डी.पी. आंकड़े के स्रोत: – एम.ओ.एस.पी.आर्ड. प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.07.2020)

<sup>3</sup> उत्प्लावकता अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में एक राजकोषीय चर की लचिलता या प्रतिक्रिया की डिग्री को इंगित करता है।


राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2019–20 में में पिछले वर्ष की तुलना में 5.74 प्रतिशत की कमी आई। इस वर्ष के दौरान, जी.एस.डी.पी. के संबंध में राजस्व उत्पालकता भी नकारात्मक देखा गया है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान जी.एस.डी.पी. से संबंधित राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत घटकर 20.31 प्रतिशत हो गया है। राजस्व प्राप्तियों में कमी का कारण, संघीय करों के अंश के तहत ₹ 10,196.80 करोड़ और राज्य की करेतर राजस्व में ₹ 430.96 करोड़ की कमी थी।

राज्य सरकार को संघीय करों की निवल आय मुख्य रूप से अक्टूबर 2019 (56 प्रतिशत), फरवरी 2020 (17 प्रतिशत), और मार्च 2020 (19 प्रतिशत) के महीनों में प्राप्त हुआ है। वहीं सहायता अनुदान से प्राप्त हुआ एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार से अक्टूबर 2019 (सहायता अनुदान का लगभग 32 प्रतिशत) और मार्च 2020 में (सहायता अनुदान का लगभग 38 प्रतिशत) प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर, संघीय करों और सहायता अनुदान, की निवल आय राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 73 प्रतिशत है। इसके कारण, राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों में उपरोक्त अवधियों में अधिक निधि प्रवाह हुआ है, जबकि निधि की प्राप्तियाँ, अप्रैल 2019 से अगस्त 2019 के महीने के दौरान नाममात्र थीं। इसलिए, राज्य अपने खर्च को अप्रैल 2019 से अगस्त 2019 तक, नकद शेष निवेश लेखों, राज्य का कर राजस्व, और करेतर राजस्व से पूरा करता है।

**चार्ट 2.3: जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति**



**चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति**



उपरोक्त चार्ट 2.4 इंगित करता है कि राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख घटक, संघीय करों एवं शुल्कों का अंश (51 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (22 प्रतिशत) था। राजस्व प्राप्तियों का केवल 27 प्रतिशत राज्य के स्वयं कर राजस्व का हिस्सा है जो दर्शाता है कि बिहार सरकार अधिकांशतः भारत सरकार पर निर्भर है क्योंकि राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 73 प्रतिशत भारत सरकार से ही आता है।

राज्य की राजस्व प्राप्तियों से संबंधित सामान्य प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं:-

- पिछले वर्ष की तुलना में 2019–20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹ 7,561 करोड़ (5.74 प्रतिशत) की कमी आयी। संघीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से में ₹ 10,197 करोड़ (13.85 प्रतिशत) की कमी आई, इसके साथ करेतर राजस्व में ₹ 431 करोड़ (10.43 प्रतिशत) की कमी आयी। जबकि कर राजस्व में ₹ 750 करोड़ (2.55 प्रतिशत) और भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 2,317 करोड़ (9.40 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2019–20 के दौरान, राजस्व का 27.25 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से आया और शेष केंद्रीय कर अंतरण और सहायता अनुदान के रूप में भारत सरकार से प्राप्त हुआ। यह इस तथ्य का द्योतक है कि बिहार की वित्तीय स्थिति काफी हद तक कर अंतरण और भारत सरकार से सहायता अनुदान से प्रभावित है।
- जैसा कि तालिका 2.3 से देखा जा सकता है, 2015–16 के दौरान राजस्व उत्प्लावकता हालांकि एक से अधिक था, 2019–20 के दौरान एक से कम हो गया, यह दर्शाता है कि राजस्व प्राप्तियाँ जी०एस०डी०पी० की तुलना में कम उत्साहजनक रही। जैसे—जैसे जी०एस०डी०पी० बढ़ता है, राज्य सरकार की अपनी राजस्व जुटाने की क्षमता भी बढ़नी चाहिए। तालिका 2.3 यह भी दर्शाती है कि राज्य 2018–19 के दौरान जी.एस.डी.पी. के साथ तालमेल रखते हुए अपने स्वयं संसाधनों में वृद्धि करने में सक्षम था। हालांकि, 2019–20 के दौरान करेतर राजस्व के संग्रह में कमी ने राजस्व उत्प्लावकता को नकारात्मक स्तर तक कम कर दिया।

### 2.3.2.2 राज्य के अपने संसाधन

अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके अपने संसाधनों के संदर्भ में किया जा सकता है जिसमें उसके कर एवं करेतर स्रोतों से राजस्व शामिल हैं।

#### कर राजस्व

राज्य के कर राजस्व में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस०जी०एस०टी०), मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क, वाहनों पर कर, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, भू—राजस्व, माल एवं यात्री कर आदि शामिल हैं।

चार्ट 2.5: 2015-20 के दौरान कर राजस्व में वृद्धि



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

## तालिका 2.4: राज्य के कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राज्य के कर राजस्व के घटक						
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पार्क लाइन
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	10,603	11,873	8,298	6,584	6,121	
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0	0	6,747	15,288	15,801	
राज्य उत्पाद शुल्क	3,142	30	-3	-10	-4	
मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क	3,409	2,982	3,726	4,189	4,661	
वाहन कर	1,081	1,257	1,599	2,086	2,713	
भू-राजस्व	695	971	779	477	275	
माल एवं यात्रियों पर कर	6,087	6,245	1,645	399	23	
अन्य कर*	432	384	346	395	568	
<b>योग</b>	<b>25,449</b>	<b>23,742</b>	<b>23,137</b>	<b>29,408</b>	<b>30,158</b>	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

\* अन्य करों में शामिल हैं<sup>4</sup>

बिक्री, व्यापार और माल एवं यात्री आदि पर करों में कमी जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के कार्यान्वयन के कारण हुई थी। एस.जी.एस.टी. में वृद्धि मुख्य रूप से एस.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. के टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस उपयोगिता के तहत अधिक प्राप्तियों के कारण हुई थी। इसके अलावा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क में वृद्धि दस्तावेजों को छापने के शुल्क और दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए शुल्क में वृद्धि के कारण हुई थी। राज्य उत्पाद शुल्क में कमी अप्रैल 2016 से राज्य में लगाए गए मध्य निषेध के कारण थी। प्रतिदाय के कारण शेष राशि नकारात्मक था।

मासिक सिविल लेखा से पता चलता है कि राज्य को अप्रैल 2019 और मई 2019 में कम राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि एक बड़ा हिस्सा सितंबर 2019 (20 प्रतिशत) के महीनों में प्राप्त हुआ, जो कि एस.जी.एस.टी. शीर्ष और मार्च 2020 (15 प्रतिशत) में बिक्री और व्यापार शीर्ष के माध्यम से उच्च प्राप्तियों के कारण हुआ।

#### राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)

जी.एस.टी. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार आधार वर्ष से पाँच साल की अवधि के लिए 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि पर विचार करते हुए जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगी। केंद्र वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) लगाता है और राज्य के हिस्से को उस राज्य में विभाजित करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है।

आधार वर्ष के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019–20 (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020) के लिए संरक्षित राजस्व ₹ 21,315.60 करोड़ था। वर्ष 2019–20 के दौरान, ₹ 21,315.60 करोड़ के संरक्षित राजस्व के विरुद्ध राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति जी.एस.टी. में ₹ 15,869.97 करोड़ (वर्ष 2018–19 के लिए प्राप्त ₹ 326.00 करोड़ को छोड़कर) था। 2019–20 के दौरान बिहार सरकार को प्राप्त मुआवजा ₹ 3,198.78 करोड़ था। जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण, कमी ₹ 2,246.85 करोड़ वर्ष 2020–21 में (₹ 2,265.20 करोड़) क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुआ (₹ 18.35 करोड़ वास्तविक क्षतिपूर्ति से अधिक प्राप्त हुआ)।

<sup>4</sup> व्यवसायों, व्यापारों, कॉलिंग और रोजगार पर कर, बिजली शुल्क तथा अन्य करों और वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क

इसके अलावा, जी.एस.टी.एन. (गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क) परिसर में अखिल भारतीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय को 22 जून 2020 को अवगत कराया गया था। 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार द्वारा कोई बैंक-इन्ड डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया। यद्यपि जी.एस.टी. के बैंक-इन्ड डाटा और संबंधित अधिकारियों के यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड बनाये गये (फरवरी 2021), फिर भी सिर्फ एम.आई.एस. सूचना की पहुंच ही दी गई जी.एस.टी. पोर्टल के मूल दस्तावेजों के बदले में। इसलिए, वर्ष 2019–20 में खातों का सत्यापन जाँच परीक्षा के आधार पर किया गया, जैसे अभिलेख मैन्युअल रखा गया हो, लेखापरीक्षा को जी.एस.टी.एन. डाटा तक पहुंच प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय का पूर्ण कार्यान्वयन लंबित था।

### बकाया राजस्व एवं निर्धारित बकाया राशि का विश्लेषण

राजस्व का बकाया सरकार के राजस्व की वसूली में देरी को दर्शाता है। इसी प्रकार, निर्धारण की बकाया राशि संभावित राजस्व को दर्शाती है जो विलंबन निर्धारण के कारण अवरुद्ध है। दोनों राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं। बकाया राजस्व का विवरण तालिका 2.5 में है।

तालिका 2.5: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व प्रमुख	विभाग का नाम	31 मार्च 2019 तक कुल बकाया राशि	31 मार्च 2020 तक कुल बकाया राशि	पाँच साल से अधिक समय से बकाया राशि
1.	वाहनों पर कर	परिवहन	179.30	187.07	-
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	निषेध, उत्पाद शुल्क और पंजीकरण	46.54	53.19	17.38
3.	वैट / बिक्री व्यापार आदि।	वाणिज्यिक कर	3,351.16	3,696.69	2,782.00
4.	गैर लौह खनन और धातुकर्म उद्योग	खान और भूविज्ञान	-	360.33	218.12
5.	राजस्व और भूमि सुधार	राजस्व और भूमि सुधार	-*	256.96	115.10
कुल			3,577.00	4,554.24	3,132.60

(स्रोत: संबंधित विभाग)

\* (2018–19 के लिए विभाग द्वारा सूचना प्रदान नहीं की गई है)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष (₹ 3,351.16 करोड़) 2018–19 की तुलना में वैट / बिक्री व्यापार में बकाया राजस्व में ₹ 345.53 करोड़ (10.31 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राजस्व के बकाया के लिए देखे गए विभिन्न कारणों में भू-राजस्व के बकाया की वसूली, न्यायालयों / अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा रोकी गई वसूली, निर्धारितों / डीलरों के दिवालिया होने के कारण रोकी गई वसूली आदि थे।

### विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन, वापसी के मामलों आदि का विवरण

उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामले, मामलों को अंतिम रूप देना और अतिरिक्त कर की मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रह प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। प्रतिदाय प्रकरणों के निस्तारण में तत्परता विभाग के निष्पादन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। पता लगाए गए कर की अपवंचन तालिका 2.6 में है।

तालिका 2.6: पता लगाए गए कर का अपवंचन

क्र. सं.	राजस्व प्रमुख शीर्ष	लंबित मामले 31 मार्च 2019	हटाये गए मामले 31 मार्च 2020	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूरी हुई और जुर्माने आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई		अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या 31 मार्च 2020
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	बिक्री, व्यापार पर कर / जी.एस.टी.	-	266	266	223	554.08	43
2.	उत्पाद शुल्क	11	-	11	-	0.44	11
<b>कुल</b>		<b>11</b>	<b>266</b>	<b>277</b>	<b>223</b>	<b>554.52</b>	<b>54</b>

(स्रोत: बिहार सरकार के संबंधित विभाग)

वर्ष के दौरान, मूल्यांकन/जांच के लिए वैट/बिक्री व्यापार/जी.एस.टी. में कुल 266 मामलों का पता चला। जिसमें से 223 मामलों का निर्धारण पूरा कर लिया गया था और ₹ 554.08 करोड़ के अर्थदंड के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई थी। 31 मार्च 2020 तक कुल 54 मामले अंतिम रूप देने के लिए लम्बित थे। इसके अलावा, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग में, नौ मामलों में ₹ 62.28 करोड़ की राशि अभी भी बकाया थी।

### करेतर राजस्व

करेतर राजस्व में व्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि शामिल हैं। राज्य के करेतर राजस्व के घटकों को तालिका 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: राज्य के करेतर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

करेतर राजस्व के घटक						
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पार्क लाईन
व्याज प्राप्तियाँ	583.66	939.91	1,577.24	1,371.94	1,416.48	
लाभांश तथा लाभ	14.84	3.73	1.34	13.67	1.62	
अन्य करेतर प्राप्तियाँ	1,587.14	1,459.48	1,928.16	2,744.95	2,281.50	
(अ) मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	20.25	16.58	27.43	52.77	24.32	
(ब) सड़क परिवहन	0.14	0.19	0.17	0.19	0.20	
(स) शहरी विकास	-	0.71	7.43	0.94	4.80	
(द) शिक्षा	41.30	17.09	21.47	18.85	17.13	
(इ) गैर लौह खनन धातुकर्म	971.34	997.60	1,082.67	1,560.65	1,572.07	
(फ) अन्य या विविध	554.11	427.31	788.99	1,111.55	662.98	
<b>कुल</b>	<b>2,185.64</b>	<b>2,403.12</b>	<b>3,506.74</b>	<b>4,130.56</b>	<b>3,699.60</b>	


(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष के दौरान, करेतर राजस्व ₹ 4,130.56 करोड़ से घटकर ₹ 3,699.60 करोड़ हो गया। यह मुख्य रूप से कम प्राप्तियों पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के योगदान की वसूली के लिए ₹ 557.13 करोड़ (उत्तरवर्ती राज्यों के बीच पेंशन देनदारियों का विभाजन जनसंख्या अनुपात के आधार पर होगा) के कारण था। इसके अलावा, राज्य के लाभांश और लाभ में ₹ 12.05 करोड़ की कमी आई है। हालांकि, व्याज प्राप्तियों में वृद्धि नकद शेष (₹ 938.84 करोड़), सहकारी समितियों (₹ 121.64 करोड़) और अन्य प्राप्तियों (₹ 478.09 करोड़) के निवेश से व्याज के कारण हुई थी।

### 2.3.2.3 केंद्र से अंतरण

केंद्र से निधि अंतरण मुख्य रूप से वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर निर्भर करता है और यह पिछले पाँच वर्षों के लिए राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 70 प्रतिशत से अधिक का योगदान करता है। भारत सरकार के अनुदानों का विवरण चार्ट 2.6 में नीचे दिया गया है।

चार्ट 2.6: केंद्र से अंतरण की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

केंद्र का अंतरण वर्ष 2010–11 में ₹ 33,676.94 करोड़ से बढ़ कर 2019–20 में ₹ 90,374.95 करोड़ हो गया लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में काफी घट गया क्योंकि केंद्रीय कर में हिस्सा ₹ 10,196.80 करोड़ से घट गया।

### केंद्रीय कर अंतरण

तालिका 2.8: केंद्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
केंद्रीय माल और सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	-	-	925.48	18,166.79	17,992.97
एकीकृत माल और सेवा कर (आई.जी.एस.टी.)	-	-	6,572.00	1,449.80	0.00
निगम कर	15,377.40	18,889.20	19,935.56	25,596.84	21,618.94
आय पर निगम कर से अतिरिक्त कर	10,643.04	13,128.06	16,834.16	18,850.99	16,939.90
सीमा शुल्क	7,849.43	8,125.40	6,570.00	5,217.40	4,019.07
संघ उत्पाद शुल्क	6,577.11	9,278.51	6,867.50	3,467.28	2,794.34
सेवा कर	8,430.37	9,416.01	7,379.29	673.31	0.00
अन्य कर <sup>5</sup>	45.33	43.41	(-) 0.61	180.72	41.11
<b>केंद्रीय कर अंतरण</b>	<b>48,922.68</b>	<b>58,880.59</b>	<b>65,083.38</b>	<b>73,603.13</b>	<b>63,406.33</b>
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	32.36	20.35	10.53	13.09	(-)13.85
राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय कर अंतरण की प्रतिशतता	50.90	55.77	55.42	55.85	51.04

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

<sup>5</sup> धन पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क सम्मिलित

राज्य के निवल प्राप्ति में कमी के कारण केंद्रीय कर अंतरण पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 10,196.80 करोड़ (13.85 प्रतिशत) से घट गया। वर्ष के दौरान, आई.जी.एस.टी. का अवक्रमण पिछले वर्ष के ₹ 1,449.80 करोड़ से शून्य हो गया।

### भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान

वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार को सहायता अनुदान और केंद्रीय करों और शुल्कों का हिस्सा प्राप्त होता है। भारत सरकार के अनुदानों का विवरण तालिका 2.9 में नीचे दिया गया है।

**तालिका 2.9: भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान**

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
गैर-योजना अनुदान	3,434.43	4,505.51	(-) 5.00	0.00	0.00
राज्य योजना योजनाओं के लिए अनुदान	13,886.33	13,952.92	(-) 2.20	(-) 2.82	(-) 40.27
केंद्रीय योजना योजनाओं के लिए अनुदान*	2,083.98	1,422.91	0.00	0.00	0.00
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान (सी.एस.एस.)	0.00	0.00	13,312.26	16,322.72	15,302.04
केंद्र प्रायोजित योजना योजनाओं के लिए अनुदान	160.86	677.68	(-) 1.00	0.00	0.00
वित्त आयोग अनुदान	0.00	0.00	4,525.06	4,775.20	7,343.61
अन्य अंतरण/राज्यों/विधान सभा वाले केन्द्र शासित प्रदेश को अनुदान	0.00	0.00	7,891.01	3,556.52	4,363.24
<b>कुल</b>	<b>19,565.60</b>	<b>20,559.02</b>	<b>25,720.13</b>	<b>24,651.62</b>	<b>26,968.62</b>
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	2.19	5.08	25.10	(-) 4.15	9.40
राजस्व प्राप्तियों में अनुदान का प्रतिशत	20.35	19.47	21.90	18.70	21.71

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

\* वर्ष 2017–18 से योजना और गैर-योजना अनुदानों के नामकरण को हटा दिया गया था इसलिए इसका कोई आँकड़ा नहीं है। इसकी जगह सी.एस.एस. के लिए अनुदान, वित्त आयोग अनुदान, और राज्यों को अन्य अनुदानों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान 2015–16 में ₹ 19,565.60 करोड़ से बढ़कर 2019–20 में ₹ 26,968.62 करोड़ हो गया है। वृद्धि मुख्य रूप से जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति (37.10 प्रतिशत) और वित्त आयोग अनुदान (53.79 प्रतिशत) के तहत जारी अनुदान के कारण दिखाई गई। 2019–20 के दौरान, बिहार सरकार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं (वित्त लेखे 2019–20 का परिशिष्ट-V) के कार्यान्वयन के लिए ₹ 15,302.04 करोड़ प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.25 प्रतिशत कम था। 2015–20 के दौरान भारत सरकार से कुल अनुदान की प्रवृत्ति राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में 18.70 प्रतिशत से 21.90 प्रतिशत के बीच रही। कुछ प्रमुख घटक समय पर शिक्षा के लिए अनुदान (प्राथमिक शिक्षा) – ₹ 2,524.96 करोड़ और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) – ₹ 553.17 करोड़ जिसमें पिछले वर्ष आवंटन नहीं किया गया था। वित्त आयोग अनुदान के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान पिछले वर्ष से ₹ 1,475 करोड़ बढ़ गई। सहायता अनुदान का बड़ा हिस्सा अक्टूबर 2019 (₹ 8,756.40 करोड़) और मार्च 2020 (₹ 10,277.09 करोड़) में प्राप्त हुआ है। शेष महीनों में, नाममात्र की राशि प्राप्त हुई है।

### 2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल होते हैं जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋण एवं अग्रिम की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों / वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम।

## तालिका 2.10: पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पूँजीगत प्राप्तियाँ	18,402	21,600	13,191	20,493	29,175
ऋणों और अग्रिमों की वसूली	19	23	22	1,825	30
<b>लोक ऋण प्राप्तियाँ</b>	<b>18,383</b>	<b>21,577</b>	<b>13,169</b>	<b>18,668</b>	<b>29,145</b>
आंतरिक ऋण	17,565	20,065	11,771	16,134	27,866
वृद्धि दर	33.08	14.23	(-41.34)	37.07	72.72
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	818	1,512	1,398	2,534	1,279
वृद्धि दर	14	85	(-) 8	81	(-) 50
ऋण की वृद्धि दर पूँजीगत प्राप्तियाँ	32	17	(-) 39	42	56
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 99	21	(-) 4	8,195	(-) 98
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	8.35	13.31	11.33	13.15	15.36
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	19	17	(-) 39	55	42

(स्रोत: वित्त लेखा और जी.एस.डी.पी. के लिए— एम.ओ.एस.पी.आई. प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.07.2020)

पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः आंतरिक ऋण में पिछले वर्ष से 72.72 प्रतिशत वृद्धि के कारण हुई। पूँजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण प्राप्तियों का 99.89 प्रतिशत भाग था। पिछले वर्ष की तुलना में ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर बढ़ती रही है। यह मुख्यतः वर्ष के दौरान राजस्व घाटे में वृद्धि के कारण हुई।

मौजूदा वर्ष में पूँजीगत प्राप्तियाँ (₹ 29,175 करोड़) वर्ष 2018–19 से ₹ 8,682 करोड़ (42.36 प्रतिशत) से बढ़ गई। यह मुख्यतः बाजार ऋण के 107.02 प्रतिशत से वृद्धि के कारण हुई। मौजूदा वर्ष में, ₹ 22,572.54 करोड़ उधारी के रूप में लिया गया (जैसा कि कंडिका 2.6.1 में वर्णित है)। इसका योगदान पूँजीगत प्राप्तियों में 2018–19 में 53.20 प्रतिशत से बढ़कर 77.36 प्रतिशत हो गया। भारत सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम 49.52 प्रतिशत से घट गया।

मौजूदा वर्ष में निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष (3.60 प्रतिशत) पिछले वर्ष की तुलना में (2.15 प्रतिशत) ज्यादा रहा। यह निवल उधारी वर्ष 2018–19 में ₹ 10,903.07 करोड़ (22.39 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 11,669.47 करोड़ (107.02 प्रतिशत) के कारण हुई।

गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ ऋण एवं अग्रिमों के रूप में कमी पी.एस.ई./इकाई/ऑथोरिटी के ऋण वसूली के पुस्त समायोजन का पिछले वर्ष की तुलना में कमी के कारण हुई।

यद्यपि पूँजीगत प्राप्तियाँ में पिछले वर्ष के 42.36 प्रतिशत से बढ़ गया और पूँजीगत व्यय 41.57 प्रतिशत से घट गया।

### 2.3.4 संसाधनों के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों के संग्रहण में राज्य के प्रदर्शन का आकलन इनके स्वयं अपने संसाधनों के संदर्भ में, जिसमें स्वयं के कर और करेतर स्रोत शामिल होते हैं, किया जाता है।

राज्य के अपने संसाधन (कर और करेतर राजस्व) 2018–19 में ₹ 33,539 करोड़ से थोड़ा बढ़कर 2019–20 में ₹ 33,858 करोड़ हो गए हैं। राज्य के कर राजस्व और करेतर राजस्व बजट अनुमानों की तुलना तालिका 2.11 में दिखाए गए हैं।

## तालिका 2.11: कर और करेतर प्राप्तियों के बजट अनुमानों की तुलना

(₹ करोड़ में)

	वित्त आयोग अनुमान	बजट प्राक्कलन	वार्षिकी	वार्षिकी प्रतिशतता भिन्नता	
				बजट प्राक्कलन से	वित्त आयोग अनुमान से
कर राजस्व	68,956	33,800	30,158	(-)10.78	(-)56.26
करेतर राजस्व	4,015	4,806	3,700	(-)23.01	(-)7.85

(स्रोत: वित्त लेखा 2019–20, वित्त आयोग की रिपोर्ट और बिहार सरकार के बजट अनुमान)

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि राज्य का स्व कर राजस्व, साथ ही करेतर राजस्व, राज्य के बजट प्राक्कलन और वित्त आयोग के अनुमानों से भी कम था।

## 2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून के ढाँचे के भीतर व्यय करें साथ ही यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्य में चल रही वित्तीय सुधार और समेकन प्रक्रिया, पूँजीगत बुनियादी ढाँचा तथा सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निर्देशित व्यय की कीमत पर न हो।

### 2.4.1 व्यय के घटक एवं वृद्धि

समग्र व्यय और उसके घटकों का जी.एस.डी.पी. से प्रतिशत के साथ प्रवृत्ति विश्लेषण तालिका 2.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.12: कुल व्यय एवं इनके घटक

(₹ करोड़ में)

मापदंडों	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय (टी.ई.)	1,08,203	1,22,087	1,31,774	1,47,425	1,38,987 <sup>6</sup>
राजस्व व्यय (आर.ई.)	83,616	94,765	1,02,624	1,24,897	1,26,017
पूँजीगत व्यय (सी.ई.)	23,966	27,208	28,907	21,058	12,304
ऋण एवं अग्रिम	621	114	243	1,470	666
जी.एस.डी.पी. के प्रतिशतता के रूप में					
टी.ई./जी.एस.डी.पी.	29.12	29.00	28.11	27.80	22.72
आर.ई./जी.एस.डी.पी.	22.50	22.51	21.89	23.55	20.60
सी.ई./जी.एस.डी.पी.	6.45	6.46	6.17	3.97	2.01
ऋण एवं अग्रिम/जी.एस.डी.पी.	0.17	0.03	0.05	0.28	0.11

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2018–19 से 2019–20 के दौरान राज्य के पूँजीगत व्यय में ₹ 8,754 करोड़ (41.57 प्रतिशत) की कमी आई है, यह दर्शाता है कि राज्य ने पूँजीगत संपत्ति के निर्माण पर कम खर्च किया है। कुल व्यय का लगभग 89 प्रतिशत, राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया गया। पिछले पाँच वर्षों में जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के सापेक्ष कुल राजस्व और पूँजीगत व्यय क्रमशः 20.60 प्रतिशत और 2.01 प्रतिशत बहुत कम था। 2018–19 से 2019–20 के दौरान, कुल व्यय का सी.ए.जी.आर. (-2.59 प्रतिशत) सामान्य श्रेणी राज्य (4.09 प्रतिशत) की वृद्धि दर से कम था और पड़ोसी राज्यों उड़ीसा (9.83 प्रतिशत) और झारखण्ड (5.85 प्रतिशत) से भी कम था।

आर्थिक वर्गीकरण के संदर्भ में व्यय की संरचना में परिवर्तन और गतिविधियों द्वारा व्यय को तालिका 2.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.13: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष हिस्सेदारी

(₹ करोड़ में)

मापदंडों	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सामान्य सेवाएँ	31,589 (29.19)	32,697 (26.78)	36,139 (27.43)	42,002 (28.49)	44,016 (31.67)
सामाजिक सेवाएँ	38,683 (35.75)	44,329 (36.31)	50,028 (37.97)	62,345 (42.29)	60,619 (43.61)
आर्थिक सेवाएँ	37,306 (34.48)	44,943 (36.81)	45,360 (34.42)	41,604 (28.22)	33,684 (24.24)
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान और ऋण एवं अग्रिम)	625 (0.58)	118 (0.10)	247 (0.19)	1,474 (1)	668 (0.48)


(कोष्ठकों में अँकड़े कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

<sup>6</sup> एनटीए के पैरा 4 (XXV) में बताए गए के अनुसार उचंत लेखे में रखे गए ₹ 7,149.67 करोड़ के व्यय को शामिल नहीं करता है।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2019–20 के दौरान राज्य सरकार ने आर्थिक सेवाओं के सापेक्ष सामान्य सेवाओं पर अधिक राशि खर्च की है जबकि कुल व्यय के गतिविधि घटकों में सामाजिक सेवाओं में मासूली भिन्नता देखी गई है। सामान्य सेवाओं के तहत पिछले वर्ष की तुलना में चुनाव (₹ 491.96 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 920.27 करोड़) और पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (₹ 1,082.62 करोड़) के व्यय में बड़ी वृद्धि देखी गई। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार पिछले वर्ष की तुलना में विकासात्मक व्यय पर कम खर्च कर रही है। इसके अलावा, आर्थिक सेवाओं पर राज्य ने पिछले पाँच वर्षों में सबसे कम राशि खर्च की है। ये प्रमुख घटक, जहां पिछले वर्षों की तुलना में कम व्यय किए गए थे। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (35.95 प्रतिशत), बिजली (13.69 प्रतिशत), गैर लौह खनन और धातुकर्म उद्योग (19.57 प्रतिशत) और पर्यटन (76.06 प्रतिशत) आदि। चार्ट 2.7 वर्ष 2015–20 के दौरान कुल व्यय के घटकों के अंश की प्रवृत्ति दर्शाता है।

चार्ट 2.7: कुल व्यय : इसके घटकों के हिस्से की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.7 का तात्पर्य है कि राज्य के कुल व्यय का लगभग 9 प्रतिशत पूँजी निर्माण के लिए हुआ है और शेष 91 प्रतिशत व्यय दिन-प्रतिदिन के व्यय अर्थात् राजस्व व्यय में किया गया है। इसके अलावा, राज्य द्वारा लिए गए विद्युत वितरण कंपनियों के ऋण का राज्य के ऋण रूपरेखा पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। 2015–16 में, राज्य ऋण का केवल एक प्रतिशत बढ़ा और 2016–17 में यह प्रतिशत-वार नहीं बदला। राज्य द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम नगण्य हैं।

#### 2.4.2 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के बुनियादी ढाँचे और सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होती है। राजस्व व्यय की वृद्धि की प्रवृत्ति का विश्लेषण तालिका 2.14 में दर्शाया गया है।

## तालिका 2.14: राजस्व व्यय—मूलभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

मापदंडों	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय (टी.ई.)	1,08,203	1,22,087	1,31,774	1,47,425	1,38,987
राजस्व व्यय (आर.ई.)	83,616	94,765	1,02,624	1,24,897	1,26,017
आर.ई. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.22	13.33	8.29	21.70	0.90
टी.ई. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	77.28	77.62	77.88	84.72	90.67
आर.ई./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	22.5	22.51	21.89	23.55	20.60
आर.आर. की प्रतिशतता के रूप में, आर.ई.	86.99	89.75	87.38	94.77	101.44
आर.ई. की उत्पलावकता, के साथ					
जी.एस.डी.पी. (अनुपात)	1.82	1.00	0.73	1.65	0.06
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.67	1.35	0.74	1.78	(-)0.16

(चोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राजस्व व्यय कुल व्यय का 90.67 प्रतिशत था और सिर्फ 8.85 प्रतिशत पूँजीगत व्यय के लिए बचा। राज्य में राजस्व घाटा हुआ है क्योंकि 2008–09 से अब तक पहली बार इस वर्ष के दौरान राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक है। इसके अलावा, राजस्व प्राप्तियों में 5.74 प्रतिशत की कमी आई जबकि राजस्व व्यय में 0.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिणामतः अंतर को राज्यों के लोक ऋण से पूरा किया गया है। राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय 2017–18 को छोड़कर पिछले पाँच वर्षों से बढ़ रहा है। राजस्व प्राप्तियों के साथ—साथ जी.एस.डी.पी. की राजस्व व्यय की उत्पलावकता के साथ अनुपात पिछले पाँच वर्षों में सबसे कम है जो राज्य के वित्त का अच्छा संकेत नहीं है।

## 2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण भिन्नताएं तालिका 2.15 में दी गई हैं।

## तालिका 2.15: 2018–19 की तुलना में 2019–20 के दौरान राजस्व व्यय में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

लेखा के प्रमुख शीर्ष	2018-19	2019-20	वृद्धि (+)/ कमी (-)
2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	1,607.14	3,592.41	1,985.27
2071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	16,027.75	17,110.38	1,082.63
2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	5,127.47	6,050.00	922.53
2049- ब्याज भुगतान	10,071.14	10,991.42	920.28
2210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	5,427.11	6,117.98	690.87
3054- सड़कें और पुल	1,696.02	2,293.99	597.97
2015- चुनाव	122.51	614.47	491.96
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	768.64	1,141.86	373.22
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	9,416.39	9,774.24	357.85
2406- वानिकी और वन्य जीवन	314.77	619.15	304.38
2215- जल आपूर्ति और स्वच्छता	5,387.28	2,071.76	(-)3,315.52
2801- विद्युत	6,909.68	5,950.24	(-)959.44
3055- सड़क परिवहन	1,095.51	189.64	(-)905.87

(चोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 2.15 इंगित करता है कि प्राकृतिक आपदाओं के राहत बचाव कार्य में वृद्धि (विशेषकर निःशुल्क राहत में) और पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में सरकारी अंशदान

के तहत) राज्य के राजस्व व्यय में वृद्धि के कारणों में से एक थी। जलापूर्ति एवं स्वच्छता अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना में कम व्यय हुआ। बजट प्रावक्कलनों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष के दौरान ₹ 5,967.18 करोड़ के पर्याप्त बजट प्रावधान होने के बावजूद जलापूर्ति और स्वच्छता पर राजस्व व्यय कम (केवल 35 प्रतिशत) हुआ है। सड़क परिवहन पर, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सहायता (₹ 1,016.14 करोड़) का मुख्य भाग था, यद्यपि 2018–19 में व्यय बजट प्रावधान (₹ 1,175.00 करोड़) का 93 प्रतिशत था। वर्तमान वर्ष के लिए पिछले वर्ष के बजट का केवल 28 प्रतिशत (₹ 329.00 करोड़) प्रावधान किया गया था, जिसमें से विभाग केवल 58 प्रतिशत ही खर्च कर पाया। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पिछले वर्ष के बजट प्रावधान का 64 प्रतिशत खर्च किया गया है जबकि 2019–20 के दौरान इसके बजट प्रावधान के विरुद्ध 72 प्रतिशत खर्च किया गया।

#### 2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशन पर खर्च शामिल हैं। सरकारी संसाधनों पर इसका पहला प्रभार है। प्रतिबद्ध व्यय पर ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति सरकार को विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलेपन देता है। प्रतिबद्ध व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण तालिका 2.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.16: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)


प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वेतन एवं मजदूरी <sup>7</sup>	14,923.73	15,784.04	17,778.74	19,968.39	20,418.41
पेंशन पर व्यय	11,830.46	12,514.52	14,293.48	16,027.75	17,110.38
ब्याज भुगतान	7,097.69	8,190.70	9,053.78	10,071.14	10,991.42
कुल	<b>33,851.88</b>	<b>36,489.26</b>	<b>41,126.00</b>	<b>46,067.28</b>	<b>48,520.21</b>
<b>राजस्व प्राप्तियों (आर.आर.) के प्रतिशतता के रूप में</b>					
वेतन एवं मजदूरी	15.53	14.95	15.14	15.15	16.44
पेंशन पर व्यय	12.31	11.85	12.17	12.16	13.77
ब्याज भुगतान	7.38	7.76	7.71	7.64	8.85
कुल	<b>35.22</b>	<b>34.56</b>	<b>35.02</b>	<b>34.95</b>	<b>39.06</b>
<b>राजस्व व्यय (आर.ई.) के प्रतिशतता के रूप में</b>					
वेतन एवं मजदूरी	17.85	16.66	17.32	15.99	16.20
पेंशन पर व्यय	14.15	13.21	13.93	12.83	13.58
ब्याज भुगतान	8.49	8.64	8.82	8.06	8.72
कुल	<b>40.49</b>	<b>38.51</b>	<b>40.07</b>	<b>36.88</b>	<b>38.50</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण चार्ट 2.8 में दर्शाया गया है।

<sup>7</sup> सहायता अनुदान (वेतन) पर व्यय, जो सरकारी कर्मचारियों से अलग अनुदानग्राही निकायों (जैसे सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज) के कर्मचारियों के वेतन को दर्शाता है, को भी अलग से दिखाया जा सकता है।

चार्ट 2.8: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश



(चोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

इस वर्ष के दौरान, कुल प्रतिबद्ध व्यय ₹ 48,520.22 करोड़ था और यह कुल राजस्व व्यय का 38.50 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों का 39.06 प्रतिशत था। इसमें वेतन पर खर्च (16.44 प्रतिशत), पेंशन (13.77 प्रतिशत) और ब्याज भुगतान (8.85 प्रतिशत) राजस्व प्राप्तियों में शामिल है। प्रतिबद्ध व्यय मदों के लिए आवंटित बजट का एक बड़ा हिस्सा, अन्य व्यय प्राथमिकताओं जैसे पूँजीगत परिव्यय आदि को तय करने के लिए राज्य के लचीलेपन को सीमित करता है।

#### 2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अमुक्त देयताएँ

1 सितंबर 2005 को या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के अंतर्गत आते हैं, जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करता है और उतना ही योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार ने जुलाई 2019 से अपने योगदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। पूरी राशि (कर्मचारियों का योगदान और नियोक्ता का योगदान) को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को हस्तांतरित किया जाता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान कर्मचारियों का योगदान ₹ 688.65 करोड़ और सरकार का ₹ 910.77 करोड़ का अंशदान एनपीएस में करना था। वर्ष के दौरान, ₹ 1,505.23 करोड़ (कर्मचारियों का योगदान ₹ 688.65 करोड़ और नियोक्ता का योगदान ₹ 816.58 करोड़) की राशि को लोक लेखा के तहत मुख्य शीर्ष–8342–117 और ₹ 0.01 करोड़ को मुख्य शीर्ष 8011–106 में हस्तांतरित किया गया। ₹ 1,505.24 करोड़ (₹ 1,505.23 करोड़ + ₹ 0.01 करोड़) की संपूर्ण राशि एन.एस.डी.एल. को जमा करना था। इस वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा ₹ 94.19 करोड़ का कम योगदान किया गया, (₹ 910.77 करोड़ घटाव ₹ 816.58 करोड़) जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटे को उस सीमा तक कम बताया गया है।

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक में ₹ 1,302.58 करोड़ जमा किए। 31 मार्च 2020 तक, ₹ 390.97 करोड़ (मुख्य शीर्ष–8342–117 के तहत ₹ 349.85 करोड़ और मुख्य शीर्ष–8011–106 के तहत ₹ 41.12 करोड़) लोक लेखे में अंतिम शेष के रूप में पड़ा था जिसे

एन.एस.डी.एल./द्रस्टी बैंक में जमा किया जाना बाकी है। इसमें, पहले के वर्षों के ₹ 188.32 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2019–20 के ₹ 202.65 करोड़ शामिल हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान, लेखे में ₹ 188.32 करोड़ की राशि अंतिम शेष के रूप में छोड़ी गई जिसे एन.एस.डी.एल./द्रस्टी बैंक को हस्तांतरित नहीं किया गया। राज्य सरकार को ₹ 188.32 करोड़ के अंतिम शेष पर ₹ 15.06 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान किसी भी ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। ₹ 15.06 करोड़ के ब्याज का भुगतान न करने और एन.पी.एस. में सरकार द्वारा ₹ 94.19 करोड़ के कम योगदान के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा ₹ 109.25 करोड़ (₹ 15.06 करोड़ + ₹ 94.19 करोड़) कम बताया गया है।

#### 2.4.2.4 सब्सिडी

किसी भी कल्याणकारी राज्य में, समाज के वंचित वर्गों को सब्सिडी/राजकीय सहायता प्रदान करना आम बात है। सब्सिडी न केवल स्पष्ट रूप से बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को सब्सिडी वाली सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करके दी जाती है। वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहायता, निवेश पर अपर्याप्त प्रतिफल और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से उपयोगकर्ता शुल्क की खराब वसूली निहित सब्सिडी की श्रेणी में आती है।

वर्तमान वर्ष के दौरान कुल सब्सिडी ₹ 7,121.27 करोड़ थी जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 14.45 प्रतिशत कम है और राजस्व प्राप्तियों का 5.73 प्रतिशत है। सब्सिडी पर व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण तालिका 2.17 में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.17: 2015–20 के दौरान सब्सिडी पर व्यय**

विवरणी	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	9,010.45	8,757.44	5,023.06	8,323.97	7,121.27
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	9.37	8.29	4.27	6.32	5.73
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	10.78	9.24	4.89	6.66	5.65

(चोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग को ₹ 785.60 करोड़ से और ऊर्जा विभाग को ₹ 544.03 करोड़ से कम सब्सिडी देने के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में कुल सब्सिडी में ₹ 1,202.70 करोड़ की कमी आई है।

#### 2.4.2.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

पिछले वर्षों की तुलना में मौजूदा वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य को अनुदान और ऋण के रूप में प्रदान की गई सहायता की मात्रा तालिका 2.18 में प्रस्तुत की गई है।

**तालिका 2.18: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता**

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
<b>(अ) स्थानीय निकाय</b>					
नगर निगम और नगर पालिकाएँ	1,826.28	3,135.50	1,794.52	2,892.56	1,533.24
पंचायती राज संस्थान	3,178.20	2,659.04	7,572.94	7,517.61	9,971.64
<b>कुल (अ)</b>	<b>5,004.48</b>	<b>5,794.54</b>	<b>9,367.46</b>	<b>10,410.17</b>	<b>11,504.88</b>

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
<b>(ब) अन्य</b>					
शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय, आदि)	2,924.50	3,101.99	4,683.27	1,905.37	3,925.89
विकास प्राधिकरण	5,356.39	11,645.91	1,786.76	5,860.77	5,839.49
अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य संस्थान <sup>8</sup>	13,140.84	15,666.90	27,521.24	33,587.98	25,311.28
कुल (ब)	<b>21,421.73</b>	<b>30,414.80</b>	<b>33,991.27</b>	<b>41,354.12</b>	<b>35,076.66</b>
कुल (अ+ब)	<b>26,426.21</b>	<b>36,209.34</b>	<b>43,358.73</b>	<b>51,764.29</b>	<b>46,581.54</b>
राजस्व व्यय	83,615.94	94,765.18	1,02,623.73	1,24,896.81	1,26,016.66
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता	31.60	38.21	42.25	41.45	36.96


(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहयोग मौजूदा वर्ष में ₹ 5,182.75 करोड़ से घट गई और राजस्व व्यय की प्रतिशतता से 36.96 प्रतिशत घट गई। ससमय लेखा प्रस्तुत किए बिना वित्तीय सहायता जारी रखना सार्वजनिक जवाबदेही के लिए हानिकारक एवं खराब वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है (कंडिका 4.15 में विस्तृत)।

#### 2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से सड़कों, भवनों आदि जैसे अचल बुनियादी ढाँचे की परिसंपत्तियों के निर्माण पर व्यय होता है। राज्य में कैपेक्स को बजटीय सहायता और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से पूरा किया जा रहा है। कैपेक्स का प्रवृत्ति विश्लेषण चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.9: राज्य में पूँजीगत व्यय



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पूँजीगत व्यय राज्य सरकार द्वारा बजट अनुमानों में किए गए निर्धारण से 66.38 प्रतिशत कम था। राज्य ने पूँजी निर्माण पर केवल 8.85 प्रतिशत खर्च किया और अपने कुल व्यय का 91.15 प्रतिशत नियमित व्यय के लिए किया। विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि पिछले वर्ष 2018-19 से सामान्य सेवा में पूँजीगत व्यय ₹ 3,311.32 करोड़ से घटकर ₹ 2,388.26 करोड़, समाज सेवा ₹ 4,061.21 करोड़ से

<sup>8</sup> अन्य संस्थानों में शामिल हैं— पी.एस.यू., स्वायत्त निकाय, सहकारी संस्थान

₹ 2,802.51 करोड़ हो गया और आर्थिक सेवाओं में बड़ी कमी ₹ 13,685.70 करोड़ से ₹ 7,113.13 करोड़ तक देखी गई। पूँजीगत व्यय का पूँजीगत प्राप्तियों से अनुपात पिछले तीन वर्षों के दौरान घटती प्रवृत्ति का था जो समग्र आर्थिक मंदी का प्रभाव था। यह राज्य के खराब संसाधन पूँजीकरण को दर्शाता है। इसके अलावा, पूँजीगत व्यय की राशि को केवल बही व्यय के रूप में माना जाता है क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा राज्य के लोक लेखे में रखा गया है। विस्तृत विश्लेषण इस रिपोर्ट के अध्याय IV के कंडिका 4.5 में शामिल किया गया है।

#### 2.4.3.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य के पूँजीगत व्यय के संबंध में विभिन्न प्रमुख लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर तालिका 2.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.19: 2018–19 की तुलना में 2019–20 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

प्रमुख लेखा शीर्षों	2018-19	2019-20	वृद्धि (+)/ कमी (-)
4059- लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	1,781.73	1,029.04	(-)752.69
4202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजी परिव्यय	1,056.22	197.68	(-)858.54
4210- चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,145.71	862.34	(-)283.37
4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	960.40	1,590.73	630.34
4700- प्रमुख सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	636.98	379.92	(-)257.06
4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,243.88	(-)39.10	(-)1,282.97
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	5,035.36	3,067.32	(-)1,968.04
5053- नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	152.44	152.44
5054- सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	5,263.69	1,202.05	(-)4,061.64
5075- अन्य परिवहन सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3.00	160.00	157.00

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पूँजीगत लेखे पर व्यय में कमी मुख्य रूप से सड़कों और पुलों के कार्यक्रमों पर पूँजीगत व्यय में ₹ 4,061.64<sup>9</sup> करोड़, बिजली परियोजनाओं में ₹ 1,968.04 करोड़ और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में ₹ 1,282.97 करोड़ की कमी के कारण आई। बजट अनुमानों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष के दौरान ₹ 2,212.77 करोड़ के पर्याप्त बजट प्रावधान होने के बावजूद बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय में नकारात्मक व्यय (वसूली) दिखा। इसके अलावा, सड़कों और पुलों पर पिछले वर्ष में बजट प्रावधान का 90 प्रतिशत से अधिक खर्च किया गया है जबकि 2019–20 के दौरान इसके बजट प्रावधान के विपरीत केवल 22 प्रतिशत खर्च किया गया था। विद्युत परियोजना में मुख्य घटक बैंकवार्ड रूरल ग्राण्ट फंड (₹ 1,391.33 करोड़) का उपयोग नहीं हुआ।

#### 2.4.3.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यदि राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश करती रहती है, जिनकी कुल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है, तो निवेश पर प्रतिफल की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार अनुभव से पता चलता है कि घाटे में चल रहे निगमों और अन्य निकायों जैसे चीनी मिलों, वित्तीय निगमों आदि को दिए गए ऋणों को बहुत खाते में डालने की अनिवार्यता है। ऐसे वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। यह खंड चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

<sup>9</sup> राज्य राजमार्ग के अंतर्गत— पुल— ₹ 367.96 करोड़, मुख्य सड़क— ₹ 412.48 करोड़, केंद्रीय सड़क निधि— ₹ 141.33 एवं सड़क— ₹ 379.22 अनुसूचित जाति के विशेष घटक मुख्य सड़क— ₹ 365.85 करोड़ शामिल।

### कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेशों की गुणवत्ता

कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में पूँजीगत व्यय, जो घाटे में चल रहे हैं या जहाँ निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है, धारणीय नहीं है।

सार्वजनिक उपक्रम में निवेश की गई शेयर पूँजी में निवेश पर प्रतिफल और विभिन्न निकायों को दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। निवेश पर प्रतिफल के प्रवृत्ति का विश्लेषण **तालिका 2.20** में दिया गया है।

**तालिका 2.20:** निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश / प्रतिफल / उधार की लागत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	9,940.24	15,916.47	23,037.29	28,327.00	31,667.39
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	14.84	3.73	1.34	11.34	1.62
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.15	0.02	0.01	0.04	0.01
सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	6.58	6.42	6.13	6.18	6.07
ब्याज दर और प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत)	5.94	5.88	5.82	6.14	6.06
सरकारी उधार पर ब्याज और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर # (₹ करोड़ में)	590.45	935.89	1,340.77	1,739.28	1,919.04

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

# वर्ष के अंत में निवेश

पिछले पाँच वर्षों में, राज्य सरकार को सरकार की उधार लागत और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर के कारण विभिन्न संस्थाओं में निवेश के प्रतिफल पर ₹ 1,919.04 करोड़ की काल्पनिक हानि हुई है। यह देखा गया कि राज्य सरकार ने 2019–20 के दौरान घाटे में चल रहे एक सार्वजनिक उपक्रम को इकिवटी के रूप में ₹ 91.80 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की थी। घाटे में चल रही कंपनियों में किए गए निवेश को **तालिका 2.21** में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.21:** घाटे में चल रही कंपनियों में किया गया निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी/निगम	संचित हानि	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	31 मार्च 2020 तक संचयी निवेश
1	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	7.58	91.80	528.75

(स्रोत: वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे)

इसके अलावा, वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 3,338.47 करोड़ जो वास्तव में चार सार्वजनिक उपक्रम में निवेश किया गया था, को पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार, इस वर्ष के दौरान प्रभावी पूँजीगत व्यय ₹ 8,965.43 करोड़ हो गया। निवेश के रूप में माने जाने वाले पूँजीगत व्यय को **तालिका 2.22** में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.22:** पूँजीगत व्यय माने गए निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी/निगम	पूँजीगत व्यय का मुख्य शीष	राशि
1	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	5465	91.80
2	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	5465	19.35
3	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड	4801	3,067.32
4	पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5075	160.00
कुल			3,338.47

(स्रोत: वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे)

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2020 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनाई है। वित्त लेखे के अनुसार, वर्ष के दौरान केवल एक कंपनी अर्थात् बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 1.05 करोड़) और दो सहकारी समितियों (₹ 0.57 करोड़) ने लाभांश का योगदान दिया है।

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अलावा, सरकार ने इनमें से कई संस्थानों और संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान किए हैं। विवरण तालिका 2.23 में दिया गया है।

**तालिका 2.23: पाँच वर्षों के दौरान वितरित और वसूल किए गए ऋणों की मात्रा**

(₹ करोड़ में)

वितरित और वसूल किए गए ऋणों की मात्रा	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
लंबित ऋणों का प्रारंभिक शेष	20,255.00	20,857.73	20,948.29	21,169.17	20,814.33
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	621.23	113.87	242.78	1470.56	666.30
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	18.50	23.31	21.89	1825.40	30.40
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	20,857.73	20,948.29	21,169.18	20,814.33	21,450.23
निवल योग	602.73	90.56	220.89	(-) 354.84	635.90
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-
सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज दर	पता लगाने योग्य नहीं				
सरकार की बकाया उधारियों पर चुकाई गई ब्याज दर	6.09	5.90	5.77	5.96	5.68
भुगतान की गई ब्याज दर और प्राप्त ब्याज के बीच अंतर (प्रतिशत)	पता लगाने योग्य नहीं				

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वित्त लेखे के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज शून्य है। दस्तावेजों की जाँच से पता चला कि कई मामलों में सरकार द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज की दर भी कर्जदार से तय नहीं की गई है। कुछ मामलों में, ऋण राशि के साथ ब्याज दर का खुलासा नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा के लिए सरकार द्वारा ऋणी से वसूले जाने वाले ब्याज की दर का निर्धारण करने योग्य नहीं है।

### अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूँजी की प्रवृत्तियों का आकलन भी पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करेगा। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लंबे समय तक इच्छित लाभों से वंचित करता है। इसके अलावा, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि, ऋण और ब्याज देनदारियों की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ का कारण बनती है। अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण तालिका 2.24 में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.24: अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी**

तालिका: 31 मार्च 2020 तक अपूर्ण परियोजनाओं की अवस्था रूपरेखा (₹ करोड़ में)				तालिका: 31 मार्च 2020 के दौरान अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार रूपरेखा (₹ करोड़ में)			
वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च तक)	विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	स्था. लागत	व्यय
2011-12	380	3,395.35	1,579.46	जल संसाधन विभाग	43	803.03	254.93
2012-13	298	3,829.75	1,487.57	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	36	126.54	58.09

तालिका: 31 मार्च 2020 तक अपूर्ण परियोजनाओं की अवस्था रूपरेखा (₹ करोड़ में)				तालिका: 31 मार्च 2020 के दौरान अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग—वार रूपरेखा (₹ करोड़ में)			
वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च तक)	विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	स्था. लागत	व्यय
2013-14	227	3,129.86	1,273.67	भवन निर्माण विभाग	26	227.82	202.85
2014-15	211	3,404.88	1,300.78	स्थानीय क्षेत्र इंजीनियरिंग संगठन	9	15.92	6.84
2015-16	144	1,728.18	731.56	सड़क निर्माण विभाग	27	2,181.07	477.20
2016-17	130	2,269.08	1,521.31	ग्रामीण कार्य	2	2.26	1.04
2017-18	127	1,819.64	892.21				
2018-19	68	790.99	315.11				
2019-20	143	3,396.64	1,000.95				
<b>कुल</b>				<b>कुल</b>	<b>143</b>	<b>3,396.64</b>	<b>1,000.95</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

अनुमानित लागत के ₹ 3,396.64 करोड़ में से, केवल ₹ 1,000.95 करोड़ 2019-20 तक खर्च किए गए हैं और 143 परियोजनाओं में से, केवल आठ परियोजनाओं के लिए लागत संशोधित की गई थी। विवरण वित्त लेखा खंड-II के परिशिष्ट IX में प्रस्तुत किया गया है। चूंकि ₹ 3,195.82 करोड़ की अनुमानित लागत वाली शेष 135 परियोजनाओं का विवरण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, उनकी संशोधित लागत को वित्त लेखों में प्रदर्शित नहीं किया गया और इस प्रकार यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

### उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना का कार्यान्वयन (उदय)

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शुरू (नवंबर 2015) की थी।

राज्य डिस्कॉम की परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार), संबंधित राज्य सरकार और राज्य बिजली वितरण कंपनियों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) निष्पादित किया गया था। इस योजना ने राज्य सरकारों को दो वर्षों की अवधि में डिस्कॉम के बकाया ऋण का 75 प्रतिशत अपने अधिकार में करने की सुविधा प्रदान की।

डिस्कॉम का बकाया ऋण इकिवटी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में अधिग्रहण किया था। उदय के तहत डिस्कॉम को दिए गए ऋण को बाद के तीन वर्षों में अनुदान और इकिवटी में परिवर्तित किया जाना है। तदनुसार, राज्यों को ऋणों को इकिवटी और सब्सिडी में बदलना पड़ा।

इसके अलावा, राज्य सरकार को **तालिका 2.25** में उल्लिखित के अनुसार श्रेणीबद्ध तरीके से डिस्कॉम की हानियों, यदि कोई हो, का अधिग्रहण करना होगा।

#### तालिका 2.25: राज्य द्वारा हानि का अधिग्रहण

वर्ष	2015-16	2016-17
राज्य द्वारा वहन की जाने वाली हानि	2015-16 के हानि का 50%	2016-17 के हानि का 25%

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

योजना के तहत, राज्य को 30 सितंबर 2015 तक डिस्कॉम ऋण (₹ 3,109.05 करोड़) का 75 प्रतिशत ऋण लेने के लिए गैर-एस.एल.आर. बॉड जारी करना और अनुदान, ऋण एवं इकिवटी के रूप में

डिस्कॉम को प्राप्ति हस्तांतरित करना था। पैकेज के तहत राज्य सरकार की देनदारी ₹ 2,331.78 करोड़ तालिका 2.26 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.26: उदय के अंतर्गत इकिवटी/ऋण/सब्सिडी की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	इकिवटी निवेश	ऋण	सब्सिडी	कुल
2015-16	-	-	1,369.89	1,369.89
2016-17	-	-	961.89	961.89
<b>कुल</b>			<b>2,331.78</b>	<b>2,331.78</b>

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2019–20 के लिए डिस्कॉम के अनंतिम लेखों से पता चला कि दोनों डिस्कॉम के नियोजित पूँजी पर प्रतिफल नकारात्मक प्रतिफल दे रहा था जो (-) 39.55 प्रतिशत (एस.बी.पी.डी.सी.एल.) और (-) 13.42 प्रतिशत (एन.बी.पी.डी.सी.एल.) था। इसके अलावा, 31 मार्च 2020 तक, दोनों डिस्कॉम (एस.बी.पी.डी.सी.एल. ₹ 1,519.72 करोड़ और एन.बी.पी.डी.सी.एल. ₹ 1,481.27 करोड़) पर ₹ 3,000.99 करोड़ का ऋण बकाया था। राज्य सरकार ने उदय योजना के तहत जारी बाँड़ों पर वर्ष 2019–20 में ₹ 191.36 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया है।

राज्य सरकार द्वारा सभी टैरिफ सब्सिडी और ऋण दायित्वों को पूरा करने के बावजूद, डिस्कॉम को अभी भी परिचालन घाटा हो रहा है।

#### 2.4.4 व्यय प्राथमिकताएँ

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपने खर्च को बढ़ाने की आवश्यकता है। निम्न वित्तीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के तहत व्यय का कुल व्यय के लिए अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी है यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम है। इन घटकों का कुल व्यय से जितना अधिक अनुपात होता है, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण तालिका 2.27 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.27: 2019–20 के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

	ए.ई./जी.एस.डी.पी.	सी.ई./ए.ई.	शिक्षा/ए.ई.	स्वास्थ्य/ए.ई.
अखिल भारतीय औसत/सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2014–15)	15.99	13.98	16.54	4.92
राज्य	26.56	19.93	18.15	3.96
अखिल भारतीय औसत/सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2019–20)	15.15	12.97	15.91	5.21
राज्य	23.47	13.52	18.77	5.34

(स्रोत: एम.आ.एस.पी.आई. एवं वित्त लेखे)

2019–20 के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता अखिल भारतीय औसत (सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत) से बेहतर थी, जो राज्य के क्षमता निर्माण के लिए एक अच्छा संकेत है।

#### 2.4.5 विषय शीर्षवार व्यय

विषय शीर्षवार व्यय नीचे चार्ट 2.10 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.10: विषय शीर्षवार व्यय

(प्रतिशत में)



(स्रोत: भी.एल.सी. प्रणाली)

उपरोक्त चार्ट 2.10 से, यह देखा जा सकता है कि बजट के एक बड़े हिस्सा का आवंटन प्रतिबद्ध व्यय मदों<sup>10</sup> (40 प्रतिशत) के लिए किये जाने से निवेश, निर्माण आदि जैसी अन्य विकासात्मक व्यय प्राथमिकताओं को बढ़ाने के लिए लचीलेपन को सीमित करता है। इसके अलावा, वेतन पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2.25 प्रतिशत से अधिक, जी.एस.डी.पी. का 3.34 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 16.20 प्रतिशत था। पेंशन पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 6.75 प्रतिशत, जी.एस.डी.पी. का 2.80 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 13.59 प्रतिशत अधिक था। इससे पता चलता है कि प्रमुख घटक प्रतिबद्ध व्यय साल दर साल बढ़ रहा है। 2019–20 के दौरान, प्रतिबद्ध देनदारियों पर व्यय 34.9 प्रतिशत था जबकि पूँजीगत व्यय कुल व्यय का केवल 8.85 प्रतिशत था जो राज्य के वित्तीय स्वारक्ष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

## 2.5 लोक लेखा

प्राप्तियाँ और संवितरण के कुछ लेन–देन जैसे कि लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण, आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। सरकार इनके संबंध में एक बैंकर की तरह काम करती है। वर्ष के दौरान, संवितरण के बाद शेष निधि सरकार के पास विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

### 2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा में घटक–वार निवल शेष तालिका 2.28 में दिया गया है।

तालिका 2.28: 31 मार्च 2020 तक लोक लेखे में घटक–वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आइ. लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।	(-)73.58	99.63	(-)80.24	277.79	190.40
जे. आरक्षित निधि	(अ) ब्याज वाले आरक्षित निधि	(-)401.15	(-)712.03	(-)696.39	0.01	522.95
	(ब) बिना ब्याज वाले आरक्षित निधि	0	0	0	0	0

<sup>10</sup> वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, ऋण की अदायगी

क्षेत्र	उप क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
के. जमा और अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	15.46	24.46	(-)1.62	60.25	202.65
	(ब) ब्याज रहित जमा	3,722.89	5,369.64	10,317.65	368.13	1509.34
	(स) अग्रिम	(-)6.67	(-)0.71	(-)1.72	(-)96.85	0
एल. उचंत और विविध	(ब) उचंत	(-)571.80	(-)894.39	579.80	(-)345.13	(-)5773.58
	(स) अन्य लेखे	(-)4,674.15	(-)4,772.25	(-)4,393.75	2,138.36	(-)2735.55
	(द) विदेशी सरकारों के साथ खोले गये लेखे	(-)0.01	0	0	(-)0.01	(-)0.01
	(ई) विविध	-	-	-	-	-
एम. प्रेषण	(अ) धनादेश, और अन्य प्रेषण	6.06	(-)7.05	(-)2.76	76.05	(-)2.44
	(ब) अंतः सरकारी समायोजन लेखे	0	0	0	0	(-)794.07
<b>कुल</b>		<b>(-)1982.95</b>	<b>(-)892.70</b>	<b>5,720.97</b>	<b>2478.60</b>	<b>(-)6,880.31*</b>

नोट: (+ve) डेबिट बैलेंस को दर्शाता है और (-ve) क्रेडिट बैलेंस को दर्शाता है


\* इसमें कैश बैलेंस इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स शामिल हैं।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उचंत और विविध निधियों के अंतर्गत ऋणात्मक शेष विशेष रूप से उचंत लेखे (सिविल) में दर्शाए गए शेष के कारण लोक लेखा के बकाया रोकड़ शेष में वृद्धि हो गई है। वाउचर की अनुपलब्धता के कारण नकारात्मक आँकड़ों को व्यय या प्राप्तियों के अंतिम शीर्ष पर नहीं ले जाया जा सका। कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने ₹ 7,149.67 करोड़ की राशि के वाउचर तथा ₹ 63.59 करोड़ के चालान पर आपत्ति की है। अन्य राज्यों की ओर से किए गए लेन-देन के कारण अंतर सरकारी समायोजन लेखे में भी वृद्धि हुई। 2019–20 के दौरान, राज्य सरकार को ब्याज वाली आरक्षित निधि के अंतर्गत कैम्पा निधि में क्रेडिट के लिए ₹ 522.95 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने इस निधि से कोई व्यय नहीं किया।

चार्ट 2.11: लोक लेखा शेषों की संरचना में वार्षिक परिवर्तन

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

### 2.5.2 आरक्षित निधियाँ

आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट एवं परिभाषित उद्देश्यों के लिए सुजित की जाती हैं। इन निधियों को राज्य को समेकित निधि से अंशदान या अनुदान द्वारा पूरा किया जाता है।

वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार के पास नौ सक्रिय आरक्षित निधियाँ (तीन<sup>11</sup> ब्याज सहित एवं छः<sup>12</sup> ब्याज रहित वाली) हैं। इन फंडों में 31 मार्च 2020 के अंत तक कुल संचित शेष ₹ 549.27 करोड़ था। जिसमें से ₹ 522.95 करोड़ ब्याज वाली आरक्षित निधि के अंतर्गत और ₹ 26.32 करोड़ गैर-ब्याज वाले आरक्षित निधि के अंतर्गत थे।

इसके अलावा, वर्ष 2001–02 से ₹ 26.32 करोड़ मूल्य की आरक्षित निधि का परिचालन नहीं किया गया है। ऐसी आरक्षित निधियों का विवरण तालिका 2.29 में दिया गया है।

**तालिका 2.29— निष्क्रिय आरक्षित निधियों के संबंध में सूचना**

(₹ लाख में)

क्रम सं.	मुख्य एवं लघु शीर्ष नामकरण के साथ	आरक्षित निधियों की संख्या	31 मार्च 2020 के शेष		अंतिम लेन देन का वर्ष
1	8115 103- मूल्यहास आरक्षित निधि— सरकारी वाणिज्यिक विभाग और उपक्रम	उपलब्ध नहीं	सी.आर. (Cr)	0.15	2018-19
2	8223 101- अकाल राहत निधि	उपलब्ध नहीं	सी.आर. (Cr)	33.98	*
	102- अकाल राहत निधि निवेश लेखा	उपलब्ध नहीं	डी.आर. (Dr)	9.61	*
3	8229 101- शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	उपलब्ध नहीं	सी.आर. (Cr)	0.54	*
4	8235 101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधि	उपलब्ध नहीं	सी.आर. (Cr)	314.41	2001-02
	102- जर्मीदारी उन्मूलन निधि	उपलब्ध नहीं	सी.आर. (Cr)	206.55	*
	200- अन्य निधियाँ	उपलब्ध नहीं	सी.आर. (Cr)	2,085.99	2001-02
<b>कुल योग</b>			<b>सी.आर. (Cr) जमा</b>	<b>2,632.01</b>	

(स्रोत: वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे)

\*अविभाजित बिहार से अंतर्निहित में मिला आंकड़ा। 15 नवंबर 2000 के बाद से कोई लेनदेन नहीं हुआ।

#### 2.5.2.1 समेकित निक्षेप निधि (स.नि.नि.)

12वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों को बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि के कारण देनदारियों सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधियों की स्थापना करनी चाहिए, और इन निधियों का उपयोग ऋणों के मोचन को छोड़कर किसी अन्य परियोजना के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के दिशा-निर्देश, जो निधि के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं, वर्ष की शुरुआत में बकाया देनदारियों का 0.5 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक योगदान निर्धारित करते हैं। इसके अलावा, संपूर्ण निधि का निवेश आर.बी.आई. द्वारा किया जाता है और निवेश का विस्तृत व्योरा वित्त लेखा के विवरण-22 में दिया गया है।

राज्य सरकार ने 2008–09 में एक समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की जो केवल बाजार ऋणों के परिशोधन के लिए थी और 2014–15 से, इसका उपयोग सरकार की बकाया देनदारियों के मोचन के

<sup>11</sup> मूल्यहास आरक्षित निधि—सरकारी वाणिज्यिक विभाग और उपक्रम, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष और राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष (एस.सी.ए.एफ.)

<sup>12</sup> निक्षेप निधि निवेश खाता, अकाल राहत कोष—निवेश खाता, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि, सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधि, जर्मीदारी उन्मूलन निधि और अन्य निधि।

लिए किया है। हालाँकि, इसकी स्थापना के बाद से इसका उपयोग नहीं किया गया। 31 मार्च 2020 को निधि का अंत शेष ₹ 5,740.12 करोड़ था। 31 मार्च 2020 तक उपार्जित ब्याज ₹ 150.44 करोड़ है।

### 2.5.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस.डी.आर.एफ.) से बदल दिया। निधि के निर्देशानुसार, केंद्र और राज्यों को निधि में एक निश्चित अनुपात में अंशादान करने की आवश्यकता है। उक्त अंशादान लोक लेखा के मुख्य शीर्ष – 8121 में हस्तांतरित किया जाना है। वर्ष के दौरान व्यय का संचालन मुख्य शीर्ष – 2245 के द्वारा किया जाता है।

राज्य सरकारों को, आर.बी.आई. के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के अनुसार ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज दर से एस.डी.आर.एफ. को ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। एस.डी.आर.एफ. के निवेश पर अर्जित आय के साथ एस.डी.आर.एफ. में वृद्धि को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किए गए ट्रेजरी बिलों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ अन्य ब्याज अर्जित जमा में निवेश किया जाना है।

एस.डी.आर.एफ. का उपयोग केवल आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के खर्च को पूरा करने के लिए किया जाना है और आपदा तैयारी, उद्धार, पुनर्निर्माण और अल्पीकरण के प्रावधान को एस.डी.आर.एफ. का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस तरह के व्यय को सामान्य बजटीय शीर्ष/राज्य योजना निधियों आदि में बनाया जाना है। एसडीआरएफ को प्रभारित व्यय का विवरण तालिका 2.30 में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.30: एसडीआरएफ पर भारित व्यय का विवरण**

(₹ करोड़ में)

2245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	स्थापना और प्रतिबद्ध	योजना		2019–20 के दौरान व्यय
			राज्य योजना	सी.एस./सी.ए.एस.	
<b>01 सूखा</b>					
101	अनुग्राहिक राहत	597.57	0.00	0.00	597.57
102	पेय जल आपूर्ति	0.00	0.00	0.00	0.00
282	लोक स्वास्थ्य	12.39	0.00	0.00	12.39
911	घटाएँ – अधिक अदायगियों की वसूली	(-)0.11	0.00	0.00	(-)0.11
<b>कुल: 01</b>		<b>609.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>609.85</b>
<b>02 बाढ़, चक्रवात, आदि</b>					
001	निदेशन और प्रशासन	0.00	0.00	0.00	0.00
101	अनुग्राहिक राहत	2,229.06	0.00	0.00	2,229.06
102	पेय जल आपूर्ति	0.21	0.00	0.00	0.21
104	चारे की पूर्ति	0.51	0.00	0.00	0.51
106	क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना	105.44	0.00	0.00	105.44
109	खराब जलापूर्ति, जल निकासी और मल–जल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना	0.41	0.00	0.00	0.41
112	जनसंख्या का निष्क्रमण	37.08	0.00	0.00	37.08
113	घर की मरम्मत /पुनर्निर्माण के लिए सहायता	7.95	0.00	0.00	7.95
114	कृषि लागतों के क्रय की खरीद के लिए किसानों को सहायता	528.21	0.00	0.00	528.21
117	पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता	0.40	0.00	0.00	0.40
118	मछली पकड़ने के लिए खराब नावों तथा उपकरणों की मरम्मत /प्रतिस्थापन के लिए सहायता	0.13	0.00	0.00	0.13
122	क्षतिग्रस्त सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना	3.73	0.00	0.00	3.73
799	उचंत	(-)0.13	0.00	0.00	(-)0.13
800	अन्य व्यय	15.50	0.00	0.00	15.50

2245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	स्थापना और प्रतिबद्ध	योजना		2019-20 के दौरान व्यय
			राज्य योजना	सी.एस./ सी.ए.एस.	
911	घटाएँ—अधिक अदायगियों की वसूली	(-)6.28	(-)1.24	0.00	(-)7.52
	कुल : 02	2,922.22	(-)1.24	0.00	2,920.99
<b>05 राज्य आपदा राहत निधि</b>					
101	आरक्षित निधि और जमा लेखा के अंतरण—आपदा राहत निधि	1,241.50	0.00	0.00	1,241.50
901	घटाएँ— राज्य आपदा राहत निधि से पूरी की गई	(-)1,241.50	0.00	0.00	(-)1,241.50
	कुल : 05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 भूकंप</b>					
113	घर की मरम्मत— पुर्ननिर्माण के लिए सहायता	0.01	0.00	0.00	0.01
	कुल : 06	0.01	0.00	0.00	0.01
<b>80 सामान्य</b>					
001	निदेशन और प्रशासन	22.35	0.00	0.99	23.34
102	प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन— आपदा वाले क्षेत्रों के लिए आक्रिमिक योजनाएँ	41.34	0.11	0.00	41.45
800	अन्य व्यय	0.00	0.40	0.00	0.40
911	घटाएँ — अधिक अदायगियों की वसूली	(-)3.52	(-)0.00	0.00	(-)3.53
	कुल : 80	60.16	0.51	0.99	61.66
	कुल : 2245	3,592.14	(-)0.73	0.99	3,592.41

(स्रोत: वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे)

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के लिए केन्द्र सरकार से ₹ 553.17 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है जिसे लोक लेखा में मुख्य शीर्ष –8121 के अन्तर्गत निधि में अंतरित नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को उस सीमा तक कम करके दिखाया गया।

### 2.5.2.3 गारंटी मोचन निधि

राज्य सरकार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा जारी किए गए बॉँडों और अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी गारंटियों से उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए 'गारंटी मोचन निधि' का गठन करती है और लाभार्थियों द्वारा लागू किया जाता है। निधि में जमा राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटियों के भुगतान के लिए किया जाना है और उन संस्थानों द्वारा भुगतान नहीं किया जाना है जिनकी ओर से गारंटी जारी की गई थी।

राज्य सरकार ने 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार न तो गारंटी मोचन निधि बनाया है और न ही गारंटी की उच्चतम सीमा तय करने के लिए कोई नियम बनाया है। राज्य सरकार ने उन अनुशंसाओं के अनुसार ₹ 27.51 करोड़ (वर्ष 2019-20 के प्रारंभ में ₹ 5,501.86 करोड़ की बकाया गारंटियों का 0.5 प्रतिशत) का न्यूनतम वार्षिक अंशदान नहीं किया।

राज्य सरकार को चालू वित्त वर्ष से पूर्व के दूसरे वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों के कम से कम 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि का योगदान करना आवश्यक था जैसा कि महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा बनाए गए लेखों की पुस्तकों में दर्शाया गया है। यह राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निवेश किया जाता है।

## 2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन सरकार के ऋण के प्रबंधन के लिए एक रणनीति को स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है ताकि आवश्यक मात्रा में धन जुटाया जा सके, इसके जोखिम और लागत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, और सरकार द्वारा अधिनियमित या कोई अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं से सरकार

द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। राज्य के बकाया ऋण का प्रवृत्ति विश्लेषण चार्ट 2.12 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.12: राज्य का बकाया ऋण



(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखा एवं एम.ओ.एस.पी.आई.)

जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष ऋण वर्ष 2018-19 में 31.85 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में 31.61 प्रतिशत हो गया लेकिन बी.एफ.आर.बी.एम. के लक्ष्य 25.73 प्रतिशत से काफी दूर है।

### 2.6.1 ऋण की रूप रेखा: घटक

राज्य सरकार का कुल ऋण आम तौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ और वित्तीय संस्थानों से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोक लेखा देयताओं से बना होता है। घटक वार ऋण प्रवृत्तियों को तालिका 2.31 में दर्शाया गया है।


तालिका 2.31: घटक वार ऋण प्रवृत्तियाँ

		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया कुल ऋण		1,16,577.60	1,38,721.50	1,56,776.77	1,68,921.33	1,93,381.85
लोक ऋण	आंतरिक ऋण	79,990.32	96,595.00	1,04,524.76	1,14,359.69	1,36,082.09
	भारत सरकार से ऋण	8,838.30	9,595.81	10,181.92	11,785.37	12,098.16
लोक लेखे पर देयताएँ		27,748.98	32,530.69	42,070.09	42,776.27	45,201.60
बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशतता)		17.69	18.99	13.02	7.75	14.48
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)		3,71,602	4,21,051	4,68,746	5,30,363	6,11,804
ऋण/जी.एस.डी.पी. (प्रतिशतता)		31.37	32.95	33.45	31.85	31.61
कुल ऋण प्राप्तियाँ		56,030.22	72,845.19	59,412.45	73,806.02	94,193.12
कुल ऋण पुनर्भगतान		38,508.43	50,701.29	41,357.18	61,661.46	69,732.59
कुल उपलब्ध ऋण		17,521.79	22,143.90	18,055.27	12,144.56	24,460.53
ऋण पुनर्भगतान/ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशतता)		68.73	69.60	69.61	83.55	74.03

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखा और एम.ओ.एस.पी.आई.)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2015–20 के दौरान बकाया ऋण का और जी.एस.डी.पी. से अनुपात 31.37 प्रतिशत से बढ़कर 33.45 प्रतिशत हो गया। राज्य का कुल ऋण पिछले पाँच वर्षों से बढ़ रहा है। आंतरिक ऋण प्रमुख घटक (68 प्रतिशत से 70 प्रतिशत) था जिसमें बाजार उधार शामिल हैं। पिछले वर्ष की तुलना में जी.एस.डी.पी. अनुपात में ऋण लगभग स्थिर है लेकिन अभी भी राज्य के बजट अनुमान से अधिक है। जी.एस.डी.पी. से ऋण का अनुमान चौदहवें वित्त आयोग (24.93 प्रतिशत) और बी.एफ.आर.बी.एम. (25.73 प्रतिशत) के अनुमान से अधिक है। लोक लेखा की बकाया देनदारियाँ भी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी हैं जो कि जी.एस.डी.पी. का 7.38 प्रतिशत और बकाया समग्र ऋण का 23.37 प्रतिशत था। बकाया कुल ऋण 14.48 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा था। 2019–20 के दौरान, राज्य को 2008–09 के बाद पहली बार राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा और इसकी भरपाई लोक ऋण से की गई है। पूँजीगत व्यय का पूँजीगत प्राप्तियों से अनुपात पिछले तीन वर्षों के दौरान घटती प्रवृत्ति का था जो समग्र आर्थिक मंदी का प्रभाव था।

चार्ट 2.13: घटक वार ऋण प्रवृत्तियाँ




	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बाजार उधारी	10,233.12	16,804.96	8,908.00	10,903.07	22,572.54
भारत सरकार से ऋण	115.86	757.51	586.11	1603.45	312.79
एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	2024.86	-1,713.12	-1,768.75	-1,819.02	-1,888.35
वित्तीय संस्थानों से ऋण	1,884.33	1,512.84	790.51	750.88	1,038.21
लघु बचत, पीएफ, आदि	-73.58	99.63	-80.25	277.8	190.4
जमा एवं अग्रिम	3,731.69	5,393.40	10,314.32	331.52	1,711.99
उचंत एवं विविध	-5,245.97	-5,666.65	-3813.95	1,793.23	-8509.14
प्रेषण	6.05	-7.05	-2.76	76.05	-796.5
आरक्षित निधि	-401.15	-712.03	-696.39	0	522.95
नकद शेष में वृद्धि/कमी	-213.62	9.66	68	-110.22	-430.95
सकल राजकोषीय घाटा	12,061.59	16,479.15	14,304.83	13,806.76	14,723.93

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.14: अदायगी की तुलना में लिया गया आंतरिक ऋण

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

## तालिका 2.32: राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्तपोषण पैटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
<b>राजकोषीय घाटे की संरचना</b>					
1 राजस्व अधिशेष(+) / घाटा(-)	12,507.16	10,819.81	14,823.01	6,896.65	(-)1784.13
2 निवल पूँजीगत व्यय	23,966.02	27,208.40	28,906.95	21,058.25	12,303.90
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	602.73	90.56	220.90	(-)354.84	635.90
<b>राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण पैटर्न</b>					
1 बाजार उधारी	10,233.12	16,804.96	8,908.00	10,903.07	22,572.54
2 भारत सरकार से ऋण	115.86	757.51	586.11	1,603.45	312.79
3 एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	2,024.86	(-)1,713.12	(-)1,768.75	(-)1,819.02	(-)1,888.35
4 वित्तीय संस्थानों से ऋण	1,884.33	1,512.84	790.51	750.88	1,038.22
5 छोटी बचत, पीएफ, आदि।	(-)73.58	99.63	(-)80.25	277.8	190.40
6 जमा और अग्रिम	3,731.69	5,393.40	10,314.32	331.52	1,711.99
7 उचंत और विविध	(-)5,245.97	(-)5,666.65	(-)3,813.95	1,793.23	(-)8,509.14
8 प्रेषण	6.05	(-)7.05	(-)2.76	76.05	(-)796.50
9 आरक्षित निधि	(-)401.15	(-)712.03	(-)696.39	0	522.95
<b>10 समग्र घाटा</b>					15,154.89
11 नकद शेष में वृद्धि / कमी	(-)213.62	9.66	68	(-)110.22	(-)430.95
<b>12 सकल राजकोषीय घाटा</b>	12,061.59	16,479.15	14,304.83	13,806.76	14,723.93

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राजकोषीय घाटा (एफ.डी.), मात्रात्मक शर्तें एवं जी.एस.डी.पी. (2.41 प्रतिशत) के तुलना, दोनों के अनुसार पिछले वर्ष से (2.60 प्रतिशत) घट गया। वर्ष 2019–20 में पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष से 41.57 प्रतिशत था जो दर्शाता है कि वर्तमान वर्ष में एफ.डी. से उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण काफी कम हुआ है।

### 2.6.2 ऋण की रूप रेखा: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफाइल ॠण पुनर्भुगतान या ॠण शोधन के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता दर्शाती है।

## तालिका 2.33: राज्य ॠण की अदायगी की ॠण परिपक्वता रूप रेखा


पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता (लोक ॠण के सापेक्ष)
0 – 1	7,544.31	4.85
1 – 3	15,455.99	9.92
3 – 5	24,491.50	15.73
5 – 7	26,546.51	17.05
7 एवं अधिक	81,657.45	52.45
अन्य <sup>13</sup>	0	-
<b>कुल</b>	<b>1,55,695.76</b>	<b>100.00</b>

(स्रोत: वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य का 50 प्रतिशत से अधिक ॠण 7 और उससे अधिक वर्षों के लिए है। राज्यों के ॠण की परिपक्वता रूप रेखा उसके पुनर्भुगतान बोझ में वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्शाता है।

<sup>13</sup> इस राशि का भुगतान विवरणी, महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा नहीं रखा जा रहा है।

चार्ट 2.15: ऋण परिपक्वता रूप रेखा



(स्रोत: वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे)

## 2.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण (डी.एस.ए.)

ऋण स्थिरता भविष्य में अपने ऋणों को चुकाने के लिए राज्य की क्षमता को इंगित करता है। राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अलावा, विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं। तालिका 2.34 2015–20 की अवधि के लिए ऋण स्थिरता का संकेतक प्रस्तुत करता है।

तालिका 2.34: ऋण स्थिरता संकेतकों में प्रवृत्तियाँ

ऋण स्थिरता संकेतक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया लोक ऋण*	88,828.63	1,06,190.81	1,14,706.68	1,26,145.06	1,48,180.25
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर	19.12	19.55	8.02	9.97	17.47
जी.एस.डी.पी.	3,71,602	4,21,051	4,68,746	5,30,363	6,11,804
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	8.35	13.31	11.33	13.15	15.36
ऋण / जी.एस.डी.पी.	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24
राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता प्रोफाइल – डिफॉल्ट इतिहास सहित, यदि कोई हो	4,124.85	4,214.57	4,653.55	7,229.82	7,109.83
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.68	7.67	7.73	7.68	7.58
राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	6.53	7.09	7.27	7.02	8.37
ऋण प्राप्ति के लिए ऋण पुनर्भुगतान की प्रतिशतता	22.44	19.53	35.34	38.73	24.39
राज्य को उपलब्ध निवल ऋण#	7,980.99	9,881.42	(-) 24.97	2,190.02	11,631.63
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	43.42	45.80	(-) 0.19	11.73	39.91
ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्पेड + प्राथमिक घाटा)	64,569.49	6,06,690.61	4,17,593.18	6,93,163.81	11,55,222.71


(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

\* बकाया लोक ऋण शीर्ष 6003 और आंतरिक ऋण शीर्ष 6004—केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम के तहत बकाया शेष राशि का योग है।

# राज्य सरकार को उपलब्ध शुद्ध ऋण की गणना लोक ऋण भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता और लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के रूप में की जाती है।

लोक ऋण की वृद्धि दर वर्ष के दौरान राज्य के जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर से अधिक है जो कि राजकोषीय संकेतक का अच्छा संकेत नहीं है। राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान का प्रतिशत पिछले पाँच वर्षों में सबसे अधिक है तथा चौदहवें वित्त आयोग के अनुमान (6.03 प्रतिशत) से अधिक है, लेकिन बी.एफ.आर.बी.एम. की सीमा के भीतर (राजस्व प्राप्तियों के 10 प्रतिशत से कम) है। ऋण पुनर्भुगतान से ऋण प्राप्ति का प्रतिशत पिछले वर्ष से घट रहा है जो दर्शाता है कि राज्य के पास अन्य उद्देश्यों के लिए पुनर्भुगतान के बाद अधिक ऋण है। राज्यों के लोक ऋण की वृद्धि दर एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाती है लेकिन पूँजीगत व्यय की वृद्धि दर पिछले तीन वर्षों के लिए एक नकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाती है। तात्पर्य यह है कि राज्य का लोक ऋण पूँजी निर्माण के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है।

चार्ट 2.16: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

### 2.7.1 उधार ली गई धनराशि का उपयोग

उधार ली गई धनराशि का उपयोग आदर्श रूप से पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग धारणीय नहीं है। उधार ली गई निधियों का उपयोग नीचे तालिका 2.35 में दिखाया गया है।

तालिका 2.35: उधार ली गई धनराशि का उपयोग


(₹ करोड़ में)

वर्ष		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल उधारी	2	56,030.22	72,845.19	59,412.45	73,806.02	94,193.12
पहले के उधारों की पुनर्भुगतान (मूलधन)	3	38,508.43	50,701.29	41,357.18	61,661.46	69,732.59
निवल पूँजीगत व्यय	4	23,966.02	27,208.40	28,906.95	21,058.25	12,303.90
निवल ऋण एवं अग्रिम	5	602.73	90.56	220.90	(-)354.84	635.90
निवल उपलब्ध उधारों में से राजस्व व्यय का एक भाग पूरा किया गया	6=2-3-4-5	(-)7,046.96	(-)5,155.06	(-)11,072.58	(-)8,558.85	11,520.73

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य की कुल उधारी पूर्व के उधारों के पुनर्भुगतान और पूँजीगत व्यय के लिए खर्च की गई है, लेकिन 2019-20 के दौरान, राजस्व व्यय के हिस्से में ₹ 11,520.73 करोड़ की राशि खर्च की गई है जिसे उधार के निवल उपलब्ध से पूरा किया गया है।

**चार्ट 2.17: उधार ली गई धनराशि का उपयोग की प्रवृत्ति**



उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि पिछले पाँच वर्षों से राज्य ऋण का 60 प्रतिशत से अधिक पूर्व ऋणों की अदायगी के लिए खर्च किया जा रहा है। इस प्रकार उधार ली गई निधियों से पूँजीगत व्यय के लिए बहुत कम राशि बचती है। जैसा कि प्रवृत्ति विश्लेषण से पता चलता है कि उधार ली गई निधियों से पूँजीगत व्यय कम करने की प्रवृत्ति है। वर्ष 2019-20 के लिए, राज्य के राजस्व घाटे के कारण 12.23 प्रतिशत राजस्व व्यय के रूप में उपयोग किया गया है।

### 2.7.2 गारंटियों की स्थिति – आकस्मिक देयताएँ

गारंटियाँ उधारकर्ता द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देनदारियाँ हैं जिसके लिए गारंटी की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों ने गारंटियों की अधिकतम सीमा के संबंध में कानून या निर्देश स्पष्ट किया है। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में, सरकारी गारंटियाँ दूसरे पूर्ववर्ती वर्ष के राज्य के कर और करेतर राजस्व के एक निश्चित प्रतिशत तक सीमित किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को तालिका 2.36 में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.36: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ**

गारंटियाँ	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
ब्याज सहित गारंटियों की बकाया राशि पर लागू सीमा (मानदंड)	9,763.37	13,459.21	20,581.52	21,181.52	21,181.52
ब्याज सहित गारंटियों की बकाया राशि	4,838.64	4,637.62	5,271.70	5,501.86	5,484.56

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

गारंटीकृत बकाया राशि की रचना इस प्रकार थी, बिजली (₹ 12,166.91 करोड़), सहकारी (₹ 1,268.84 करोड़), सिचाई (₹ 4.93 करोड़), सड़क और परिवहन (₹ 2,000.00 करोड़), राज्य वित्तीय निगम (₹ 183.57 करोड़),

शहरी विकास और आवास (₹ 90.00 करोड़), अन्य अवसंरचना (₹ 33.76 करोड़) और अन्य (₹ 5,086.09 करोड़)।

लोक उपक्रमों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, राज्य सरकार भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन एक गारंटी देती है जिसके लिए एक गारंटी शुल्क लिया जाता है। बिहार सरकार के संकल्प संख्या 7498 दिनांक 5 जुलाई, 1974 के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 1/8 प्रतिशत वार्षिक की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिसकी गारंटी राशि ₹ 10 लाख से अधिक है। गारंटी शुल्क की वसूली के लिए गारंटी विलेख में कोई खंड नहीं था। बिहार सरकार ने भी लोक उपक्रमों से गारंटी शुल्क का दावा नहीं किया। हालाँकि, 2019–20 में केवल एक कंपनी (बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम) से ₹ 3.13 करोड़ की गारंटी शुल्क प्राप्त हुई।

### 2.7.3 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन शेष राशि सहमत न्यूनतम से कम हो जाती है, तो समय–समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लेकर कमी को पूरा किया जाता है। राज्य सरकार के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार अपने अधिशेष नकद शेष को लघु और दीर्घकालिक भारत सरकार की प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निवेश करती है। इस तरह के निवेश से प्राप्त लाभ को '0049—ब्याज प्राप्तियाँ' शीर्ष के तहत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। नकद शेष राशि को समेकित निक्षेप निधि, गारंटी मोचन निधि में भी निवेश किया जाता है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकार बड़े नकद शेष होने के बावजूद बाजार ऋण का आश्रय लेती है जिससे नकद शेष राशि को उत्पादक उपयोग में लाए बिना और इसमें अधिक अभिवृद्धि होती है। नकद शेष राशि और उनके निवेश और नकद शेष निवेश लेखों का विवरण क्रमशः तालिका 2.37 और 2.38 में दिखाया गया है।

तालिका 2.37: नकद शेष और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2019 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2020 को अंत शेष
<b>अ. सामान्य नकद शेष</b>		
कोषागार में नकद	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	157.12	588.07
अन्य बैंकों में जमा	-	-
पारगमन में प्रेषण – स्थानीय	-	-
नकद शेष निवेश लेखे में धारित निवेश	14,791.80	17,588.74
<b>कुल (अ)</b>	<b>14,948.92</b>	<b>18,176.81</b>
<b>ब. अन्य नकद शेष और निवेश</b>		
विभागीय अधिकारियों अर्थात् लोक निर्माण, वन अधिकारियों के पास नकद	234.65	234.65
विभाग के अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	758.52	760.97
निर्धारित निधि में निवेश	4,895.22	5,740.22
<b>कुल (ब)</b>	<b>5,888.39</b>	<b>6,735.84</b>
<b>कुल (अ+ब)</b>	<b>20,837.31</b>	<b>24,912.65</b>
<b>ब्याज प्राप्तियाँ</b>	<b>909.08</b>	<b>938.84</b>

(स्रोत: वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे)


तालिका 2.38: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंत शेष	वृद्धि (+) / कमी (-)	अर्जित ब्याज
2015-16	3,528.80	8,199.24	4,670.44	453.33
2016-17	8,199.24	13,001.71	4,802.47	804.44
2017-18	13,001.71	17,395.63	4,393.92	799.82
2018-19	17,395.63	14,791.80	(-)2,603.83	909.08
2019-20	14,791.80	17,588.74	2,796.94	938.84


(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.18: नकद शेष की तुलना में बाजार ऋण



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

नकद शेष निवेश लेखे में ₹ 17,588.74 करोड़ की अंतिम शेष राशि होने के बावजूद सरकार ने बाजार ऋण का आश्रय लिया जबकि इस वर्ष के लिए निवल बाजार ऋण ₹ 22,572.54 करोड़ है। गौरतलब है कि नकद शेष निवेश लेखा की राशि संचयी होती है।

चार्ट 2.19: वर्ष के दौरान नकद शेष राशि और शुद्ध नकद शेष निवेश का माहवार संचलन  
(₹ करोड़ में)

(स्रोत: वर्ष 2019-20 के मासिक सिविल लेखे)

ऊपर दिए गए चार्ट से पता चलता है कि दूसरी छमाही में नकद शेष राशि पहली छमाही की तुलना में अधिक है क्योंकि इस अवधि में आने वाले भारत सरकार से अधिकांश निधि (73 प्रतिशत) प्राप्त होने के कारण है। इसके अलावा, इसी अवधि से यह भी पता चलता है कि राज्य इस अवधि में अधिशेष नकदी के कारण नकद शेष निवेश लेखों को डेबिट कर रहा है।

## 2.8 निष्कर्ष और अनुशंसाएँ

घाटा संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन सरकार के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करने का प्रमुख मानदंड हैं।

सकारात्मक संकेतक	नकारात्मक संकेतक
राजकोषीय घाटा राज्य के एफ.आर.बी.एम. अधिनियम की सीमा के भीतर था।	राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कमी
राज्य के अपने संसाधनों (कर राजस्व) में थोड़ी वृद्धि हुई है।	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का घटा हुआ प्रतिशतता
भारत सरकार की ओर से मिलने वाली अनुदान राशि में वृद्धि हुई है।	प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि
निक्षेप निधि निवेश लेखे में निवेश बढ़ा दिया गया है।	बी.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम की सीमा से अधिक जी.एस.डी.पी.अनुपात से ऋण का अनुपात बढ़ना। बिगड़ते ऋण स्थिरता संकेतक गारंटी मोचन निधि का निर्माण न करना।


### अनुशंसाएँ:-

वित्त विभाग को समीक्षा करनी चाहिए:-

- बजट तैयार करने की प्रक्रिया, ताकि बजट अनुमानों और वास्तविक के बीच की खाई को कम किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार करें कि राजस्व के बकाया को शीघ्रता से एकत्र किया जा सके ताकि राज्य के राजकोषीय घाटे के बोझ को कम किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी की कटौती पूरी तरह से काटी जाती है, सरकार द्वारा भी योगदान दिया जाता है, और समय पर पूरी तरह से एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित की जाती है।
- परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है। सभी अधूरी परियोजनाओं के संशोधित अनुमान तैयार किए जाने चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदित किए जाने चाहिए ताकि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सके।
- उन संस्थाओं में, जिनका वित्तीय प्रदर्शन पूँजी की उधार लागत को पूरा नहीं करता है, कोई निवेश नहीं किया जाना चाहिए या उन संस्थाओं को ऋण नहीं दिया जाना चाहिए जिनके लेखे बकाया हो।
- सभी आरक्षित निधियाँ जिनमें पिछले कई वर्षों से कोई लेन-देन नहीं हुआ है, उन्हें बंद कर देना चाहिए।
- बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने ब्याज भुगतान को बाधित करना।

## **अध्याय—III**

### **वित्तीय प्रबंधन**



## 3.1 प्रस्तावना

यह अध्याय अनुपूरक अनुदानों सहित बजटीय प्रक्रिया एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की प्रमाणिकता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता तथा अनुषांगिक वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करता है कि नीतिगत स्तर पर लिए गए निर्णय निधियों का विचलन किए बिना प्रशासनिक स्तर पर कार्यान्वित है। यह विनियोग लेखे के अंकेक्षण पर आधारित है एवं विनियोग के अनुदान—वार विवरणी एवं सेवा प्रदाय विभागों द्वारा इन आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की शैली को प्रदर्शित करता है।

### 3.1.1 बजट प्रक्रिया


बजट की वार्षिक प्रक्रिया सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिये विस्तृत रोडमैप का एक माध्यम है। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के अगस्त—सितम्बर में वित्त विभाग द्वारा बजट परिपत्र जारी किये जाने के साथ ही बजट प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें शामिल निर्देशों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान और अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमानों की तैयारी किये जाने हेतु सभी विभागों को पालन करना होता है।

बिहार सरकार ने 01 अप्रैल, 2019 से सभी वित्तीय गतिविधियों के निर्बाध एकीकरण हेतु व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी0एफ0एम0एस0) के रूप में एक परियोजना शुरू की है जो कि वर्तमान व्यापक कोषागार प्रबंधन सूचना प्रणाली (सी0टी0एम0आई0एस0) को प्रतिस्थापित करता है। बजट की तैयारी सी0एफ0एम0एस0 के तहत बजट प्रबंधन के उप—अनुखंडों में से एक है।

विधायी प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के व्यय हेतु अनिवार्य शर्त है। राज्य सरकार ने वित्तीय नियमों का गठन किया है एवं व्यय हेतु वित्तीय शक्तियों को प्रत्यायोजित किया है और अधिकृत स्तर द्वारा ऐसे व्यय के विनियोग और पुनर्विनियोग को प्रतिबंधित सीमा के अन्दर स्वीकृति देने हेतु सक्षम प्राधिकार के स्तर का निर्धारण किया है। अनुपूरक अनुदान के अतिरिक्त, पुनर्विनियोजन का उपयोग अनुदान के अन्दर राशि का पुनः आवंटन करने के लिए भी किया जा सकता है।


राज्य में एक विशिष्ट बजट तैयार करने की प्रक्रिया नीचे दिए गए चार्ट 3.1 में दी गई है।

चार्ट 3.1



बजट के विभिन्न घटकों को नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट नं 3.2: बजट के घटक



कई अनुदानों में अनुपूरक प्रावधान पूर्ण रूप से अनावश्यक थे क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था (विवरण पर कंडिका 3.4 में चर्चा की गई है)।

### 3.1.2 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश

कुल बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/आधिक्य की सारभूत स्थिति जिसे दत्तमत और भारित के रूप में द्विभाजित करते हुए नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य  
(₹ करोड़ में)

	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत / आधिक्य	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
राजस्व	1,65,461.84	12,190.51	1,15,075.82	12,025.85	50,386.02	164.66 <sup>14</sup>
पूँजीगत	43,167.30	7,667.53	15,430.42	7,109.83	27,736.88	557.70
<b>कुल</b>	<b>2,08,629.14</b>	<b>19,858.04</b>	<b>1,30,506.24</b>	<b>19,135.68</b>	<b>78,122.90</b>	<b>722.36</b>

(स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

### 3.1.3 भारित एवं दत्तमत संवितरण

पिछले पाँच वर्ष (2015–20) के दौरान भारित एवं दत्तमत में किये गए कुल संवितरण का विवरण तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: 2015–16 से 2019–20 के दौरान भारित एवं दत्तमत व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संवितरण		बचत / आधिक्य	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
2015-16	1,01,450.02	11,848.75	34,905.20	227.61
2016-17	1,14,849.67	13,148.65	40,976.08	377.23
2017-18	1,26,263.69	14,683.63	45,757.76	638.90
2018-19	1,42,022.59	18,294.88	48,352.56	819.60
2019-20	1,30,506.24	19,135.68	78,122.90	722.36

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

<sup>14</sup> अनुदान संख्या 32 में ₹ 2.30 करोड़ का अधिकाई व्यय सम्मिलित है।

### 3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियम द्वारा बजट के दोनों मदों, भारित और दत्तमत के रूप में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण तथा पुनर्विनियोगों को अलग—अलग दर्शाता है एवं विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत और राजस्व व्यय को इंगित करता है। इस प्रकार विनियोग लेखे, निधि के उपयोग, वित्त के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी को समझना सुगम करता है।

नियंत्रक—महालेखापरीक्षक विनियोग के अंकेक्षण से यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय वास्तव में विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकार के अनुसार है अथवा नहीं और ऐसे व्यय जिसे संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किये जाने की आवश्यकता है उसे निर्दिष्ट प्रकार से प्रभारित किया गया है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

### 3.3 बजटीय सम्पूर्णता और लेखा प्रक्रिया पर टिप्पणियाँ

बजट अखंडता का अर्थ है कि सार्वजनिक धन को जनहित के अनुसार उपयुक्त रूप से व्यय किया जाए। बजट विश्वसनीय होना चाहिए एवं राजकोषीय और वित्तीय प्रतिवेदन में निहित सूचनाएँ विश्वसनीय होनी चाहिए। बजट की अखंडता और जवाबदेही अंततः व्यय को वास्तविक रूप से नियोजित करने, अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को ससमय और कुशलतापूर्वक लागू करने की विभाग की क्षमता पर निर्भर करेगी। सटीक और समय पर बजट प्रतिवेदन बनाने की विभाग की क्षमता में सुधार के द्वारा, सरकार बजट की संपूर्णता में सुधार और लोक निधि के उपयोग के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी।

#### 3.3.1 विधायी प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित किए गए विनियोग को छोड़कर, राज्य की समेकित निधि से किसी धन की निकासी नहीं की जा सकती। राज्य के आकस्मिकता निधि से पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान, विनियोग, या अग्रिम द्वारा अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के अतिरिक्त प्रावधानित राशि के बिना किसी नई योजना अथवा पूर्व से मौजूद योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जा सकता है। बजट प्रावधान के बिना खर्च का विवरण तालिका 3.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: बजट प्रावधान के बिना व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	खातों का विवरण	व्यय
1.	17	2040-00-101-0001- जिला प्रभार	1.63
2.	20	2211-00-001-0104- मानव संसाधन में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा	3.61
3.	22	2055-00-111-0001- टिकट रहित यात्रियों के खिलाफ ड्राइव	2.71
4.		2055-00-800-0001- अर्धसैनिक बल की प्रतिनियुक्ति पर व्यय	0.45
5.		2055-00-800-0004- आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा पर व्यय (केंद्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति)	0.06
6.	48	2217-80-800-0125- ई—गवर्नेंस/ शहरी सुधार कार्यक्रम और उसके समकक्ष कार्यक्रम	4.80
7.	51	2236-02-101- गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं दूध पिलाने वाली माताओं को पौष्टिक आहार वितरण की योजना	5.32
योग			18.58

(स्रोत: वर्ष 2019–20 के लिए विस्तृत विनियोग लेखे)

मूल/अनुपूरक बजटीय प्रावधान के बिना इन व्ययों को किया जाना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। उत्तर/जबाब प्रतीक्षित है (मई 2021)।

### 3.3.2 राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप या इनके विपरीत गलत वर्गीकरण

पूँजीगत व्यय मुख्य रूप से स्थायी प्रकृति की यथार्थपूर्ण संपत्तियों के निर्माण/ अर्जन/वृद्धि करने या स्थायी उत्तरदायित्व को कम करने के उद्देश्य से किया जाता है। स्थापना एवं प्रशासनिक इकाई को चलाने के लिए और अपनी संपत्ति के रखरखाव के लिए किए गए अन्य सभी व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2019–20 के दौरान, स्थापना एवं प्रशासनिक शीर्षों पर ₹ 50.45 करोड़ का व्यय किया गया था जिसे पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था। विवरण तालिका 3.4 में दर्शाया गया है।

**तालिका: 3.4 राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	गलत वर्गीकरण का प्रकार	राशि
1.	वेतन	42.49
2.	वाणिज्यिक और विशेष सेवाएं	4.58
3.	कार्यालय व्यय	2.58
4.	यात्रा व्यय	0.10
5.	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.32
6.	पोशाक और वर्दी	0.06
7.	किराया दर और कर	0.26
8.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.06
कुल		50.45

(स्रोत: वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे)

राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप कुल पूँजीगत व्यय के आँकड़ों में वृद्धि हुई।

### 3.3.3 अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

जब ऐसे अतिरिक्त व्यय जो कि अपरिहार्य हो, और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए उस अनुदान में अतिरिक्त राशि के बचत होने की कोई सम्भावना न हो जिसे पुनर्विनियोग के माध्यम से पूरा किया जा सके, तब सम्बंधित विभाग के सचिव वित्त विभाग को पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन के लिए प्रस्ताव रखते हैं।

2019–20 के दौरान, 51 मामलों (39 अनुदान/विनियोग) में, ₹ 21,084.50 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए और शत्-प्रतिशत अप्रयुक्त रहे जबकि व्यय (₹ 1,14,219.75 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 1,62,210.58 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुँचा था जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में वर्णित है।

यद्यपि, सात महत्वपूर्ण मामले ऐसे थे जहाँ ₹ 15,070.29 करोड़ (प्रत्येक मामले में 1000 करोड़ और अधिक) का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है।

**तालिका 3.5: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 1,000 करोड़ या अधिक)**

(₹ करोड़ में)

<b>राजस्व (दत्तमत)</b>					
क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में हुई बचत
1.	16- पंचायती राज विभाग	11,956.31	1,420.04	8,689.62	3,266.69
2.	20- स्वास्थ्य विभाग	7,693.06	1,590.75	6,960.84	732.22
3.	21- शिक्षा विभाग	34,027.21	3,033.56	25,958.41	8,068.80

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में हुई बचत
4.	39- आपदा प्रबंधन विभाग	4,314.76	3,037.12	3,621.18	693.58
5.	42- ग्रामीण विकास विभाग	15,639.03	2,924.05	9,692.46	5,946.57
6.	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	5,148.79	1,086.25	2,984.53	2,164.26
(अ) कुल राजस्व (दत्तमत)	<b>78,779.16</b>	<b>13,091.77</b>	<b>57,907.04</b>	<b>20,872.12</b>	
7. पूंजीगत (दत्तमत)					
8. 49- जल संसाधन विभाग	2,529.66	1,978.52	954.33	1,575.33	
(ब) कुल पूंजीगत (दत्तमत)	<b>2,529.66</b>	<b>1,978.52</b>	<b>954.33</b>	<b>1,575.33</b>	
कुल योग	<b>81,308.82</b>	<b>15,070.29</b>	<b>58,861.37</b>	<b>22,447.45</b>	

(स्रोत: वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

पर्याप्त कारण के अभाव में, मूल अनुदानों में बचत के बावजूद अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए गए थे। इस प्रकार, अन्य विभाग अपूर्ण योजनाओं के लिए धन प्राप्त नहीं कर सके।

### 3.3.4 अनावश्यक और अत्यधिक पुनर्विनियोग

30 अनुदानों/विनियोगों के 67 विस्तृत शीर्षों के तहत ₹ 202.73 करोड़ का पुनर्विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 143.33 करोड़ का समर्पण किया गया था और अंतिम बचत ₹ 880.95 करोड़ था (परिशिष्ट 3.2)।

यह भी पाया गया कि 8 अनुदानों/विनियोगों के 16 विस्तृत शीर्षों को पुनर्विनियोग के माध्यम से ₹ 1,008 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई जो कि ₹ 324.49 करोड़ (परिशिष्ट 3.3) की बचत (प्रत्येक मामले में 50 लाख से अधिक) को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक साबित हुई। यह वास्तविक आवश्यकताओं के आकलन किए बिना अविवेकपूर्ण ढंग से पुनर्विनियोजन किये जाने का संकेत करता है।

कुल 51 अनुदानों में से 15 अनुदानों/विनियोगों के तहत 59 मामलों में ₹ 106.67 करोड़ की राशि का पुनर्विनियोग किया गया था जिसके लिए पुनर्विनियोजन आदेश जो 31 मार्च 2020 को जारी किये गए थे। जैसा कि परिशिष्ट 3.4 में दर्शाया गया है। विशिष्ट कारणों के बिना पुनर्विनियोग, व्यय—नियंत्रण तंत्र में कमी की ओर संकेत करता है।

पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से प्रावधानों में की गयी वृद्धि अनावश्यक/अत्यधिक साबित हुई क्योंकि व्यय, मूल/अनुपूरक बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं हो सका था।

### 3.3.5 अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़े बचत/समर्पण

प्रशासनिक और वित्त विभागों को अनुमानों की गणना करते समय पिछले वास्तविकों के औसत से लगातार सिद्ध हो चुके और अच्छी तरह से परखे जा चुके नियंत्रण को लागू करना चाहिए। उन सभी ज्ञात या यथोचित प्रत्याशित तथ्यों के साथ इसकी जांच करनी चाहिए जो उस औसत को संशोधित कर सकता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, 49 अनुदानों से संबंधित दत्तमत एवं भारित व्यय के अंतर्गत बचत के ऐसे 51 मामलों में ₹ 77,502.41 करोड़ (कुल प्रावधान ₹ 2,06,717.97 करोड़ का 37.49 प्रतिशत) प्रत्येक ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की राशि के थे जैसा कि परिशिष्ट 3.5 में दर्शाया गया है।

आगे, कुल अनुदान/विनियोग और व्यय के बीच महत्वपूर्ण विविधता (प्रत्येक मामले में 20 प्रतिशत और अधिक), 42 अनुदानों/विनियोगों के तहत ₹ 72,976.16 करोड़ के बचत की ओर ले जाती है। जिसके कारणों को विनियोग लेखे में उचित रूप से नहीं बताया गया है जैसा कि परिशिष्ट 3.6 में विस्तृत है।

विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक अनुदानों/विनियोगों के ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक के बचतों वाले मामलों की जाँच से पता चला की 26 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित 29 मामलों में कुल ₹ 29,680.66 करोड़ और अधिक के सतत बचत हुए जैसा कि **परिशिष्ट 3.7** में विस्तृत है। निरंतर बचत यह संकेत करता है कि बजट आवंटन पिछले वर्षों के व्यय पर विचार किए बिना किया गया था। वर्ष 2019–20 में 50 प्रतिशत से कम के बजट उपयोग को **तालिका 3.6** में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.6: 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग वाले अनुदान/विनियोग (2019–20)**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	वर्षों की संख्या*	बजट 2019–20
1.	3	59.06	50.78	51.50	72.75	29.78	1	5,988.35
2.	4	71.54	78.95	60.02	62.03	49.19	1	618.89
3.	5	76.99	78.57	70.42	84.69	4.31	1	30.89
4.	9	67.16	66.55	78.62	62.61	25.77	1	2,302.61
5.	23	71.77	77.53	73.35	85.01	46.78	1	930.47
6.	30	90.25	87.52	50.68	57.59	48.98	1	510.22
7.	37	84.45	94.55	68.71	34.37	29.41	2	12,067.97
8.	39	14.09	32.90	65.60	34.07	49.22	4	7,357.68
9.	41	88.18	90.56	88.33	90.51	36.50	1	7,605.56
10.	46	67.98	19.34	83.84	43.72	16.23	3	314.74
11.	48	62.80	73.07	64.11	61.52	49.17	1	6,395.04
12.	49	87.62	74.95	69.74	94.17	31.97	1	5,669.12
13.	50	52.59	57.97	61.01	81.10	31.30	1	1,629.69

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

\* 50 प्रतिशत से कम उपयोग के साथ वर्षों की संख्या

इन 13 अनुदानों में से तीन अनुदान ऐसे हैं जिनका बजट उपयोग पिछले पांच वर्षों में दो या उससे अधिक बार 50 प्रतिशत से कम था। अनुदान 37 (ग्रामीण कार्य विभाग) के तहत मुख्य बचत मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और ग्रामीण संपर्क निश्चय योजना जैसी पूँजीगत योजनाओं के तहत थी। अनुदान 39 (आपदा प्रबंधन विभाग) के अन्तर्गत बचत क्षतिग्रस्त सङ्करणों और पुलों की मरम्मत और पुनःस्थापन, क्षतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली की मरम्मत, बाढ़ नियंत्रण प्रणाली और कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) जैसी राजस्व योजनाओं के तहत थी। अनुदान 46 (पर्यटन विभाग) के अन्तर्गत बचत पर्यटन संरचनाओं के विकास जैसी पूँजीगत योजनाओं में प्रदर्शित है।

मार्च 2020 के अंत में अभ्यर्पित राशि की जाँच (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ और अधिक) से पता चला कि 16 अनुदानों के अन्तर्गत ₹ 16,198.55 करोड़ का अभ्यर्पण था जैसा कि **तालिका 3.7** में दर्शाया गया है। 15 अनुदानों के तहत अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि मूल प्रावधान के स्तर तक भी व्यय का नहीं होना निधियों के गलत आकलन की ओर संकेत करता है।

**तालिका 3.7: मार्च 2020 के अंत में ₹ 100 करोड़ और उससे अधिक की राशि के अभ्यर्पण का विवरण**

(₹ करोड़ में)


क्रम सं.	अनुदान संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि
1.	1	2,958.77	660.07	3,618.84	2,152.49	1,466.35	423.06
2.	3	5,375.06	613.29	5,988.35	1,783.34	4,205.01	250.00
3.	6	536.51	398.28	934.79	610.85	323.94	160.00
4.	9	1,997.71	304.90	2,302.61	593.29	1,709.32	139.35

क्रम सं.	अनुदान संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि
5.	12	2,049.96	80.07	2,130.03	1,645.52	484.51	245.90
6.	16	12,206.31	1,420.04	13,626.35	8,734.75	4,891.60	146.68
7.	21	34,798.69	3,425.98	38,224.67	26,084.00	12,140.67	1,413.94
8.	23	821.39	109.08	930.47	435.26	495.21	102.50
9.	35	2,488.95	67.15	2,556.10	1,372.42	1,183.68	151.86
10.	37	10,917.97	1,150.00	12,067.97	3,549.02	8,518.95	4,746.66
11.	39	4,320.56	3,037.12	7,357.68	3,621.18	3,736.50	1,594.41
12.	40	886.80	85.11	971.91	561.72	410.19	140.31
13.	41	7,005.56	600.00	7,605.56	2,776.07	4,829.49	1,487.78
14.	42	15,669.04	2,924.05	18,593.09	9,692.46	8,900.63	3,382.74
15.	49	3,652.30	2,016.82	5,669.12	1,812.40	3,856.72	306.47
16.	51	7,037.73	2,677.60	9,715.33	7,376.09	2,339.24	1,506.89
<b>कुल</b>		<b>1,12,723.31</b>	<b>19,569.56</b>	<b>1,32,292.87</b>	<b>72,800.86</b>	<b>59,492.01</b>	<b>16,198.55</b>

(स्रोत: वर्ष 2019–20 के लिए विनियोग लेखे)

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि, अनुपूरक प्रावधान होने के बावजूद, ₹ 100 करोड़ से अधिक के अभ्यर्पण वाले 16 अनुदानों में मूल प्रावधानों का उपयोग नहीं किया गया, जिससे अनुपूरक प्रावधान निष्फल हो गए। आगे, छ: अनुदानों में अभ्यर्पण की राशि अनुपूरक प्रावधानों से भी अधिक थी। इसके अतिरिक्त अनुदान संख्या<sup>15</sup> 3, 37, 41 और 49 मुख्य रूप से पूँजीगत व्यय करने के लिए जिम्मेदार विभाग के बजट प्रावधानों के 70 प्रतिशत से अधिक की बचत दर्शाते हैं। जल संसाधन विभाग से संबंधित अनुदान 49 ने मूल बजट प्रावधानों के 106 प्रतिशत की बचत प्रदर्शित किया।

चार्ट 3.3: वर्ष 2019–20 की कुल बचत एवं बचत के प्रतिशत के अनुसार समूहित अनुदानों / विनियोगों की संख्या




(स्रोत: वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

उपरोक्त चार्ट से पता चलता है कि 51 अनुदानों में से 31 अनुदानों में बजट प्रावधानों का उपयोग 40 प्रतिशत से कम है और केवल 2 अनुदानों में उपयोग 80 प्रतिशत से अधिक है। इसलिए, राज्य को

<sup>15</sup> 3—भवन निर्माण विभाग, 37—ग्रामीण कार्य विभाग, 41—पथ निर्माण विभाग, 49—जल संसाधन विभाग


उनकी बजट पद्धति का पुनरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि सभी अनुदानों में से 60 प्रतिशत अनुदान अपने आवंटित बजट प्रावधानों के 40 प्रतिशत का भी उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं।

**चार्ट 3.4: वित्तीय वर्ष 2019–20 की समाप्ति से पहले बचत और समर्पण**  
(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

**चार्ट 3.5: 2015–16 से 2019–20 के दौरान बजट उपयोग**



(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण बचत का एक कारण केंद्र सरकार से राशि की विलम्ब से प्राप्ति हो सकती है, चूंकि केंद्रीय निधि का बड़ा भाग अक्टूबर 2019 (55.91 प्रतिशत), फरवरी 2020 (17.08 प्रतिशत) और मार्च 2020 (18.51 प्रतिशत) में प्राप्त हुआ।

लेखापरीक्षा ने विश्लेषण किया कि अत्यधिक बचत/अभ्यर्पण के कारणों में अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, कमजोर व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रण, और वित्तीय वर्ष के अंत में निधि को जारी करना है। अत्यधिक बचत अन्य विभागों को भी निधि से वंचित करती है, जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

### 3.3.6 अधिकाई व्यय और उसका नियमन

संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (ब) में यह प्रावधान है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सेवा पर कोई धनराशि उस वित्तीय वर्ष में उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक व्यय की गई है, तो राज्यपाल इस हेतु आधिक्य की मांग राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि, राज्य सरकार वित्तीय वर्ष में अनुदानों/विनियोगों में प्रावधान के आधिकाई व्यय को राज्य विधानमंडल द्वारा अनिवार्य रूप से नियमन करायेगी।

यद्यपि, अधिकाई व्यय के नियमन की कोई समय सीमा इस अनुच्छेद के अन्तर्गत निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे की चर्चा पूरी होने के बाद अधिकाई व्यय का नियमन किया जाता है। ऐसा करने में विफल होना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है और लोकनिधि के उपयोग पर विधायिका द्वारा कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल करती है।

#### 3.3.6.1 वित्तीय वर्ष से संबंधित अधिकाई व्यय जिसके लिए प्रतिवेदन प्रस्तावित है

वर्ष के लिए प्रावधान से अधिकाई व्यय न सिर्फ विधायी मंजूरी की आवश्यकता के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसे प्रयोजन के लिए किए गए बजट के विरुद्ध किये जा रहे व्यय की निगरानी द्वारा बचा जा सकता था।

वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि अनुदान 32–विधानमंडल के अंतर्गत राजस्व (प्रभारित) खंड में ₹ 2.30 करोड़ का अधिकाई व्यय था जैसा कि नीचे तालिका 3.8 में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.8: वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदानों/विनियोगों पर अधिक संवितरण**

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं० एवं नाम	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
भारित राजस्व 32- विधान मंडल	1.16	3.46	2.30

(स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

अंतिम आधिक्य का कारण सूचित नहीं किया गया है (जनवरी 2021)।

#### 3.3.6.2 पिछले वित्तीय वर्ष के अधिकाई व्यय का नियमितीकरण

संघीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पशुपालन विभाग के अंतर्गत 1987–88 से 1996–97 की अवधि से संबंधित ₹ 657.98 करोड़ के अधिक व्यय के 10 मामले विचाराधीन थे और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 1989–90 के एक मामले में ₹ 0.35 करोड़ की राशि के नियमितीकरण के लिए 04 फरवरी 2021 को अनुशंसा की गई थी।

पूर्ववर्ती वर्षों (2015–20) से संबंधित अधिकाई व्यय की जाँच की गई और पाया गया कि योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत 2015–16 के एक मामले में ₹ 119.01 करोड़ को नियमित किया गया था (13 अप्रैल 2018)।

## तालिका 3.9: पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित नियमितीकरण वाले व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान / विनियोग विवरण	अतिरिक्त राशि को विनियोग लेखे में टिप्पणी के अनुसार नियमन की आवश्यकता	नियमितीकरण की स्थिति
1987-88	पशुपालन	6.92	मामला विचाराधीन है
1988-89		6.13	
1989-90		8.65	
1990-91		29.29	
1991-92		70.72	
1992-93		87.77	
1993-94		125.03	
1994-95		170.61	
1995-96		146.49	
1996-97		6.37	
कुल		657.98	

(स्रोत: महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के पी०ए०सी० अनुभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े)

## 3.4 बजट प्रावधान और अपेक्षा एवं वास्तविकी के बीच का अंतर

कर प्रबंधन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न वित्तीय संकेतकों की प्राप्ति को संतुलित रखता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बजट (मूल/पूरक) प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति तालिका 3.10 में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.10: वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बजट (मूल/पूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि	मार्च 2020 में अभ्यर्पित की गई राशि	मार्च 2020 में अभ्यर्पित बचतों की प्रतिशतता (कॉलम 8/कॉलम 6 *100)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
दत्तमत	I- राजस्व	1,43,374.97	22,086.87	1,65,461.84	1,15,075.82	50,386.02	9,416.97	719.63	1.42
	II- पूँजीगत	36,592.62	4,955.17	41,574.79	14,764.12	26,783.67	7,068.30	1,302.54	4.86
	III- ऋण और अग्रिम	1,441.81	177.70	1,619.51	666.30	953.21	228.40	0	0
कुल दत्तमत	<b>1,81,409.40</b>	<b>27,219.74</b>	<b>2,08,629.14</b>	<b>1,30,506.24</b>	<b>78,122.90</b>	<b>16,713.67</b>	<b>2,022.17</b>	<b>2.59</b>	
प्रभारित	IV. राजस्व	11,855.68	334.83	12,190.51	12,025.85	164.66	0	0	0
	V- पूँजीगत	0	0	0	0	0	0	0	0
	VI- सार्वजनिक ऋण अदायकी	7,235.93	431.60	7,667.53	7,109.83	557.70	0	0	0
कुल प्रभारित	<b>19,091.61</b>	<b>766.43</b>	<b>19,858.04</b>	<b>19,135.68</b>	<b>722.36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
कुल योग	<b>2,00,501.01</b>	<b>27,986.17</b>	<b>2,28,487.18</b>	<b>1,49,641.92</b>	<b>78,845.26</b>	<b>16,713.67</b>	<b>2,022.17</b>	<b>2.56</b>	

टिप्पणी: व्यय में ₹ 1,085.01 करोड़ की राशि के राजस्व व्यय की वसूली/वापसी और ₹ 2,460.21 करोड़ के पूँजीगत व्यय की वसूली व्यय में कभी के रूप में समायोजन शामिल है।

(स्रोत: वर्ष 2019-20 के विनियोग लेखे)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान ₹ 2,28,487.18 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध केवल ₹ 1,49,641.92 करोड़ (65.49 प्रतिशत) का व्यय हुआ। यह दर्शाता है कि ₹ 27,986.17 करोड़ का पूरक प्रावधान परिहार्य था क्योंकि व्यय मूल प्रावधान (₹ 2,00,501.01 करोड़) के स्तर तक भी नहीं आया था। ₹ 78,845.26 करोड़ की समग्र बचत, राजस्व भाग के अन्तर्गत 46 अनुदानों तथा आठ विनियोगों में ₹ 50,550.68 करोड़ की बचत तथा पूँजीगत भाग के अन्तर्गत ऋण तथा अग्रिम भाग के सात अनुदानों

तथा लोक ऋण पुनर्भुगतान के एक अनुदान सहित 35 अनुदानों में ₹ 27,994.58 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप हुई।

₹ 78,845.26 करोड़ के कुल बचत में से केवल 21.20 प्रतिशत (₹ 16,713.67 करोड़) का अभ्यर्पण वर्ष के दौरान हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 62,131.59 करोड़ के बचत (कुल बचत का 78.80 प्रतिशत) का अभ्यर्पण नहीं हुआ। कुल बचत अनुपूरक प्रावधान से 281.73 प्रतिशत अधिक थी। बजट में समग्र प्रावधान के सापेक्ष समग्र बचत और आधिक्य के प्रतिशत की प्रवृत्ति तालिका 3.11 में दिखाया गया है।

**तालिका 3.11: 2015–20 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय  
(₹ करोड़ में)**


	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
मूल बजट	1,20,585.34	1,44,696.29	1,60,085.70	176,990.27	2,00,501.01
अनुपूरक बजट (मूल बजट का %)	27,627.23 (22.91)	24,655.30 (17.04)	27,258.26 (17.03)	32,499.56 (18.36)	27,986.17 (13.96)
संशोधित अनुमान	1,32,849.48	1,54,327.47	1,72,884.28	1,90,918.72	2,17,759.54
वास्तविक व्यय	1,13,298.77	1,27,998.32	1,40,947.31	1,60,317.66	1,49,641.92
बचत/आधिक्य	35,013.80	41,353.31	46,396.66	49,172.17	78,845.26
बचत की प्रतिशतता	23.62	24.42	24.77	23.47	34.51

(स्रोत: विनियोग लेखे और विहार सरकार के संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेज़)

प्रवृत्ति के विश्लेषण से पता चलता है कि विनियोग से संबंधित कुल बचत पिछले पाँच वर्षों के दौरान 23.47 प्रतिशत से 34.51 प्रतिशत तक के बीच था, जो महत्वपूर्ण है। यह निधियों का गलत आकलन तथा प्रभावी बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित करने में वित्त विभाग की विफलता को इंगित करता है।

आगे, 46 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 498 विस्तृत लेखा शीर्षों में ₹ 9,419.90 करोड़ के संपूर्ण प्रावधान का शत-प्रतिशत उपयोग नहीं किये जाने के मामले थे। इन मामलों में से 31 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 87 मामलों में ₹ 8,606.35 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ और अधिक) के कुल प्रावधान अप्रयुक्त थे जैसा कि परिशिष्ट 3.8 में वर्णित है। निधियों का उपयोग न होने से पता चलता है कि बजट को या तो उचित दूरदर्शिता के बिना तैयार किया गया था या कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गंभीर चूक हुई थी। विनियोग लेखाओं में भिन्नता के मामले में प्राप्त स्पष्टीकरणों की स्थिति जिसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता है को, चार्ट 3.6 में दर्शाया गया है।

**चार्ट 3.6: विनियोग खातों में भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण का सारांश**



(स्रोत: वर्ष 2019–20 के लिए विनियोग लेखे)

### 3.4.1 अनुपूरक बजट और अवसर लागत

कभी-कभी, पूरक प्रावधान प्राप्त करते समय, विभाग विभिन्न योजनाओं गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न उद्देश्यों के लिए अधिक परिमाण में अतिरिक्त आवश्यकताओं का प्रतिवेदन विधायिका को देते हैं, लेकिन अंततः मूल बजट प्रावधान को भी व्यय करने में वे असमर्थ रहते हैं, जिससे सम्पूर्ण पूरक प्रावधान या उसके शेष भाग अनावश्यक हो जाते हैं। परिणामस्वरूप, अप्रयुक्त धन का उपयोग अन्य जरूरतमंद विभागों द्वारा नहीं किया जा सका। कभी-कभी कुछ योजनाएँ निधि के अभाव में अधूरी रह गईं।

वर्ष 2019–20 के दौरान यह देखा गया कि, वित्त लेखे के परिशिष्ट-IX में उल्लिखित, 143 अधूरी परियोजनाएँ थीं जिन्हें वर्ष के दौरान पूरा किया जाना था। ₹ 3,396.64 करोड़ की अनुमानित लागत के विरुद्ध मार्च 2020 तक केवल ₹ 1,000.85 करोड़ का व्यय किया गया था। अपूर्ण परियोजनाओं की विवरणी जो की वर्ष 2019–20 में पूर्ण होनी थी, तालिका 3.12 में दिया गया है।

**तालिका 3.12: 2019–20 के दौरान अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	योजना/परियोजना का नाम (अनुमानित लागत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक)	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	योजना/परियोजना की अनुमानित लागत	2019–20 के दौरान व्यय	31 मार्च 2020 तक व्यय	बकाया भुगतान
1	जहानाबाद जिले में मंडई बांध, एफलक्स बांध, गाइड बांध हैड रेगुलेटर, इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु अवशेष कार्य	2019-20	232.84	2.85	30.10	82.44
2	सारण जिले में पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली बिहार (सारण मुख्य नहर और इसकी वितरण प्रणाली), बिहार (नई प्रमुख ईआरएम) समूह-02 (पुराना समूह-07)	2019-20	201.52	0.54	6.42	0 <sup>16</sup>
	योग		434.36	3.39	36.52	82.44

(स्रोत: वर्ष 2019–20 के लिए वित्त लेखे)

योजनाओं के अधूरे होने के कारण उसका अपेक्षित लाभ जनता तक नहीं पहुँचाया जा सका। इसके अतिरिक्त, इससे परियोजना लागत में वृद्धि होती है।

### 3.4.2 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सामाजिक कल्याण एवं अन्य योजनाओं से संबंधित, प्रमुख नीतियों की घोषणा बजट में की गयी। इस विषय पर 44 में से 13 विभागों ने जवाब दिया है।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि बजट प्रक्रिया के दौरान कुछ प्रमुख नीतियों की पहल की गई परन्तु प्राक्कलन में पुनरीक्षण के कारण इसका निष्पादन नहीं किया गया या कोई व्यय नहीं किया गया जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

<sup>16</sup> विभाग द्वारा आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गए

**तालिका 3.13: नीतियाँ जिनके लिए प्रावधान किया गया परन्तु संशोधित प्राक्कलन में वापस लिया गया  
(₹ करोड़ में)**

क्रम. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन
1.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	लोक सेवा आयोग के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु अल्पसंख्यक छात्रों के लिए कोचिंग	5.00	0.00
2.		अल्पसंख्यक शिल्पकार तथा शिक्षित युवा कर्मकार के प्रशिक्षण हेतु (मुख्य मंत्री)	5.00	0.00
3.		बहुमुखी विकास योजना (मेरीट-कम-मीन्स, प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति)	1.00	0.00

(स्रोत: विभाग से प्राप्त आँकड़े)

**तालिका 3.14: नीतियाँ जिनके लिए प्रावधान किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया**

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय
1.	अल्पसंख्यक कल्याण	वक्फ के सम्पत्तियों का संधारण तथा सुरक्षा	5.00	1.00	0.00
2.		बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना	40.00	22.50	0.00
3.		अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय	12.00	9.00	0.00
4.	ग्रामीण कार्य	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	1200.00	400.00	0.00

(स्रोत: विभागों से प्राप्त आँकड़े)

यह लाभार्थियों को उद्दिष्ट लाभ से वंचित करता है। ऐसी योजनाओं में बचत अन्य विभागों को निधि से वंचित करता है, जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

### 3.4.3 वित्तीय शक्ति का उल्लंघन—पुनर्विनियोग के संबंध में

वर्ष 2019–20 के पुनर्विनियोग के आँकड़ों की जाँच से पता चला कि पाँच अनुदानों के अन्तर्गत ₹ 0.90 करोड़ का व्यय पुनर्विनियोजन के माध्यम से उन प्रयोजनों पर हुआ जिसके लिये बजट में प्रावधान मौजूद नहीं था, जहाँ पुनर्विनियोजन आदेश वित्त विभाग से स्वीकृत किया गया था। 12 अनुदानों के अन्तर्गत 24 मामलों में, ₹ 148.73 करोड़ का पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान से किया गया, जो एक निश्चित उद्देश्य हेतु प्रस्तावित अनुपूरक अनुदान के उद्देश्य को विफल करता है। अनुदान लेखा परीक्षा पंजी की लेखापरीक्षा के दौरान, पुनर्विनियोग का ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया जिसमें दायित्व का प्रभार सम्मिलित हो, जिसे वित्तीय वर्ष से आगे बढ़ाया जाना संभावित हो और न ही पुनर्विनियोग के निर्धारित प्रारूप से कोई विचलन था।

अनुदान या विनियोगों के अन्तर्गत अनुज्ञेय पुनर्विनियोजन, वर्ष के अन्तर्गत कभी भी स्वीकृत होनी चाहिए परन्तु वर्ष के समाप्ति के पश्चात नहीं। दो अनुदानों के अन्तर्गत तीन मामले ऐसे थे जिसमें पुनर्विनियोजन 31 मार्च 2020 के बाद किया गया जैसा कि तालिका 3.15 में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.15: 31 मार्च 2020 के बाद पुनर्विनियोजन**

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं. तथा नाम	विभाग का पत्र सं. तथा तिथि		वित्त विभाग में पावती की तिथि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पत्रांक संख्या तथा तिथि		राशि
		पत्रांक संख्या	तिथि		पत्रांक संख्या	तिथि	
1.	1—कृषि विभाग	1326	28.04.2020		433	31.03.2020	0.10
2.	2—पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	1092	24.03.2020	20.04.2020	454	31.03.2020	1.20
		1093			455	31.03.2020	0.06
कुल							1.36


(स्रोत: विभागों के पुनर्विनियोजन पत्र)

### 3.4.4 सघन व्यय

बि.ब.मै. यह निर्धारित करता है कि विलंब से होने वाले आवंटनों से परहेज करना चाहिए जब तक कि अपरिहार्य न हो। वर्ष के अंत में किसी संवितरण अधिकारी के व्याधीन राशि अक्सर फिजूलखर्चों और जल्दबाजी में खर्च को आमंत्रित करती है। व्यय का एक समान प्रवाह बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

वर्ष के अंतिम तिमाही तथा मार्च 2020 माह में व्यय की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष के दौरान, नौ विभागों के अन्तर्गत कुल व्यय (₹ 7,995.88 करोड़) में से (₹ 4,890.92 करोड़) 61.17 प्रतिशत का व्यय अंतिम तिमाही में एवं (₹ 4,172.75 करोड़) 52.19 प्रतिशत का व्यय मार्च 2020 में किया गया जैसा कि परिशिष्ट 3.9 में विस्तृत है। माह मार्च 2020 में 13 अनुदानों के 30 विस्तृत शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,020.75 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान के व्यय के प्रकरण थे जिनका विवरण परिशिष्ट 3.10 में दिया गया है। वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय का माहवार प्रवृत्ति को चार्ट 3.7 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.7: वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के मासिक प्राप्तियाँ और व्यय




(स्रोत: वर्ष 2019–20 के मासिक व्यय प्रतिवेदन)

केन्द्रीय करों (56 प्रतिशत) की शुद्ध आय का बड़ा हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान (32 प्रतिशत) अक्टूबर, 2019 में प्राप्त हुआ था। इसी तरह, मार्च 2020 में केन्द्रीय कर (19 प्रतिशत) और सहायक अनुदान (38 प्रतिशत) प्राप्त हुए थे। तदनुसार अक्टूबर से मार्च के व्यय में इसके अनुसार वृद्धि हुई थी।

इसके अतिरिक्त, परिशिष्ट 3.9 से पता चलता है कि मार्च 2020 में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (74.22 प्रतिशत) के अंतर्गत सर्वाधिक व्यय हुआ। मासिक व्यय नीचे चार्ट 3.8 में दर्शाया गया है।

**चार्ट 3.8: मार्च में व्यय की अत्यधिक प्रतिशतता के साथ पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का माहवार व्यय**

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2019–20 के मासिक व्यय प्रतिवेदन)

इस प्रकार वर्ष के अंतिम भाग में विभाग द्वारा वृहत राशि का व्यय, दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन एवं प्रभावी व्यय नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में सघन व्यय वित्तीय औचित्य का उल्लंघन है।


### 3.4.5 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि को स्थापित किया गया।

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम 2015 के द्वारा बिहार सरकार ने 01 अप्रैल 2019 से 30 मार्च 2020 की अवधि के लिए निधि के कोष को अस्थायी रूप से ₹ 350 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 8,020.04 करोड़ कर दिया। यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा एवं भूकम्प तथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के राज्यांश को पुरा करने के लिए जिसके लिए बजट प्रावधान न किया गया हो एवं व्यय को तत्काल किया जाना हो, के लिए था। बढ़ाई गई कुल राशि के पचास प्रतिशत का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत एवं पुनर्वास के उपायों के लिए किया जाना था। तुलना करने पर, भारत सरकार की आकस्मिकता निधि कोष केवल ₹ 500 करोड़ थी। यह देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि से ₹ 3,529.76 करोड़ की राशि के 85 आहरण किये गये जिसमें से कुल ₹ 781.67 करोड़ (21.15 प्रतिशत) के 33 आहरण गैर-आकस्मिक व्यय के लिए किया गया जैसा कि परिशिष्ट 3.11 में विस्तृत है।

चार्ट 3.9: आकस्मिकता निधि से गैर-आकस्मिक व्यय

(₹ करोड़ में)



इस प्रकार, एक नियमित बजट में उल्लिखित धनराशि प्रदान करने के बजाय, इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आकस्मिक निधि से स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त, आकस्मिकता निधि के विश्लेषण से पता चला कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं पर राहत और भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के राज्यांश को पूरा करने के लिए अस्थायी आधार पर इसे नियमित रूप से बढ़ाया<sup>17</sup> जाता रहा है। तथापि, पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय आकस्मिकता निधि से आहरित निधि के 34.52 से 78.77 प्रतिशत के बीच था जैसा कि तालिका 3.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.16: आकस्मिकता निधि से प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	वर्ष	आकस्मिक निधि से कुल व्यय	प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
1	2015-16	6,117.60	2,205.00	36.04
2	2016-17	4,416.63	1,524.42	34.52
3	2017-18	4,949.21	3,898.33	78.77
4	2018-19	4,353.49	1,725.00	39.62
5	2019-20	3,529.76	2,332.00	66.07

(स्रोत: वित्त विभाग के अभिलेख)

यद्यपि, वित्त विभाग पर उपरोक्त नियमित व्यय के लिए बजटीय प्रावधान करने और इसे वार्षिक बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से संविधान में अपेक्षित पूर्व विधायी अनुमोदन प्राप्त करने का दायित्व था। वित्त विभाग इन संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल हुआ है और आकस्मिकता निधि का उपयोग अग्रदाय खाते के रूप में किया जा रहा है।

### 3.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

वर्ष 2019–20 में, बचत, आधिक्य एवं माँग की विस्तार तथा पूरक माँग के परिणाम के आधार पर अनुदान संख्या 16–पंचायती राज विभाग अनुदान संख्या 51–समाज कल्याण विभाग की बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा, संचालित की गयी। समीक्षा के परिणाम निम्नवत है:

<sup>17</sup> 2013–14 में 1800 करोड़, 2014–15 में 2,000 करोड़, 2015–16 में 4,827.41 करोड़, 2016–17 में 5787.85 करोड़, 2017–18 में 6,403.42 करोड़, 2018–19 में 7079.61 करोड़ एवं 2019–20 में 8020.04 करोड़ की वृद्धि की गई

### 3.5.1 अनुदान संख्या 16 “पंचायती राज विभाग”

73वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 में किए गए प्रावधानों के अनुसरण में, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान है। वर्तमान में राज्य में 8,386 ग्राम पंचायतें, 534 पंचायत समितियाँ और 38 जिला परिषदें कार्यरत हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान अनुदान संख्या 16 के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित चार मुख्य शीर्ष (2515, 4515, 2015 और 3451) थे, जैसा कि तालिका 3.17 में संक्षेपित है।

**तालिका 3.17: 2019–20 के लिए सारांशीकृत विनियोग की स्थिति**

(₹ करोड़ में)

बजट अनुमान	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत	प्रतिशत में बचत
राजस्व दत्तमत	11,956.31	1,420.04	13,376.35	8,689.62	4,686.73	35.04
पूँजी दत्तमत	250.00	0.00	250.00	45.13	204.87	81.95
<b>कुल</b>	<b>12,206.31</b>	<b>1,420.04</b>	<b>13,626.35</b>	<b>8,734.75</b>	<b>4,891.60</b>	<b>35.90</b>

(स्रोत: वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

वर्ष 2019–20 के अभिलेखों की संवीक्षा के परिणाम निम्नवत है:

₹ 4,891.60 करोड़ (35.90 प्रतिशत) की बचत विभाग द्वारा प्रावधान के अनुचित आकलन को दर्शाती है। पिछले चार वर्षों के आँकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि राजस्व खंड के अन्तर्गत बचत हाल ही (2018–19 में) में लागू योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (0 प्रतिशत), मुख्यमंत्री निश्चय योजना (39 प्रतिशत), और मुख्यालय पंचायत स्थापना (02 प्रतिशत) के अन्तर्गत कम खर्च के कारण थी। इसके अतिरिक्त, पूँजीगत खंड के में बचत, पंचायत सरकारी भवन योजना के अन्तर्गत 2018–19 में (0 प्रतिशत), 2019–20 में (18 प्रतिशत) में कम खर्च के कारण थी।

मुख्य शीर्ष 2515 के अंतर्गत ₹ 10,887.47 करोड़ के मूल प्रावधान के विरुद्ध किए गए केवल ₹ 8,217.97 करोड़ के व्यय के परिणामस्वरूप ₹ 2,669.50 करोड़ की बचत हुई। तथापि, मूल प्रावधान के अंतर्गत बचत के बावजूद ₹ 1,420.04 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया जो अनावश्यक था (परिशिष्ट 3.12)। ऐसी योजनायें जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ मुख्यमंत्री निश्चय योजना, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों, प्रखंड पंचायत और ग्राम पंचायत में अंशदान हैं।

दो मुख्य शीर्षों अर्थात् 2015 तथा 2515 के अंतर्गत दो योजनाओं में मार्च 2020 माह में कुल व्यय ₹ 15.90 करोड़ का का 63.90 प्रतिशत तक व्यय किया गया था (परिशिष्ट 3.13)।

विभाग द्वारा उचित समाशोधन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 181.08 करोड़ तक के व्यय के आँकड़ों में अंतर पाया गया (परिशिष्ट 3.14)।

₹ 91.48 करोड़ के ए०सी० विपत्र बकाया थे जिसके लिए संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा डी०सी० विपत्र जमा नहीं किए गए थे (परिशिष्ट 3.15)।

वर्ष 2003–04 से 2018–19 तक ₹ 19,975.51 करोड़ मूल्य के उपयोगिता प्रमाण–पत्र 31 मार्च 2020 तक बकाया थे (परिशिष्ट 3.16)।

मुख्य शीर्ष 2515 के अन्तर्गत पाँच उपशीर्षों के ₹ 99.78 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा एवं अभ्यर्पित कर दिया गया। आवंटन का पूर्णतया उपयोग न होने एवं परिणामी समर्पण का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (फरवरी 2021)।

तालिका 3.18: निधियों का समर्पण और शत-प्रतिशत अनुपयोग

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	योजना	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पण
1	2515-00-198-0215- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (आर0जी0एस0ए0)	62.75	00	62.75
2	2515-00-789-0214- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (आर0जी0एस0ए0)	12.06	00	12.06
3	2515-00-796-0220- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आर0जी0एस0ए0)	0.97	00	0.97
4	2515-00-101-0514- पंचायती राज प्रणाली और मानव संसाधन विकास (ई0ए0फी0)	9.00	00	9.00
5	2515-00-789-0513- पंचायती राज प्रणाली और मानव संसाधन विकास (ई0ए0फी0)	15.00	00	15.00
योग		<b>99.78</b>	<b>00</b>	<b>99.78</b>

(स्रोत: वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

### 3.5.2 अनुदान संख्या— 51 “समाज कल्याण विभाग”

समाज कल्याण विभाग महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं अन्य वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समाज में के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य के महत्वपूर्ण विभागों में से एक है। महिला विकास निगम (म0वि0नि0) और स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेर (सक्षम) भी स्वायत्त संस्थानों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस अनुदान के अन्तर्गत पाँच मुख्य शीर्ष (2210, 2235, 2236, 2251 एवं 4235) संचालित थे। दत्तमय व्यय के अन्तर्गत, कुल बजट प्रावधान, संवितरण, और बचत/आधिक्य की एक सारभूत स्थिति तालिका 3.19 में वर्णित है।

तालिका 3.19: वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/आधिक्य  
(₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान	संवितरण (व्यय)	बचत/आधिक्य	बचत की प्रतिशतता
9,715.33	8,208.44	1,506.89	15.51

(स्रोत: वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, कुल प्रावधान ₹ 9,715.33 करोड़ की तुलना में, किया गया व्यय ₹ 8,208.43 (84 प्रतिशत) करोड़ था।

पूर्ववर्ती पाँच वर्षों (2015–20) के दौरान दत्तमत व्यय के अन्तर्गत संवितरण की प्रवृत्ति का विश्लेषण तालिका 3.20 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.20: 2015–20 के दौरान संवितरण और बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान	संवितरण (व्यय)	बचत/अधिक (प्रतिशत में)
2015-16	6,830.25	5,367.46	1,462.79 (21.42)
2016-17	6,819.83	5,210.65	1,609.18 (23.60)
2017-18	6,131.88	5,837.28	294.60 (4.80)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान	संवितरण (व्यय)		बचत / अधिक (प्रतिशत में)
		दत्तमत	दत्तमत	
2018-19	9,755.93	6,395.16		3,360.77 (34.45)
2019-20	9,715.33	8,208.44		1,506.89 (15.51)

(चोत: विस्तृत विनियोग लेखा 2015–16 से 2019–20, बिहार सरकार)

उपरोक्त तालिका से देखा गया कि 2015–16 से 2019–20 के दौरान बचत 4.80 से 34.45 प्रतिशत के मध्य रही।

इस विषय को इंगित किए जाने पर, यह उत्तर दिया गया (फरवरी 2021) कि बचत मुख्य रूप से लाभार्थियों की कम संख्या, और ग्रामीण विकास विभाग से अंशदान प्राप्त न होने आदि के कारण थी।

वर्ष 2019–20 के अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित का प्रकटीकरण हुआ

- ₹ 136.01 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि वर्ष 2019–20 के दौरान मूल प्रावधान का भी उपयोग पूर्ण रूप से नहीं किया गया था (**परिशिष्ट 3.17**)। ₹ 7,816.96 करोड़ में से ₹ 7,154.07 करोड़ का व्यय किया गया था, और ₹ 662.89 करोड़ की राशि 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित की गई थी। बचत मुख्य रूप से कुछ मदों में अधिक प्रावधान के कारण, भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश हिस्सा के रूप में सहायता अनुदान की प्राप्ति नहीं होने के कारण, भारत सरकार द्वारा निधि की कम स्वीकृति व निधि की स्वीकृति नहीं होना, योजना की स्वीकृति नहीं होना, भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों की श्रेणियों में परिवर्तन, आदि (**परिशिष्ट 3.18**) के कारण हुई। योजना से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि कम व्यय के कारण योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन बुरी तरह बाधित हुआ।
- विभाग द्वारा चलाई जा रही 21 योजनाओं/कार्यक्रमों में, मार्च 2020 के महीने में 26 प्रतिशत से 94 प्रतिशत के बीच व्यय किया गया था, और पाँच योजनाओं/कार्यक्रमों में केवल मार्च 2020 में ही शत प्रतिशत व्यय किया गया था। यह इंगित करता है कि व्यय का एकसमान प्रवाह बनाए नहीं रखा गया था, जो कि बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता थी।

यह उत्तर दिया गया (फरवरी 2021) कि भारत सरकार की धनराशि किश्तों में प्राप्त हुई थी, इसलिए, भारत सरकार और बिहार सरकार की आनुपातिक निधि के आवंटन में समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए मार्च महीने में निकासी अन्य महीनों की अपेक्षा अधिक हुई।

- वर्ष 2003–19 के दौरान, सहायता अनुदान के रूप में ₹ 33,899.23 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें से केवल ₹ 23,340.75 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा किए गये थे और परिणामस्वरूप सितंबर 2020 तक ₹ 10,558.48 करोड़ की उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया थी। 17 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थी जो बी०एफ०आर० के प्रावधानों का उल्लंघन है। उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में आयु-वार बकायों का विवरण **परिशिष्ट 3.19** में दिया गया है।
- वर्ष 2002–2020 के दौरान, सार आकस्मिक विपत्रों पर ₹ 2,412.82 करोड़ की राशि आहरित की गई थी, जिसके विरुद्ध मार्च 2020 तक ₹ 2,213.62 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक विपत्र जमा किए गए थे। इसलिए, ₹ 199.20 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक विपत्र मार्च 2020 तक बकाया थे। इससे व्यय का संभावित अतिदर्शित होता है। वर्ष 2019–20 में व्यय 31 मार्च 2020 तक समायोजन की प्रतीक्षा में बकाया सार आकस्मिक विपत्रों का विवरण **परिशिष्ट 3.20** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 2015–20 के दौरान, सार आकस्मिक विपत्रों पर ₹ 94.37 करोड़ की राशि की निकासी की गई थी, जहाँ वित्तीय वर्ष (मार्च) के अंतिम महीने में ₹ 19.22 करोड़ (20.37 प्रतिशत) की निकासी की गई थी, जैसा कि **तालिका 3.21** में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2016–17 और 2017–18 के दौरान, वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में सार आकस्मिक विपत्रों के

माध्यम से धन की निकासी हुई जो इंगित करता है कि यह मुख्य रूप से बजटीय प्रावधान में शेष राशि को समाप्त करने के लिए किया गया था।

#### तालिका 3.21: मार्च माह में एसी. बिलों पर आहरण का प्रवृत्ति विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सार आकस्मिक विपत्रों पर निकासी	मार्च के महीने में सार आकस्मिक विपत्रों पर निकासी	मार्च के महीने में सार आकस्मिक विपत्रों पर निकासी का प्रतिशत
2015-16	39.44	10.31	26.14
2016-17	13.47	13.47	100
2017-18	0.41	0.34	82.93
2018-19	58.10	9.70	16.70
2019-20	1.32	0.10	7.57
<b>कुल</b>	<b>94.37</b>	<b>19.22</b>	<b>20.37</b>

(स्रोत: महालेखाकार (लेठो एवं हक्को) बिहार द्वारा संधारित वीठेलोसीठे डेटाबेस)

- बिठोसीठे 2011 के नियम 194 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा व्यय की मदों पर आकस्मिक प्रभारों का आहरण, जिसके लिए आहरण के समय अंतिम वर्गीकरण और सहायक अभिश्रव उपलब्ध नहीं हैं, सार आकस्मिक (एसीठे) विपत्रों पर किए जाते हैं। एसीठे बिल के माध्यम से व्यय केवल आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए न कि नियोजित गतिविधियों को पूरा करने के लिए। 2015–20 के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 11.36 करोड़ (12 प्रतिशत) की राशि सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित की गई थी लेकिन उसे पूँजी शीर्ष (4235) पर खर्च किया गया था जैसा कि तालिका 3.22 में दर्शाया गया है।

#### तालिका 3.22: 2015–20 के दौरान पूँजी शीर्ष के लिए आहरित एसीठे बिलों का प्रवृत्ति विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल सार आकस्मिक विपत्रों आहरण	पूँजी शीर्ष के लिए आहरित एसीठे बिल (प्रतिशत)
2015-16	39.44	3.74 (9.48)
2016-17	13.47	7.18 (53.30)
2017-18	0.41	0.33 (80.48)
2018-19	58.10	0
2019-20	1.32	0.11 (8.33)
<b>कुल</b>	<b>94.37</b>	<b>11.36 (12.04)</b>

(स्रोत: महालेखाकार (लेठो एवं हक्को) बिहार द्वारा संधारित वीठेलोसीठे डेटाबेस)

प्रवृत्ति विश्लेषण से ज्ञात होता है कि विभाग वर्ष 2018–19 को छोड़कर वर्ष–दर–वर्ष सार आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से पूँजीगत व्यय कर रहा है। पूँजीगत व्यय की योजना पहले से बनाई जानी चाहिए थी और व्यय का मार्ग पूरा करने के लिए सार आकस्मिक विपत्र का आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए था। यह केवल वस्तुनिष्ठ–स्तरीय नियोजन की कमी, राशि के आहरण के समय व्यय की मदों के बारे में सुचना की कमी और स्वीकृत राशि के समर्पण को रोकने की प्रवृत्ति को इंगित करता है। अतः बिहार कोषागार संहिता 2011 के प्रावधान के विरुद्ध, पूँजीगत व्यय करने के लिए सार आकस्मिक विपत्र आहरित किए गए थे।

- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदान किया गया अभिश्रव स्तरीय कम्प्यूटरीकरण (वीठेलोसीठे) आँकड़ों की जाँच में पाया गया कि 2017–18 के दौरान समाज कल्याण विभाग में ₹ 70.00 करोड़ के सहायता अनुदान को गलत रूप से पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

योजनाओं की जाँच में निम्नलिखित पाया गया।

#### ➤ निधियों का अनावश्यक अवधारण

जिला कार्यक्रम अधिकारी, पटना से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच (जनवरी 2021 से मार्च 2021) के दौरान यह पाया गया कि सामग्री की खरीद और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 2014–15

से 2018–19 के बीच कुल 16 बिलों से ₹ 4.02 करोड़ की राशि को कोषागार से आहरित किया गया था। इस अवधि में किया गया व्यय ₹ 3.05 करोड़ था और ₹ 0.97 करोड़ की राशि रोकड़ बही के अंत शेष में निरूपयोगी थी। इस प्रकार, बिहार कोषागार संहिता का उल्लंघन कर आहरित धनराशि (एक साल पांच माह से पांच साल नौ माह) तक डी०पी०ओ० के पास निष्क्रिय पड़ा रहा।

वर्ष 2005–06 से 2016–17 की अवधि के दौरान 24 मामलों में यह पाया गया कि मुख्य शीर्ष 2235, 2236 और 4235 के तहत सार आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध ₹ 46.33 करोड़ की राशि आहरित की गई थी, जिसमें से केवल ₹ 5.18 करोड़ की राशि के लिए विस्तृत आकस्मिक विपत्र समर्पित किये गए। इन विस्तृत आकस्मिक विपत्रों में से ₹ 4.95 करोड़ (96 प्रतिशत) की राशि एक साल आठ माह से 13 साल 05 माह तक की अवधि के लिए अवधारण के बाद कोषागार में प्रेषित की गई थी।

यह भी देखा गया है कि 2003–04 से 2017–18 के दौरान मुख्य शीर्ष 2235 के तहत चार मामलों में सहायता अनुदान के रूप में ₹ 56.42 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। समर्पित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की नमूना जाँच से पता चला कि एक साल 10 माह से 13 साल 10 माह के विलम्ब के बाद कुल ₹ 24.15 करोड़ कोषागार में वापस प्रेषित किए गए थे।

### 3.6 अनुशंसाएँ

वित्त विभाग को विभागीय नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय के प्रचलन की निगरानी करनी चाहिए ताकि अनावश्यक प्रावधान न हों, निधियों को अनावश्यक रूप से नहीं रखा जाय, और अंतिम समय के अभ्यर्पण का सहारा लिए बिना और आवंटन को व्यपगत किए बिना जल्द से जल्द अभ्यर्पित किया जाय। सरकार को चाहिए:


- सुनिश्चित करे कि सभी प्रत्याशित बचत समय पर अभ्यर्पित कर दी गई है ताकि निधियों का उपयोग अन्य विकास उद्देश्यों के लिए किया जा सके।
- कि लगातार बचत के कारणों की समीक्षा करें और आवंटित राशि का अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
- कि अनुदान नियंत्रक अधिकारियों के पुनर्विनियोग प्रस्तावों पर तभी सहमति दें जब प्रवृत्ति व्यय इनके लिए न्यायसंगत हो।
- कि धन का समय पर समर्पण सुनिश्चित करे और अभ्यर्पण को कम करने के लिए विभागों को समय पर बजटीय निर्गत की एक प्रणाली विकसित करे।
- वित्तीय वर्ष के अंत के दौरान व्यय आधिक्य को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाये।
- कि एक सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम०आई०एस०) तैयार करें जो डी०डी०ओ० के स्तर पर आहरित ए०सी० बिलों की अव्ययित राशि को बाहर निकालने में मदद करती है जो निधियों को आहरित करते हैं और व्यय नहीं की गयी शेष राशि को वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले समेकित निधि में स्थानांतरित करने में विफल रहते हैं।



**अध्याय—IV**

**लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन**

**संव्यवहार**



यह अध्याय वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और पूर्णता, पारदर्शिता, माप एवं प्रकटीकरण के संबंध में निर्देशों का अनुपालन और लेखाओं की गुणवत्ता का अवलोकन करता है।

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना पर आधारित एक बेहतर आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार, वित्तीय नियम, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन के साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति के प्रतिवेदन की समयपरता एवं गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन यदि प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो इससे रणनीतिक योजना बनाने एवं निर्णय लेने में राज्य सरकार को उनके प्रबंधात्मक उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायता मिलती है।

## 4 लेखाओं की पूर्णता से संबंधित मामले

### 4.1 राज्य के समेकित निधि एवं लोक लेखा के बाहर की निधि

संविधान के अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन, अनुच्छेद 266 (1) निर्धारित करता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार बिलों को निर्गत कर उस सरकार द्वारा उगाही किए गए सभी ऋणों या अर्थोपाय अग्रिमों और उस सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि बनाएगी, जिसे “राज्य की समेकित निधि” कहा जाएगा।

बिहार वित्त नियमावली के नियम 5(1) के अनुसार, राज्य के मामलों के संबंध में नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त या जमा किए गए सभी धन, सरकार द्वारा प्राप्त एवं उगाही किए गए लोक धन राजस्व को छोड़कर, लोक लेखा में जमा किए जाएंगे।

### उपकर संग्रहण

राज्य में क्रियाशील उपकर संग्रहण में से तीन की संवीक्षा लेखापरीक्षा के दौरान की गई, परिणाम निम्नवत थे—

- भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर:**

भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बी0ओ0सी0डब्ल्यू0) का गठन राज्य सरकार<sup>18</sup> द्वारा फरवरी 2008 में किया गया था। बोर्ड का मुख्य कार्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत निधि उपलब्ध कराना है। बोर्ड वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में भारत सरकार, बिहार सरकार, अर्द्ध-सरकारी और निजी क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों पर किये गए कुल खर्च का एक प्रतिशत की दर से निधि एकत्र करता है।

विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकर की प्राप्तियों को मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-108-लोक कार्य जमा के अन्तर्गत लेखांकित गया था जिसमें श्रम उपकर के अलावा कई अन्य प्राप्तियाँ भी थीं। परिणामतः, विभिन्न विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकर की राशि का पता नहीं लगाया जा सका। यद्यपि, एक अलग उप-शीर्ष 8443-00-108-0004 जून 2019 में सरकार द्वारा श्रम से संबंधित परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाले विभिन्न विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकर के संग्रह के लिए खोला गया था, तथापि यह उपशीर्ष आज तक परिचालन में नहीं था। वर्ष 2017-18 से 2019-20

<sup>18</sup> अधिसूचना सं0 04/एफ01-302/2006/एल0इ0 865 दिनांक: 18.02.2008

के दौरान, ₹ 925.77 करोड़ की राशि संग्रहित की गयी जिसमें से ₹ 289.75 करोड़ 2019–20 से संबंधित था, जबकि मार्च 2020 तक संग्रहित कुल ₹ 1,383.64 करोड़ की राशि को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा रखा गया था।

- **बिहार जिला खनिज फाउण्डेशन (बी०डी०एम०एफ०)**

इसका गठन खानों एवं खनिजों (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम 67) की धारा 9B के साथ पठित धारा 15A की उप-धारा (4) में प्रदत्त शक्तियों के तहत, वर्ष 2015 में यथासंशोधित किया गया था, जो खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए क्रियाशील था। निधि का संग्रहण, सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों पर खनिज रियायतों/खनन क्षेत्र के धारकों से प्राप्त शुल्क, शुल्क जमा रखने पर उपार्जित सभी व्याज, स्वैच्छिक अंशदान इत्यादि से की जाती हैं। उक्त निधि का उपयोग “प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना” के अनुसार किया जाता है। यह निधि सरकार द्वारा बचत खाता के माध्यम से अनुसूचित बैंक या इस उद्देश्य के लिए नामित बैंक में रखी जा रही है। वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान ₹ 68.55 करोड़ संग्रहित कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में जमा किये गये थे।

- **पंजीकरण कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए जिला सोसायटी (डीस्कोर)**

बिहार सरकार ने मार्च 2005 में कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण प्रणाली (स्कोर) सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी पंजीकरण कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया था। बिहार पंजीकरण नियमावली, 2008 के अनुसार, कम्प्यूटरीकरण का कार्य राज्य स्तर पर राज्य-स्तरीय संस्था पंजीकरण कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए संस्था (बिस्कोर) और प्रत्येक जिला-स्तर पर डीस्कोर द्वारा की जा रही थी। स्वचालित पंजीकरण प्रक्रिया एवं सॉफ्टकॉर्पी में दस्तावेज के संरक्षण हेतु सेवा शुल्क की उगाही की जा रही थी परंतु, कोई अतिरिक्त सेवा प्रदान नहीं की जा रही थी। यद्यपि, विभाग ने कोई अतिरिक्त सेवा प्रदान किए बिना पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त सेवा शुल्क लगाया। डीस्कोर ने 2019–20 में सेवा शुल्क के रूप में ₹ 33.88 करोड़ संग्रहित कर बैंक खाते में रखे।

इस प्रकार, बिहार सरकार ने अवैध रूप से बिहार पंजीकरण नियम में सेवा शुल्क वसूलने का प्रावधान किया। यह मुद्दा वर्ष 2021 के प्रतिवेदन संख्या 1 के राजस्व प्रक्षेत्र प्रतिवेदन 2018–19 में पहले भी प्रकाशित हो चुका है।

श्रम उपकर, बी०डी०एम०एफ० तथा डीस्कोर में किया गया अंशदान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में रखा गया था, जो कि संविधान के अनुच्छेद 266 (1) का उल्लंघन है।

### सरकारी लेखाओं के बाहर नियामक निधियाँ

नियामक प्राधिकरण, संविधान के अनुच्छेद 12 में निहित अर्थ के अनुसार “राज्य” हैं। उनके कार्य निर्वहन से प्राप्त निधि ‘राज्य सरकार की ओर से’ है। अतएव, ऐसी राशि को राज्य के लोक लेखा में रखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 266(2) के अनुसार, अन्य सभी लोक निधि जो किसी राज्य सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से जैसा भी मामला हो, प्राप्त किए गए हो, राज्य के लोक लेखा में जमा किये जाएंगे।

राज्य में दो विनियामक क्रियाशील हैं। विनियामकों के लेखाओं की जाँच के क्रम में निम्नलिखित पाया गया—

- **अचल सम्पत्ति विनियामक प्राधिकरण (रेरा)**

रेरा का गठन अचल सम्पत्ति (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016, (2016 के संख्या 16), के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति क्षेत्र के नियमन और संवर्धन तथा प्लॉट, अपार्टमेंट या भवनों की बिक्री सुनिश्चित करने अथवा अचल सम्पत्ति परियोजना की बिक्री के लिए, जैसा भी

मामला हो के लिए किया गया था। अधिनियम की धारा 75(1) और (2) के अनुसार, सभी सरकारी अनुदानों से प्राप्त धनराशि, प्राप्त शुल्क और उसपर उपार्जित ब्याज के रूप में संग्रहित किया जाता है। इस धनराशि का उपयोग प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन एवं भत्तों तथा प्राधिकरण के कार्यों के निर्वहन हेतु किया जाता है। संग्रहित राशि को ‘रेसा’ द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में रखा जा रहा है। वर्ष 2018–19 तक संग्रहित ₹ 21.68 करोड़ की राशि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में रखा गया था।

#### ● बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी०ई०आर०सी०)

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी०ई०आर०सी०) की स्थापना, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17 के अन्तर्गत बिहार सरकार के अधिसूचना सं० 1284, दिनांक 15 अप्रैल 2002 द्वारा किया गया था। प्रावधान के अनुसार, निधि का संग्रहण राज्य आयोग को प्राप्त कोई अनुदान एवं ऋण, सभी प्राप्त शुल्क तथा किसी अन्य खोत से आयोग द्वारा प्राप्त सभी राशि इत्यादि से की जाती है तथा निधि का उपयोग अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों आदि के वेतन, भत्तों एवं अन्य पारिश्रमिक तथा प्राधिकरण के कार्यों के निर्वहन के लिए किया जाता है। वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान ₹ 22.38 करोड़ निधि संग्रहित कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में सावधि जमा एवं बचत खातों के रूप में रखा गया था, जिसमें से ₹ 7.90 करोड़ वर्ष 2019–20 से संबंधित था।

दोनों विनियामकों ने संग्रहित राशि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा किया है जो कि संविधान के अनुच्छेद 266(2) का उल्लंघन है।

#### 4.2 वित्तीय वर्ष के दौरान स्पष्ट देनदारियों का समावेश नहीं किया जाना

उन वर्षों में जब राजकोषीय स्थितियाँ तंग होती हैं ऐसे में कुछ भुगतानों को विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित करने की प्रवृत्ति होती है। इनमें सक्षिप्ती से संबंधित भुगतान, अन्य अनुबंधित भुगतान शामिल हो सकते हैं, जिनके लिए विपत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, 49 अपूर्ण परियोजनाओं (**परिशिष्ट 4.1**) के भुगतान के लिए ₹ 123.80 करोड़ की राशि बकाया थी। ठेकेदारों द्वारा किये गए कार्य का बिल जमा करने के बावजूद भुगतान को स्थगित रखा जाना या रोक दिया जाना सरकार के लिए देनदारियाँ उत्पन्न करता है और खातों की अपूर्णता और गैर-पारदर्शिता दर्शाता हैं। इस प्रकार, राज्य सरकार की समग्र देयता पर राजकोषीय घाटा ₹ 123.80 करोड़ कम दर्शायी गयी।

#### 4.3 ब्याज संग्रही जमा राशियों पर ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना

सरकार का दायित्व है कि वह ब्याज देयता वाली जमाराशियों (खातों का मुख्य शीर्ष 8011 एवं 8342) पर ब्याज का भुगतान करे, विस्तृत विवरण तालिका 4.1 में प्रदर्शित है।

**तालिका 4.1: ब्याज देय जमा के संबंध में ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं करना**  
(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	ब्याज देय जमा का नाम	31 मार्च 2020 को राशि	ब्याज की राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया
1.	8342—अन्य जमा—117—सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना	349.85	15.06
2.	8011—बीमा एवं अन्य निधि—106—अन्य बीमा एवं पेंशन निधि	41.12	
<b>कुल</b>		<b>390.97</b>	<b>15.06*</b>

\* ₹ 188.32 करोड़ के जमा पर 8 प्रतिशत (साठमानिंदा) की दर से ब्याज देय था।  
(स्रोत: वित्त लेखा, 2019–20)

सरकार द्वारा 31 मार्च 2019 की अंतशेष राशि ₹ 188.32 करोड़ की ब्याज देय जमाराशियों पर ब्याज देयता के लिए राशि का प्रावधान नहीं किया गया था। इस प्रकार सरकार के समग्र दायित्व, राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटे को ₹ 15.06 करोड़ कम दर्शाया गया था।

#### 4.3.1 सामान्य भविष्य निधि (सा०भ०नि०) पर ब्याज देयता

राज्य सरकार द्वारा 2019–20 की अवधि के लिए आवश्यकता के विरुद्ध सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज देयता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। नीचे तालिका में सा०भ०नि० पर ब्याज के रूप में किए गए कम भुगतान की मात्रा वर्णित की गयी है।

**तालिका 4.2 : सा०भ०नि० पर ब्याज के कम भुगतान की विवरणी**

(₹ करोड़ में)

सामान्य भविष्य निधि श्रेणी	वर्ष 2019–20 के प्रारंभ में शेष	देय ब्याज	दिया गया ब्याज
सामान्य भविष्य निधि	10,250.52	820.04	280.93
अखिल भारतीय सेवाएं भविष्य निधि	227.03	18.16	12.00
<b>कुल</b>	<b>10,477.55</b>	<b>838.20</b>	<b>292.93</b>

(स्रोत: वित्त लेखा, 2019–20)

सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज के कम भुगतान के फलस्वरूप, राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा ₹ 545.27 करोड़ (₹ 838.20 करोड़ – ₹ 292.93 करोड़) कम दर्शाया गया। हालाँकि, ब्याज का कम भुगतान निधि के प्रतिकूल अवशेष को भी इंगित करता है।

#### 4.4 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे निधि का हस्तांतरण

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को सीधे पर्याप्त धनराशि हस्तांतरित करती है। चूँकि, इन निधियों को राज्य बजट के माध्यम से नहीं दिया जाता है, अतः यह राज्य सरकार के खातों में परिलक्षित नहीं होते हैं। ये हस्तांतरण संबंधित वर्ष के वित्त लेखा के खंड-II के परिशिष्ट VI में प्रदर्शित होते हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान, भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹ 10,170.12 करोड़ हस्तांतरित किया गया था जो विगत वर्ष की तुलना में 79.09 प्रतिशत (₹ 5,678.88 करोड़) अधिक था। (वित्त लेखा, 2019–20 का परिशिष्ट VI)

हस्तांतरण एवं वास्तविक उपयोगिता के विश्लेषण के लिए चार<sup>19</sup> कार्यान्वयन एजेंसियों के परीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि ₹ 47.97 करोड़ (बिहार राज्य मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड) और ₹ 27.02 करोड़ (बिहार राज्य टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) खर्च नहीं हुये थे और निधि अव्यवहृत थी जैसा कि तालिका 4.3 में दर्शाया गया है।

<sup>19</sup> पथ निर्माण विभाग, बिहार, बिहार राज्य मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, बिहार राज्य टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और बिहार राज्य फुड एवं सिविल सप्लायज कॉरपोरेशन लिमिटेड

**तालिका 4.3: वर्ष 2019–20 के दौरान भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित राशि**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	भारत सरकार के योजनाओं के नाम	वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक शेष	2019–20 के दौरान भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि	उपयोगित राशि	प्रत्यर्पण	अवशेष राशि
1.	बिहार राज्य मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड	डेयरी विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	2017–18		35.67	1.09	0.00	34.58
			2018–19	34.58	37.93	41.02	0.00	31.50
			2019–20	31.50	19.72	23.92	0.61	26.69
		राष्ट्रीय गोकुल मिशन	2017–18	0.47	15.00	2.83	0.00	12.64
			2018–19	12.64	9.50	9.52	0.00	12.62
			2019–20	12.62	12.31	3.65	0.00	21.28
2.	बिहार राज्य टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	टूरिस्ट सर्किट राउण्ड स्पेसिफिक थीम (स्वदेश दर्शन) का एकीकृत विकास	2017–18	20.20	46.80	12.16	0.00	54.84
			2018–19	54.84	36.32	46.89	0.00	44.26
			2019–20	44.26	56.11	73.35	0.00	27.02

(स्रोत: संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़ा )

#### 4.5 स्थानीय जमा निधि

राज्य पंचायती राज्य अधिनियम प्रावधान करता है कि जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत (मुख्य शीर्ष 8448—स्थानीय जमा निधि—109—पंचायत निकाय कोष अंतर्गत), क्रमशः जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कोष का संधारण कर सकेंगे। जिसमें अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्त किये जाने योग्य सभी धन तथा पंचायती राज्य संस्थानों (पी0आर0आई0) द्वारा प्राप्त सभी धन जैसे कि केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग अनुदान के हिस्से के रूप में प्राप्त अनुदान और अपने स्वयं के राजस्व (कर एवं गैर-कर प्राप्तियाँ सहित) शामिल होंगे। अधिनियम में यह भी परिकल्पना की गयी है कि नगरपालिका निधि नगर निकाय के पास होगा। अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्त किये जाने योग्य सभी धन, नगर निकाय द्वारा प्राप्त सभी धन मुख्य शीर्ष 8448—स्थानीय जमा निधि —102—नगर निकाय कोष में रखा जाता है। स्थानीय जमा निधि अंतर्गत नगर निकाय कोष एवं पंचायत निकाय कोष का विवरण तालिका 4.4 में है।

#### तालिका 4.4: स्थानीय जमा निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष			2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
नगर निकाय कोष	(8448—102)	प्रारंभिक शेष	1	1436.53	1738.35	2330.64	2742.77
		प्राप्तियाँ	2	1525.00	2122.51	1968.32	2712.09
		व्यय	3	1223.19	1530.22	1556.19	2147.20
		अंत शेष	4	1738.35	2330.64	2742.77	3307.66
पंचायत निकाय कोष*	(8448—109)	प्रारंभिक शेष	5	319.72	140.38	434.93	650.49
		प्राप्तियाँ	6	955.67	650.99	695.52	735.54
		व्यय	7	1135.01	356.44	498.84	716.67
		अंत शेष	8	140.38	434.93	631.61	754.98

\*जिला परिषद् एवं पंचायत समिति कोष शामिल

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेख)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान मुख्य शीर्ष 8448—102 (नगर निकाय कोष) में अव्यवहृत राशि ₹ 1,738.35 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,743.56 करोड़ तथा मुख्य शीर्ष 8448—109 (पंचायत निकाय कोष) में ₹ 140.38 करोड़ से बढ़कर ₹ 754.98 करोड़ हो गया।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि, पिछले कई वर्षों में, बिहार सरकार राजस्व एवं पूँजीगत मुख्य शीर्ष खातों को डेबिट करके समेकित निधि से राशि को लोक निधि (विशेष रूप से जमा खातों) में हस्तांतरित कर रही है। हस्तांतरित राशि को उस वर्ष के लिए व्यय के रूप में खातों में लिया जाता है यद्यपि वास्तविक व्यय संबंधित वर्ष के दौरान हुआ हो अथवा नहीं। वर्षों से हस्तांतरित राशियों के संबंध में 31 मार्च 2020 तक व्यय दर्शाते हुए, जमा खातों में रखी गयी कुल राशि ₹ 24,942.26 करोड़ हैं, जैसा कि तालिका 4.5 में दर्शाया गया है:-

**तालिका 4.5: स्थानीय जमा निधि की हस्तांतरित राशि का प्रवृत्ति विश्लेषण**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व			पूँजीगत			योग	8448 का अवशेष राशि
	वित्त लेखा के अनुसार राजस्व व्यय	मुख्य शीर्ष 8448 में हस्तांतरित राशि	राशि की प्रतिशतता	वित्त लेखा के अनुसार पूँजीगत व्यय	8448 में हस्तांतरित राशि	राशि की प्रतिशतता		
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+6)	
2015-16	83,616	4,807	5.75	23,966	4,048	16.89	8,855	8,449.00
2016-17	94,765	6,007	6.34	27,208	14,862	54.62	20,869	13,110.29
2017-18	1,02,624	7,135	6.95	28,907	15,069	52.13	22,204	21,728.33
2018-19	1,24,897	9,306	7.45	21,058	13,606	64.61	22,912	23,181.78
2019-20	1,26,017	14,531	11.53	12,304	11,314	91.95	25,845	24,942.26

(झोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

प्रवृत्ति विश्लेषण से पता चला कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान पूँजीगत व्यय की नामित राशि को मुख्य शीर्ष-8448 में 16 से 91 प्रतिशत तक जबकि राजस्व व्यय की राशि को 5 से 11 प्रतिशत तक हस्तांतरित किया गया था, जिससे राशि अव्यवहृत रही। लोक लेखा की अव्यवहृत राशि, वास्तविक पूँजीगत व्यय के अतिशयता को इंगित करता है।

### पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

#### 4.6 उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

बिहार वित्त नियमावली के नियम 341(2) के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान उतने ही अनुदान का भुगतान करना चाहिए जितनी कि वर्ष के दौरान व्यय होने कि संभावना हो। बिहार कोषागार संहिता के नियम 431 के अंतर्गत सहायता (जी.आई.ए.) अनुदान के लिए विपत्र हस्ताक्षरित या प्रति हस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी को देखना चाहिए कि आवश्यकता से पूर्व अग्रिम धन का आहरण न हो। मार्च महीना में इन अनुदानों के सघन भुगतान के कोई भी अवसर नहीं होने चाहिए। आगे, वित्त विभाग के शासकीय आदेश दिनांक 06 जनवरी 1975 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की समय सीमा संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष निर्धारित की गयी थी जिसे वित्त विभाग, बिहार सरकार के शासकीय आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2011 द्वारा बढ़ा कर 18 माह कर दिया गया।

वित्त विभाग के पत्र, दिनांक 10 अक्टूबर 2013 के अनुसार, वैसे अनुदान जिनका आहरण 01.10.2011 या उसके बाद किया गया हो, का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (ले० एवं हक०) को प्रपत्र बी०टी०सी० 42(ए०) में प्रस्तुत किया जाएगा। वर्षावार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विवरणी तालिका 4.6 में दर्शायी गई है:

## तालिका 4.6 लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की वर्षवार विवरणी


(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि
2010-11 तक	336	3239.46
2011-12	148	1513.50
2012-13	175	1400.00
2013-14	219	1364.39
2014-15	179	2556.26
2015-16	203	2968.25
2016-17	186	4891.98
2017-18	301	13015.00
2018-19	516	27293.34
2019-20	327	21448.74
<b>कुल</b>	<b>2590</b>	<b>79690.92</b>

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना द्वारा प्रस्तुत आँकड़ा)

यह देखा गया कि मार्च 2020 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की बड़ी राशि पंचायती राज विभाग (₹ 16,915.25 करोड़), शिक्षा विभाग (₹ 15,158.04 करोड़), समाज कल्याण विभाग (₹ 12,613.98 करोड़), और ग्रामीण विकास विभाग (₹ 8,808.26 करोड़) आदि में पाया गया जैसा कि चार्ट 4.1 में दर्शाया गया है।

**चार्ट 4.1:** लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र वाले 10 मुख्य विभाग जिन्हें अगस्त, 2018 तक अनुदान दिया गया था



(स्रोत: राज्य का वित्त लेखा)

विभागीय स्तर पर अथवा महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार के कार्यालय में आँकड़ों की उपलब्धता नहीं होने के कारण पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की संख्या, गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र का गलत प्रतिवेदन, सावधि जमा खाते में निधि रखने या किसी अन्य प्रकार के कम प्रतिफल वाले खाते का पता नहीं लगाया जा सका।

यद्यपि नियमित रूप से नियंत्रक एवं महालेखा—परीक्षक के प्रतिवेदनों में उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत नहीं किये जाने जैसे मामलों नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते रहे हैं, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। कई मामलों में, प्राप्तकर्ताओं को उनके विभागों से आगे भी अनुदान प्राप्त करना जारी रहता है,

भले ही पहले के अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हों। अधिक मात्रा में उपयोगिता प्रमाण पत्र का लंबित रहना, निधि के दुरुपयोग एवं धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने का तात्पर्य है कि प्राधिकार ने यह नहीं बताया है कि वर्षों से निधि कैसे खर्च किया गया। खाता में निधि रखने के कारण अवसर लागत का नुकसान भी एक प्रमुख चिंता का विषय है। इन निधियों को उपलब्ध कराने से लक्षित उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं, ऐसा कहा जाना संभव नहीं है।

#### 4.6.1 अनुदेयी संस्थाओं को “अन्य” अभिलेखित किया जाना

सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों को समुचित संस्थान कोड देने के लिए राज्यों में एक तंत्र होना चाहिए। ये अनुदान महालेखाकार कार्यालय के वाउचर लेवल कम्प्यूटरीकरण (भी0एल0सी0) प्रणाली में भी दर्ज किए जाते हैं और प्रत्येक संस्थान के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि की निगरानी की जाती है। यदि, अनुदान राज्य के कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, तो लेखाओं की पारदर्शिता के हित में यह आवश्यक है कि सरकार अनुदेयी संस्थान, जिन्हें निधि प्रदान की जा रही है, का विवरण तथा स्वरूप बताए।

जाँच के दौरान, यह देखा गया कि किसी भी विभाग द्वारा कोई संस्थान कोड प्रदान नहीं किया गया, न ही भी0एल0सी0 प्रणाली के माध्यम से संस्वीकृत सहायता अनुदान और उपयोगिता प्रमाण पत्र दर्ज किया गया और विभागवार अनुश्रवण किया गया। यह भी देखा गया कि वर्ष 2019–20 के दौरान, कुल सहायता अनुदान की राशि ₹ 46,581.53 करोड़ में से ₹ 24,374.29 करोड़ (52.33 प्रतिशत) के मामले में अनुदेयी संस्थान का नाम “अन्य” के रूप में दर्ज किया गया। (परिशिष्ट III, वित्त लेखा 2019–20)

उचित कोड के अभाव में, सभी संस्थानों में लंबित राशि का पता नहीं लगाया जा सका, जो लेखों की पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

#### 4.7 सार आकस्मिक (ए0 सी0) विपत्र

बिहार कोषागार संहिता (भी0टी0सी0), 2011 के नियम 177 में यह प्रावधान है कि आहरण और संवितरण अधिकारी (डी0डी0ओ0) द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि आकस्मिक बिल पर आहरित निधि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा और अव्ययित राशि को उसी वर्ष के 31 मार्च के पूर्व कोषागार को प्रेषित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भी0टी0सी0, 2011 के नियम 194 के अनुसार, जिस महीने में ए0सी0 विपत्र आहरित कि गई हो उसके छ: माह के भीतर प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डी0सी0) प्रस्तुत किया जाएगा। कोई भी सार आकस्मिक विपत्र का नकदीकरण छ: माह के बाद तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता। ए0सी0 विपत्रों के विरुद्ध डी0सी0 विपत्रों के प्रस्तुत किए जाने का वर्षवार प्रगति तालिका 4.7 में दर्शाया गया है।

**तालिका 4.7: ए0सी0 विपत्रों के विरुद्ध डी0सी0 विपत्रों के प्रस्तुत किए जाने का वर्षवार प्रगति (₹ करोड़ में)**


वर्ष	आरंभिक शेष		योग		समाशोधन		अवशेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2016-17 तक	101334	42987.91	1383	1808.68	90177	42421.46	12540	2375.13
2017-18	12540	2375.13	1540	2906.91	468	915.64	13612	4366.40
2018-19	13612	4366.40	1453	631.51	112	73.53	14953	4924.38
2019-20	14953	4924.38	5689	4231.06	0	0.00	20642	9155.44

(स्रोत: संबंधित वर्ष का वित्त लेखा)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल 20,642 ए0सी0 विपत्रों की ₹ 9,155.44 करोड़ की राशि मार्च 2020 तक समायोजित नहीं किया गया था। वर्ष 2019–20 के दौरान, 289 ए0सी0 विपत्रों की राशि कुल मिलाकर ₹ 805.96 करोड़ की राशि (कुल आहरित 5,689 ए0सी0 विपत्रों की राशि ₹ 4,231.06 करोड़ का 19.05 प्रतिशत) विभिन्न पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आहरित किए गए थे। ₹ 644.13 करोड़ (कुल आहरित एसी विपत्रों का 15.22 प्रतिशत) राशि के 1,383 ए0सी0 विपत्र केवल मार्च 2020 में आहरित किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंतिम दिन कोई भी ए0सी0 विपत्र की निकासी नहीं की गयी थी।

मार्च माह में ए0सी0 विपत्रों पर पर्याप्त व्यय इंगित करता है कि इनका आहरण मुख्य रूप से बजट प्रावधानों को समाप्त करने के लिए किया गया था जो अपर्याप्त बजट नियंत्रण को दर्शाता है। पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए आहरण प्रायोजन–स्तर आयोजन की कमी को दर्शाता है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के भी0एल0सी0 प्रणाली में विभागवार लंबित डी0सी0 विपत्रों का संधारण नहीं किया जा रहा है। मुख्य शीर्षवार लंबित डी0सी0 विपत्र चार्ट 4.2 में दर्शाया गया है।

**चार्ट 4.2: मुख्य शीर्षवार लंबित डी0सी0विपत्र**



(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना द्वारा प्रस्तुत ऑँकड़ा)

वित्तीय वर्ष के अंत में सार आकस्मिक विपत्रों द्वारा पूँजीगत परिसम्पत्ति निर्माण पर व्यय मुख्यतः बजट प्रावधानों को समाप्त करने के लिए किए गए आहरण के साथ-साथ निम्न लोक व्यय प्रबंधन को दर्शाता है। अग्रिमों का लंबी अवधि तक असमायोजित रहना दुर्विनियोजन एवं धोखाधड़ी के जोखिम से भरा होता है।

निर्धारित समय के भीतर डी0सी0 विपत्र जमा न करना वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन है और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के जोखिम को बढ़ाता है।

#### 4.8 व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाता

बी0टी0सी0, 2011 के नियम 339 में वर्णित है कि महालेखाकार को सूचना देते हुए वित्त विभाग के लिखित प्राधिकार के बिना कोई भी व्यक्तिगत जमा खाता कोषागार में नहीं खोला जाएगा। नियम 340(बी) में कहा गया है कि इस खाते का उपयोग केवल उन विशेष मामलों के लिए किया जाएगा, जहां सार्वजनिक हित में व्यय का प्रवाह सामान्य कोषागार प्रक्रिया के माध्यम से संभव नहीं होती है या बड़ी संख्या में छोटे लाभार्थी होते हैं जो कि दूर-दराज बिखरे हुए हों जिन्हें कोषागार के माध्यम से प्रत्यक्ष

संवितरण व्यावहारिक नहीं हो। पी0डी0 खातों में समेकित निधि से किया गया हस्तांतरण संबंधित सेवा मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अंतिम व्यय के रूप में नामित किया जाता है। पी0डी0 प्रशासकों को वित्तीय वर्ष के अंत में सभी पी0डी0 खातों की समीक्षा करने और लगातार पाँच वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष, जिसमें धन आहरण किया गया था को मिलाकर)<sup>20</sup> तक अव्ययित राशि को सेवा शीर्ष के व्यय में कमी कर समेकित निधि को हस्तांतरित करना आवश्यक है।

वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना<sup>21</sup> के अनुसार, दिनांक 01.04.2019 से पहले खोले गए सभी पी0डी0 / व्यक्तिगत बही (पी0एल0) खाता, दिनांक 01.04.2019 को सी0एफ0एम0एस0 में खोला हुआ माना जाएगा और पी0डी0 / पी0एल0 खातों में अप्रयुक्त राशि बाद के पाँच वर्षों में व्यपगत हो जाएगा। वर्तमान में, निष्क्रिय पी0डी0 खातों की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है।

जाँच के दौरान, यह पाया गया कि सभी पी0डी0 खातों को उसके लेखों के नामित शीर्ष 8443—सिविल जमा, 106—व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत खोला गया है। सी0एफ0एम0एस0 (31.03.2019 तक) के पहले 175 पी0डी0 खातों में कुल ₹ 4,377.12 करोड़ पड़े हुए थे। इन खातों में से केवल 163 पी0डी0 खातों को सी0एफ0एम0एस0 में स्थानांतरित किया गया था और 12<sup>22</sup> पी0डी0 खातों को वित्तीय वर्ष 2019–20 में सी0एफ0एम0एस0 में स्थानांतरित नहीं किया गया है। दो पी0डी0 खाते सी0एफ0एम0एस0 में नये खोले गए हैं जो पूर्व में 175 पी0डी0 खातों में सम्मिलित नहीं थे। एक पी0डी0 खाता जिसे पहले ही 2017 में बंद कर दिया गया था, वर्तमान में यह सी0एफ0एम0एस0 में उपलब्ध पाया गया। 166 प्लस—माइनस मेमो कोषागारों द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत किया गया था। पी0डी0 खाते महालेखाकार (लो0 एवं हक0) के अनुमोदन से खोले गये थे।

2019–20 के दौरान, आठ पी0डी0 खातों को बंद कर उनमें पड़े ₹ 555.90 करोड़ की राशि को राज्य के समेकित निधि में जमा कर दिया गया। 2019–20 के दौरान, सी0एफ0एम0एस0 में मौजूद पी0डी0 खातों का विवरण तालिका 4.8 में दिखाया गया है। वर्ष के दौरान संव्यवहार (क्रेडिट एवं डेबिट) को कॉलम वर्ष के दौरान योग एवं समापन के अंतर्गत दिखाया गया है।

**तालिका 4.8: सी0एफ0एम0एस0 के अनुसार वर्ष 2019–20 के दौरान पी0डी0 खातों की विवरणी (₹ करोड़ में)**

01.04.2019 को आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान योग		वर्ष के दौरान समापन		31.03.2020 को अंत शेष	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
166	4,361.12	0	552.13	08	1600.31	158	3,312.94

(स्रोत: संबंधित वर्षों का वित्त लेखा)

यह देखा गया कि मार्च 2019 के समापन शेष तथा अप्रैल 2019 के आरंभिक शेष में ₹ 16.00 करोड़ का अंतर था। कार्यालय, महालेखाकार (लो0 एवं हक0) ने बताया कि आरंभिक शेष में अंतर 12 पी0डी0 खातों के स्थानांनतरण नहीं किए जाने और 7 पी0डी0 खातों के लंबित समाशोधन के कारण हैं। वित्त लेखा (विवरण 21) और प्लस माइनस ज्ञापन के अंतर का समाशोधन किया जा रहा है।

समय—समय पर पी0डी0 खातों का समाशोधन नहीं होना एवं पी0डी0 खातों के अवशेष राशि का वित्त वर्ष समाप्ति के पूर्व समेकित निधि में हस्तांतरण नहीं होना लोक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है।

<sup>20</sup> बिहार सरकार की अधिसूचना सं0 6679 दिनांक 23.08.2016

<sup>21</sup> अधिसूचना सं0. एम0-4-02/2020-2916/एफ0 दिनांक: 03.06.2020

<sup>22</sup> डी0डी0सी0 कटिहार; एस0डी0ओ0 नरकटियागंज; एस0डी0ओ0 रजौली (नवादा); अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय, निर्माण भवन, पटना; बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना; डी0एम0, सहरसा; एस0डी0ओ0, सहरसा; एस0डी0ओ0, मढ़ौड़ा (सारण); एस0डी0ओ0, शिवहर; एस0डी0ओ0, शेरघाटी; एस0डी0ओ0, महनार एवं एस0डी0ओ0, डिहरी।

#### 4.9 वैयक्तिक बही (पी0एल0) खाता

बिहार कोषागार (संशोधन) संहिता 2014 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष प्रयोजन संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरण, एजेंसी और सोसायटी आदि, जो किसी भी रूप में धन प्राप्त करते हैं (यथा अनुदान, ऋण, प्रतिशत आधार पर किये गये कार्य इत्यादि), के लिए वैयक्तिक बही खाता कोषागार में खोला जायेगा। राज्य सरकार किसी भी संस्था या किसी विशिष्ट योजना के राशि को पी0एल0 खाता में रखने से छूट दे सकती है। प्राधिकृत अधिकारी गैर-सरकारी चेक के माध्यम से पी0एल0 खाता संचालित करेगा। राज्य सरकार इन संस्थानों की मौद्रिक तरलता को बनाए रखने के लिए किस्तों में पी0एल0 खातों से निकासी कर बैंक खाते में राशि रखने का आदेश दे सकती है। वित्त विभाग विशेष परिस्थितियों में पी0एल0 खाते में राशि जमा करने और निकालने की प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है।

31 मार्च 2020 तक 66 कोषागारों में, आठ नए पी0एल0 खातों सहित 253 पी0एल0 खाते जिनकी कुल राशि ₹ 26,997.71 करोड़ थी। इसके अलावा, 18 पी0एल0 खातों को सी0एफ0एम0एस0 मे स्थानांतरित नहीं किया गया था।

70 पी0एल0 खाते ऐसे थे, जिनमें वर्ष 2018–19 के अंतशेष एवं वर्ष 2019–20 के प्रारंभिक शेष में विसंगतियाँ पायी गयी। इनमें से, 53 का समाशोधन 22.12.2020 तक कर लिया गया था। अन्य पी0एल0 खातों की विसंगतियों को दूर करने की कार्रवाई महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय द्वारा की जा रही है। वर्ष 2019–20 के दौरान कोई भी पी0एल0 खाता बंद नहीं किया गया था।

पी0एल0 खातों की शेष राशि का समय–समय पर समाशोधन नहीं करना और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले पी0एल0 खातों में पड़े अव्यवहृत शेष राशि को समेकित निधि में हस्तांतरित नहीं करना लोक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी एवं दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है।

#### 4.10 लघु शीर्ष 800 का अनुचित प्रयोग

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 को केवल तब संचालित किया जाना चाहिए जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष का प्रावधान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित व्यवहार को निरुत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह शीर्ष संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि को नहीं दर्शाता है फलतः लेखा के पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, कुल व्यय ₹ 1,38,320.56 करोड़ में से ₹ 640.26 करोड़ (0.46 प्रतिशत) लघु शीर्ष 800 में किया गया था। इसी प्रकार, कुल प्राप्ति ₹ 1,24,232.53 करोड़ में से ₹ 948.22 करोड़ (0.76 प्रतिशत) लघु शीर्ष 800 में नामित किया गया (परिशिष्ट 4.2 तथा 4.3)। लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत 50 प्रतिशत एवं अधिक की व्यय एवं प्राप्तियाँ पायी गयीं जो क्रमशः तालिका 4.9 एवं 4.10 में उल्लेखित हैं।

**तालिका 4.9: वित्त वर्ष के दौरान "लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय" के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण व्यय**  
(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	लघु शीर्ष 800 अंतर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशतता
1.	2250	अन्य सामाजिक सेवा	21.25	23.05	92.21

(स्रोत: वित्त लेखा, 2019–20)


**तालिका 4.10: वित्त वर्ष के दौरान “लघु शीर्ष 800 – अन्य प्राप्तियाँ” के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विवरण	लघु शीर्ष 800 अंतर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	प्रतिशतता
1	0059	लोक कार्य	5.80	8.60	67.44
2	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	126.42	137.39	92.02
3	0210	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	26.53	47.54	55.81
4	0230	श्रम और रोजगार	7.76	11.28	68.79
5	0235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.17	0.17	100.00
6	0404	डेयरी विकास	0.02	0.02	100.00
7	0506	भूमि सुधार	0.16	0.13	121.06
8	0702	लघु सिचाई	10.90	17.69	61.62
9	0851	ग्राम एवं लघु उद्योग	0.08	0.08	100.00
10	0852	उद्योग	14.63	14.64	99.93
11	1053	नागरिक उड्डयन	1.58	1.95	81.03
12	1056	अंतर्देशीय जल परिवहन	0.01	0.01	100.00
13	1456	सिविल आपूर्ति	0.02	0.02	100.00


(स्रोत: वित्त लेखा, 2019–20)

**चार्ट 4.3: वित्त वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान “लघु शीर्ष 800 – अन्य व्यय” का संचालन**



(स्रोत: वित्त लेखा, 2015–16 से 2019–20)

**चार्ट 4.4: वित्त वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान “लघु शीर्ष 800 – अन्य प्राप्तियाँ” का संचालन**



(स्रोत: वित्त लेखा, 2015–16 से 2019–20)

आगे, वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान, लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय ₹ 93.62 करोड़ से बढ़कर ₹ 640.26 करोड़ तथा प्राप्तियाँ ₹ 940.20 करोड़ से बढ़कर ₹ 948.22 करोड़ हो गयी थी। वर्ष 2019–20 के दौरान लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत वृहत् व्यय मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी (₹ 216.42 करोड़) और 6004–केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम (₹ 390.77 करोड़) दर्ज किए गए थे।

बड़ी राशियों का वर्गीकरण सर्वव्यापी “लघु शीर्ष 800” के अंतर्गत, वित्तीय प्रतिवेदन की पारदर्शिता को प्रभावित करता है और आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है।

#### पैमाने से संबंधित मुद्दे

##### 4.11 मुख्य उचंत और ऋण, जमा और प्रेषण (डी0डी0आर0) शीर्ष के अंतर्गत लंबित शेष

निश्चित मध्यवर्गी/समायोजन शीर्ष जो 8658– उचंत शीर्ष से जाना जाता है, सरकारी लेखों में प्राप्तियों एवं व्यय के वैसे लेन देन को प्रदर्शित करने के लिए संचालित होता है जिसे उसके प्रकृति की जानकारी न होने के कारण एवं अन्य कारणों से सुनिश्चित लेखा शीर्ष में प्रविष्ट नहीं किया जा सकता है। वित्त लेखा, उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत निवल शेष को प्रदर्शित करता है। इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत लंबित नामे तथा जमा शेष को अलग से जोड़कर तैयार किया जाता है। विगत तीन वर्षों के अंत तक कुछ मुख्य उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत सकल ऑकड़ों की स्थिति तालिका 4.11 में दर्शायी गयी है।

## तालिका 4.11: उचन्त एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	2017–2018		2018–19		2019–20	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
मुख्यशीर्ष 8658—उचन्त						
101—पी०ए०ओ० उचन्त	335.27	0.00	314.56	0.00	289.23	0.00
निवल	नामे 335.27		नामे 314.56		नामे 289.23	
102— उचन्त लेखा सिविल	4,059.01	309.73	4,408.94	452.87	10,495.81	638.35
निवल	नामे 3,749.28		नामे 3,956.07		नामे 9,857.46	
107—नकदी निपटान उचन्त लेखा	0.00	32.29	0.00	32.29	0.00	32.29
निवल	जमा 32.29		जमा 32.29		जमा 32.29	
109—रिजर्व बैंक उचन्त मुख्यालय	262.54	0.66	264.57	(-) 0.01	249.56	2.56
निवल	नामे 261.88		नामे 264.58		नामे 247.00	
110—रिजर्व बैंक उचन्त सी०ए०ओ०	1,276.72	894.62	1,280.04	894.61	1,194.19	894.61
निवल	नामे 382.10		नामे 385.43		नामे 299.58	
112—स्रोत पर कर कटौती उचंत	776.13	1257.13	1126.83	1455.19	953.83	1281.53
निवल	जमा 481.00		जमा 328.36		जमा 327.70	
123—ए०आई०ए० अधिकारियों का समूह बीमा योजना	0.23	7.08	0.45	6.91	0.35	6.53
निवल	जमा 6.85		जमा 6.46		जमा 6.18	
प्रमुख शीर्ष 8782—नकद प्रेषण						
102—पी० डब्ल्य० प्रेषण	16,469.13	15,520.08	16,746.56	15,838.27	16,748.75	15,837.56
निवल	नामे 949.05		नामे 908.29		नामे 911.19	
103—वन प्रेषण	2,779.39	2,535.37	3,146.33	2,937.60	3,146.65	2,938.38
निवल	नामे 244.02		नामे 208.73		नामे 208.27	

(स्रोत: वित्त लेखा, 2017–18 से 2019–20)

यह देखा गया कि शीर्ष 102— उचन्त लेखा—सिविल अंतर्गत निधि में वर्ष 2018–19 के (निवल डेबिट ₹ 3,956.07 करोड़) की तुलना में वर्ष 2019–20 में (निवल डेबिट ₹ 9,857.46 करोड़) उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संस्वीकृति आदेश/पेंशन भुगतान कागजात/चलांत विपत्र/उप-अभिश्रव इत्यादि नहीं लगाये जाने के कारण महालेखाकार (ले० एवं हक०) कार्यालय ने अब तक ₹ 7,149.67 करोड़ के 22,857 अभिश्रवों एवं ₹ 63.59 करोड़ के 316 चालानों पर आपत्ति दर्ज किया है। ये सभी उचन्त लेखा में रखे गये हैं। सभी अभिश्रव एवं चालान अप्रैल 2021 तक संशोधित नहीं किये गये थे।

उचन्त और प्रेषण का समाशोधन राज्य कोषागारों (कार्य और वन विभाग इत्यादि सहित) द्वारा प्रस्तुत विवरणों पर निर्भर करता है। यदि इन राशियों का समाशोधन नहीं होता है तो प्रमुख उचन्त शीर्षों के अधीन राशियाँ जमा होती चली जाएंगी जो सरकारी खर्च के सही एवं निष्पक्ष तस्वीर को प्रतिबिंधित नहीं करेगी।

#### 4.12 विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

विभागों के नियंत्री अधिकारियों को व्यय पर प्रभावी नियंत्रण करने तथा उनके लेखाओं की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यय को बजट अनुदान के अंतर्गत रखना चाहिए। राज्य के वित्तीय नियम यह निर्धारित करते हैं कि उनके लेखा में वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज प्राप्तियों और व्यय का समाशोधन प्रत्येक महीने महालेखाकार (ले० एवं हक०) कार्यालय के लेखा अभिलेखों के साथ किया जाना चाहिए।

बिहार वित्त नियमावली के नियम 475 के अनुसार, सभी नियंत्री अधिकारियों द्वारा अपनी प्राप्तियों एवं व्यय का समाशोधन महालेखाकार (ले० एवं हक०) के साथ करना आवश्यक है।

हालाँकि, वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि के प्राप्तियों एवं व्यय के समाशोधन नहीं किये जाने की प्रवृत्ति में वृद्धि परिलक्षित की गयी है। इसके अलावा, वर्ष 2019–20 के दौरान कुल प्राप्ति ₹ 1,24,232.53 करोड़ में से ₹ 23,681.48 करोड़ (19.06 प्रतिशत) तथा कुल व्यय ₹ 1,38,320.56 करोड़ में से ₹ 1,22,406 करोड़ (88.49 प्रतिशत) का समाशोधन नहीं किया गया जैसा कि तालिका 4.12 में दर्शाया गया है।

**तालिका 4.12: प्राप्ति और व्यय के समाशोधित आँकड़ों की विवरणी**


(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल समाशोधित	आंशिक समाशोधित	असमाशोधित (प्रतिशत्ता)
<b>प्राप्तियाँ</b>			
2017-18	103618.71	-	13828.03 (11.77)
2018-19	109325.76	-	22467.70 (17.05)
2019-20	100551.05	-	23681.48 (19.06)
<b>व्यय</b>			
2017-18	12537.11	-	118993.57 (90.47)
2018-19	18864.70	-	127090.35 (87.08)
2019-20	15914.56	-	122406.00 (88.49)

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखा एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेठो एवं हक्को), बिहार, पटना द्वारा प्रस्तुत आँकड़ा)

विगत तीन वर्षों के समाशोधन की स्थिति का चार्ट 4.5 में दर्शाया गया है।

**चार्ट 4.5: तीन वर्ष 2017–20 के दौरान समाशोधन की स्थिति**



(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखा एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेठो एवं हक्को), बिहार, पटना द्वारा प्रस्तुत आँकड़ा)

इस राशि को भी०एल०सी० मोड्यूल में मुख्य शीर्षवार दर्ज किया गया है, जिसमें नियंत्री अधिकारियों की कुल संख्या मौजूद नहीं थी। साइबर कोषागार के तहत प्राप्तियों के समाशोधन की सुविधा अभी तक शुरू नहीं की गयी है।

सांहित्तिक प्रावधानों और कार्यकारी निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप न केवल गलत वर्गीकरण हुआ बल्कि बजटीय प्रक्रिया का उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ।

#### 4.13 नकद शेष का समाशोधन

महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के लेखा में दर्ज राज्य के नकद शेष और भारतीय रिजर्व बैंक (भारिंबैं0) द्वारा प्रतिवेदित नकद शेष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

हालाँकि, 31 मार्च 2020 को महालेखाकार (ले0 एवं हक0) और भारतीय रिजर्व बैंक के समाशोधन के अनुसार नकद शेष के बीच ₹ 700.18 करोड़ (डेबिट) का अंतर था। यह अंतर मुख्य रूप से अधिकृत बैंकों द्वारा संव्यवहार के गलत विवरण एवं समाशोधन नहीं किये जाने के कारण है। इस विसंगति का समाशोधन किया जा रहा है।

उपर वर्णित अंतर में से ₹ 11.86 करोड़ (डेबिट) 1964–65 से 1987–88 तक की अवधि से संबंधित हैं जो राज्य सरकार द्वारा बहुत खातों में डालने के लिए विचाराधीन है जबकि अन्य विसंगतियों का समाशोधन किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 के दौरान कोई अंतर नकद शेष न तो बहुत खातों में डाला गया था न ही राज्य लेखा में जमा किया गया था।

#### प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दे

#### 4.14 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (निम0ले0प0) के सलाह पर, संघ और राज्यों के लेखा का स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त भारत के निम0ले0प0 ने जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के लिए, सरकारी लेखा और वित्तीय प्रतिवेदन के लिए मानक तैयार करने के लिए 2002 में एक सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जी0ए0एस0ए0बी0) की स्थापना की है। निम0ले0प0 के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखा मानक (आई0जी0ए0एस0) अधिसूचित किए हैं। लेखांकन मानकों का अनुपालन तालिका 4.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.13: लेखा मानकों का अनुपालन

क्रम सं0	लेखांकन मानक	आई0जी0ए0एस0 का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	आई0जी0ए0एस0— 1: सरकार द्वारा दी गयी गारंटी—प्रकटीकरण आवश्यकता	<ul style="list-style-type: none"> <li>गारंटियों का एकरूप और पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करना</li> <li>वर्गवार एवं प्रक्षेत्रवार प्रकटीकरण</li> </ul>	वित लेखों में अनुपालन विवरणी 9 एवं 20 तैयार की गयी हैं। चूंकि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है, फलतः प्रकटीकरण अपूर्ण रहा।	सभी प्रत्याभूतिदाता, राज्य सरकार के विभाग और वर्ष के दौरान दी गयी प्रत्याभूतियों की संख्या का पता नहीं लगाया जा सका।
2.	आई0जी0ए0एस0—2: लेखांकन और सहायक अनुदान का वर्गीकरण	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रदाता अथवा अनुदेयी दोनों के रूप में सहायता अनुदान का वर्गीकरण और लेखांकन</li> </ul>	वित लेखा में अनुपालन विवरणी 10 तैयार की गयी हैं।	नहीं।

क्रम सं०	लेखांकन मानक	आई०जी०ए०एस० का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
3.	आई०जी०ए०एस०-३: सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऋण के संबंध में मान्यता, माप, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग</li> <li>पूर्ण, सटीक और एकसमान लेखांकन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए,</li> <li>ऋणों और अग्रिमों पर पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>वित्त लेखा में अनुपालन विवरणी 7 और 18 तैयार की गयी हैं।</li> <li>संबंधित सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया फलतः “अन्य ऋणी संस्थाओं से बकाया का पुनर्भुगतान”, “अवसूलनीय ऋण एवं संस्थाओं से बकाया का पुनर्भुगतान”, “अवसूलनीय अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला जाना” और ऋण एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला जाना” और “ऋण के वैसे मामले जिन्हें सर्वकालिक ऋण के रूप में मंजूरी दी गई” को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।</li> </ul>	संबंधित सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया फलतः “अन्य ऋणी संस्थाओं से बकाया का पुनर्भुगतान”, “अवसूलनीय ऋण एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला जाना” और “ऋण के वैसे मामले जिन्हें सर्वकालिक ऋण के रूप में मंजूरी दी गई” को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

#### 4.15 स्वायत्त निकायों की लेखा/पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण

नि०म०ले०प० (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार, किसी राज्य का राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र, जिसमें विधान सभा है, का प्रशासक, जब उसकी यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तब नि०म०ले०प० से अनुरोध कर सकेगा कि वह यथास्थिति, राज्य के या संघ राज्यक्षेत्र के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन स्थापित किसी निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करे और जब ऐसा अनुरोध किया गया है तब, नि०म०ले०प० ऐसे निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करेगा और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये उसे निगम के लेखाओं और बहियों तक पहुंच का अधिकार होगा।

धारा 19 के अतिरिक्त, जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा नि०म०ले०प० को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नहीं सौंपी गई है, वहाँ यदि, उससे, यथास्थिति राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के, जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया गया तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर करेगा जो उसके और संबद्ध सरकार के बीच अनुबंधित पाए जाएं, और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये उस निकाय या प्राधिकरण की बहियों और लेखाओं तक पहुंच का अधिकार होगा (धारा 20)।

बिहार राज्य के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में आने वाले 45 निकायों/प्राधिकरणों में से नि०म०ले०प० केवल चार निकायों/प्राधिकरणों के ही प्राथमिक लेखापरीक्षक हैं। शेष 41 निकायों/प्राधिकरणों (**परिशिष्ट 4.4**) की लेखापरीक्षा नि०म०ले०प० (डी०पी०सी०) एकट 1971 की धारा 14 के अंतर्गत किया जा रहा है। यद्यपि, इन निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नि०म०ले०प० को नहीं सौंपा गया। निकायों/प्राधिकरणों के बकाया लेखा की विवरणी **तालिका 4.14** में दर्शाया गया है।

## तालिका 4.14: प्राधिकरणों और निगमों के बकाया लेखे

क्रम सं०	निकाय प्राधिकरण के नाम	अथवा अधिकृत प्राप्ति	लंबित लेखे का वर्ष	वित्तीय वर्ष 2019–20 तक लंबित लेखाओं की सं०	अभियुक्ति
1.	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	2014–15	2018–19 से	2	बी०ए०य०० अधिनियम, 2015 के कंडिका 31(2) के तहत लेखापरीक्षित
2.	राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	2016–17	2014–15 से	3	03.10.16 को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित
3.	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बी० एस० एल० एस० ए०)	स्थायी	2019–20	1	बी०ए०स०एल०एस०ए० अधिनियम, 1987 की धारा 18 के तहत
4.	बिहार विद्युत विनियामक आयोग	स्थायी	2019–20	1	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(2)
कुल				7	

(स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा संकलित आँकड़ा)

## 4.16 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम/निगम/कम्पनियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 में यह निर्धारित किया गया है कि कंपनियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण को संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत से छह महीने के भीतर अर्थात् अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक अंतिम रूप से तैयार कर लेना है। समय पर लेखा तैयार कर प्रस्तुत करने में विफलता कंपनी के अधिकारियों को अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिए उत्तरदायी बनाती है।

यह देखा गया कि 1998–99 से कुल 33 कार्यशील उपक्रमों के कुल 137 लेखे बकाया है, 2015–16 से 3 कार्यशील सांविधिक निगमों के 11 लेखे बकाया हैं और 1977–78 से 37 अकार्यशील उपक्रमों के कुल 1067 लेखे बकाया हैं। 42 अकार्यशील उपक्रमों में से, पाँच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम परिसमाप्तन के अधीन हैं (**परिशिष्ट 4.5**)।

यद्यपि सरकार ने वर्ष 2019–20 तक 16 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, 02 वैधानिक निगमों और 16 अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जिनके खाते 31 मार्च 2020 को बकाया थे, को ₹ 18,872.14<sup>23</sup> करोड़ का बजटीय समर्थन (इकिवटी, ऋण, प्रत्याभूति, अनुदान और सब्सिडी) उपलब्ध कराया था। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कंपनी अधिनियम/संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/वैधानिक निगमों के अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पिछले एक से 43 वर्षों की अवधि के लिए अपने खातों को अंतिम रूप नहीं दिया है (**परिशिष्ट 4.6**)। बीस सार्वजनिक उपक्रम/निगम जिनकी निवल संपत्ति ऋणात्मक है, घाटे में चल रहे हैं (**परिशिष्ट 4.7**)।

खातों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण नि०म०ले०प०, कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित अनुपूरक लेखापरीक्षा एवं वैसे निगमों की सांविधिक लेखापरीक्षा, जैसा कि उनके अधिनियम में वर्णित है, करने में असमर्थ रहा है। खातों को समय पर अंतिम रूप देने के अभाव में, सरकार के निवेश के परिणाम राज्य

<sup>23</sup> इकिवटी— ₹ 342.63 करोड़, ऋण— ₹ 2,705.97 करोड़, पैंजी अनुदान— ₹ 561.36 करोड़, सब्सिडी— ₹ 7,447.91 करोड़ तथा विस्तारित प्रत्याभूति— ₹ 7,814.27 करोड़।

विधायिका के दायरे से बाहर रहते हैं। नतीजतन, जवाबदेही सुनिश्चित करने और दक्षता में सुधार के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हो, समय पर नहीं किये जा सकते हैं। लोक धन के गलत उपयोग एवं धोखाधड़ी के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है।

#### 4.17 लेखाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता

राज्य सरकार के खातों को आर0बी0आई0 के एडवाइस के अतिरिक्त जिला कोषागार, उप-कोषागार, स्थानीय आयुक्त (नई दिल्ली) एवं साइबर कोषागार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रारंभिक लेखों के आधार पर महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा तैयार किया जाता है।

यह देखा गया कि 2019–20 की अवधि के लिए राज्य सरकार के खाते 76 कोषागार (लोक कार्य प्रमंडल एवं वन प्रमंडल सहित) और आर0बी0आई0 के एडवाइस द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रारंभिक लेखों पर आधारित है। लेखाओं को कोषागारों तथा अन्य प्रतिपादित ईकाइयों द्वारा प्रस्तुत अभिश्रवो, प्रारंभिक और सहायक लेखाओं से तैयार किया गया है। वर्ष के अंत में किसी भी लेखा को नहीं छोड़ा गया था।

#### अन्य मुद्दे

#### 4.18 गबन, हानि, चोरी, इत्यादि

बिहार वित्त नियमावली के नियम 31 द्वारा प्रावधान किया गया है कि लोक निधि की राशि, सरकारी राजस्व, भंडार या अन्य संपत्ति का गबन या अन्य प्रकार से हानि से संबंधित मामले, संबंधित कार्यालय द्वारा उच्च अधिकारी तथा वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को भी तत्काल सूचित किया जाना चाहिए, चाहे इस तरह हुई हानि की क्षतिपूर्ति संबंधित जिम्मेदार पक्ष के द्वारा क्यों न कर दी गई हो। इस तरह के मामलों को संदेह उत्पन्न होने के तुरंत बाद बिना जाँच प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये प्रतिवेदित कर दिया जाना चाहिए। गबन, हानि, चोरी के लंबित मामलों को तालिका 4.15 में दर्शाया गया है।

#### तालिका 4.15 गबन, हानि, चोरी इत्यादि के लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	सरकारी सामग्री के गबन/हानि/चोरी के मामले	गबन/हानि/चोरी इत्यादि के मामलों के अंतिम निपटान में देरी होने के कारण					
		लंबित विभागीय और अपराधिक जाँच		विभागीय कार्रवाई शुरू हुई पर अब तक अंतिम समाधान नहीं		अपराधिक कार्रवाई को अंतिम रूप दिया गया लेकिन लंबित राशि की वसूली नहीं	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
ग्रामीण कार्य विभाग	11	2.94	0	0	11	2.94	0

ग्रामीण कार्य विभाग ने सूचित किया था कि 11 मामलों में विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी जो पिछले 20 वर्षों से लंबित हैं। उन 11 मामलों में से, आठ मामलों में ₹ 2.11 करोड़ की राशि लंबित थी जो 10 से अधिक वर्षों से लंबित थे। तीन मामले पिछले 10 वर्षों से लंबित हैं। हालाँकि, अंतिम कार्रवाई अभी भी नहीं की गयी है।

#### 4.19 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य विधानमंडल में प्रतिवेदन की प्रस्तुति के एक माह के भीतर संबंधित विभागों को लेखापरीक्षा में वर्णित कंडिकाओं पर स्वप्रेरणा से एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लोक लेखा समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाना आवश्यक होता है। संबंधित विभागों द्वारा प्रतिवेदन की प्रस्तुति के तीन माह के भीतर

संबंधित मामलों पर की कार्रवाई का प्रतिवेदन (ए०टी०एन०) महालेखाकार को (उसकी पुष्टि के बाद लो०ले०स० को अग्रेसित करने के लिये) उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होता है।

लोक लेखा समिति की अनुशंसा पर वित्त विभाग द्वारा सभी संबंधित विभागों को लेखापरीक्षा में वर्णित सभी कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर तत्काल स्वप्रेरणा से कार्रवाई किए जाने हेतु निदेशित किया जाना चाहिए यद्यपि वे मामले लो०ले०स० द्वारा जाँच के लिए उठाए गए हो अथवा नहीं।

वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन चर्चा के लिए लो०ले०स० द्वारा केवल एक बैठक आयोजित की गई थी। वर्ष 2008–09 से 2017–18 तक के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित 285 कंडिकाओं में से 282 कंडिकाएं अभी भी चर्चा के लिए लंबित हैं।

#### 4.20 निष्कर्ष

सकारात्मक संकेतक	नकारात्मक संकेतक
पी०ए०ल० खातों में विसंगतियों की बढ़ती संख्या	उपकर, रॉयल्टी और नियामकों द्वारा लोक धन को निरंतर राज्य के लोक लेखा के बाहर रखा जाना
	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की बढ़ती संख्या
	लंबित डी०सी० बिलों की बढ़ती संख्या
	उचन्त शीर्ष के अंतर्गत बढ़ती राशि
	ब्याज संग्रही जमाराशियों के संबंध में ब्याज देयता में वृद्धि
	सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखाओं लंबित रहने की अवधि में वृद्धि

#### 4.21 अनुशंसाएँ

वित्त विभाग को चाहिए कि—

- सभी पी०डी० खातों की समीक्षा करे तथा सुनिश्चित करे कि—
  - वर्ष के अंत में पी०डी० खातों में पड़ी सभी राशियाँ अविलंब समेकित निधि में प्रेषित कर दी जाए।
  - पी०डी० खातों से संबंधित वित्तीय नियमों का पालन करने में विफल रहने वाले विभाग और कोषागार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।
- लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत वर्तमान में दर्शाएं जाने वाले सभी राशियों की व्यापक समीक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि इस तरह के प्राप्ति और व्यय महालेखाकार (ले० एवं हक०) के परामर्श से उचित लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज कर लिए जाए।
- एक समय सीमा निर्धारित करे जिसके भीतर प्रशासनिक विभाग लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र एकत्र करे और यह सुनिश्चित करे कि ऐसा न किए जाने तक आदेयी को कोई और अनुदान जारी न हो पाए। लंबित प्रमाण पत्र के लिए जिम्मेदारी तय किया जाए।
- सुनिश्चित करे कि सभी नियंत्री अधिकारी निर्धारित अवधि से अधिक से लंबित सभी ए०सी० विपत्रों को समयबद्ध तरीके से समायोजित करें और यह भी सुनिश्चित करे कि इनका आहरण सिर्फ बजट

प्रावधानों को व्यपगत होने से बचाने के लिए नहीं किए गए हों। लंबित ए०सी० विपत्रों के समायोजन में अनावश्यक विलंब के लिए जिम्मेदारी तय किए जाए।

- यह देखने की जरूरत है कि क्या व्ययित निधि “पैसा वसूल” है और क्या इस तरह की इकिवटी एवं ऋण सहायता को पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया जा सकता है।
- सा०क्षे०उ० के उन सभी मामलों की समीक्षा करें जहाँ वार्षिक लेखे लंबित हैं, यह सुनिश्चित करें कि वार्षिक लेखाओं को एक समुचित समयावधि के भीतर अद्यतन कर लिए जाएं, और उन सभी मामलों में जहाँ वार्षिक लेखे लंबित हैं, वित्तीय सहायता स्थगित कर दिए जाएं। सरकार को वार्षिक लेखाओं को लंबित रखे जाने के संबंध में जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए।

पटना

दिनांक 19 अगस्त 2021

(रामावतार शर्मा)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली


दिनांक 27 अगस्त 2021

(गिरीश चंद्र मुमू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



## परिशिष्ट



## परिशिष्ट—1.1

(संदर्भ: कंडिका 1; पृष्ठ 1)

राज्य का परिचय

अ. सामान्य आँकड़े					
क्रम सं.	विवरण	आँकड़े			
1	क्षेत्रफल			94,163 वर्ग कि.मी.	
2	2020 के जनगणना के अनुसार			12.23 करोड़	
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			1,106	
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत = 21.90 प्रतिशत)			33.70 प्रतिशत	
5	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 73.00 प्रतिशत)			61.80 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म पर) (राष्ट्रीय औसत = 33 प्रति 1000 जन्म पर)			35	
7	जन्म से जीवन प्रत्याशा (राष्ट्रीय औसत = 69.40 वर्ष)			69.10 वर्ष	
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2019–20 के चालू मूल्य पर (₹ करोड़ में)			611804	
9	प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. <sup>24</sup> सी.ए.जी.आर. <sup>25</sup> (2011–12 से 2019–20)	बिहार		10.08	
10	जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2011–12 से 2019–20)	सामान्य कोटि के राज्य		10.53	
11	जनसंख्या वृद्धि (2011 से 2020)	बिहार		12.00	
		सामान्य कोटि के राज्य		11.98	
		बिहार		16.21	
		सामान्य कोटि के राज्य		10.98	
ब. वित्तीय आँकड़े					
क्रम सं.	विवरण	(आँकड़े प्रतिशत में)			
1	सी0ए0जी0आर0	2010–11 से 2018–19	2018–19 से 2019–20		
		सामान्य कोटि के राज्य	बिहार	सामान्य कोटि के राज्य	बिहार
क	राजस्व प्राप्तियों का	13.65	14.53	2.08	(-) 5.74
ख	कर राजस्व का	12.21	14.62	2.12	2.55
ग	करेतर राजस्व का	11.19	19.62	23.44	(-) 10.43
घ	कुल व्यय का	13.87	14.90	4.09	(-) 2.59
ङ	पूँजीगत व्यय का	14.64	10.91	(-)3.86	(-) 7.81
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	11.58	16.23	11.81	(-) 3.00
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	15.43	20.08	9.48	12.73
ज	वेतन एवं मजदूरी का	10.78	8.30	9.51	2.35
झ	पेशन का	14.14	12.74	9.74	6.75

(चोत: सार्विकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.07.2020)।

<sup>24</sup> जी.एस.डी.पी. = सकल राज्य घरेलू उत्पाद।

<sup>25</sup> सी.ए.जी.आर. = चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर।

## परिशिष्ट—2.1

(संदर्भ: कंडिका 2.2; पृष्ठ 8)  
राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
<b>खंड अ प्राप्तियाँ</b>					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	96,123	1,05,585	1,17,447	1,31,794	1,24,233
(i) कर राजस्व	25,449(26)	23,742(23)	23,137(20)	29,408(22)	30,158(24)
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	10,603(42)	11,873(50)	8,298(36)	6,584(23)	6,121(20)
राज्य उत्पाद	3,142(12)	30(0)	(-)3.00(0)	(-)10(0)	(-) 4.00(0)
वाहन पर कर	1,081(4)	1,257(5)	1,599(7)	2,086(7)	2,713(9)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	3,409(13)	2,982(13)	3,726(16)	4,189(14)	4,661(16)
भू—राजस्व	695(3)	971(4)	779(3)	477(2)	275(1)
माल एवं यात्री कर	6,087(24)	6,245(26)	1,645(7)	399(1)	23(0)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	6,747(29)	15,288(52)	1,5800(52)
अन्य कर	432(2)	384(2)	346(2)	395(1)	568(2)
(ii) करेतर राजस्व	2,186(2)	2,403(2)	3,507(3)	4,131(3)	3,700(3)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	48,923(51)	58,881(56)	65,083(55)	73,603(56)	63,406(51)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	19,565(21)	20,559(19)	25,720(22)	24,652(19)	26,969(22)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	19	23	22	1,825	30
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	96,142	1,05,608	1,17,469	1,33,619	1,24,263
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	18,383	21,577	13,169	18,668	29,145
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	17,565	20,065	11,771	16,134	27,866
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन—देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	818	1,512	1,398	2,534	1,279
6. अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-	-	-
7. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5+6)	1,14,525	1,27,185	1,30,638	1,52,287	1,53,408
8. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
9. लोक लेखा प्राप्तियाँ	49,106	61,730	57,107	68,259	1,94,512
10. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (7+8+9)	1,63,631	1,88,915	1,87,745	2,20,546	3,47,920
<b>खंड ब व्यय / संवितरण</b>					
11. राजस्व व्यय	83,616	94,765	1,02,624	1,24,897	1,26,017
योजना	29,651(35)	33,576(35)	35,951(35)	47,365(38)	44,576(35)
स्थापना और प्रतिबद्ध	53,965(65)	61,189(65)	66,673(65)	77,532(62)	81,441(65)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	27,972(33)	30,607(32)	33,374(32)	38,691(31)	41,628(33)
सामाजिक सेवाएँ	35,943(43)	40,737(43)	45,770(45)	58,284(47)	57,816(46)
आर्थिक सेवाएँ	19,697(24)	23,417(25)	23,476(33)	27,918(22)	26,571(21)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	4	4	4	2

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
<b>12. पूँजीगत व्यय</b>	<b>23,966</b>	<b>27,208</b>	<b>28,907</b>	<b>21,058</b>	<b>12,304</b>
योजना	23,930(99)	27,192(100)	28,866(100)	20,999(100)	12,253(100)
स्थापना और प्रतिबद्ध	36(1)	16(0)	41(0)	59(0)	51(0)
सामान्य सेवाएँ	3,617(15)	2,090(8)	2,765(10)	3,311(16)	2,388(19)
सामाजिक सेवाएँ	2,740(11)	3,592(13)	4,258(15)	4,061(19)	2,803(23)
आर्थिक सेवाएँ	17,609(74)	21,526(79)	21,884(75)	13,686(65)	7,113(58)
<b>13. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण</b>	<b>621</b>	<b>114</b>	<b>243</b>	<b>1,470</b>	<b>666</b>
<b>14. कुल (11+12+13)</b>	<b>1,08,203</b>	<b>1,22,087</b>	<b>1,31,774</b>	<b>1,47,425</b>	<b>1,38,987</b>
<b>15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान</b>	<b>4,125</b>	<b>4,215</b>	<b>4,653</b>	<b>7,230</b>	<b>7,110</b>
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	3,423	3,461	3,841	6,300	6,143
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	702	754	812	930	967
<b>16. आकस्मिकता निधि को विनियोजन</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>17. अंतरराज्यीय समाशोधन</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>18. संचित निधि से कुल संवितरण (14+15+16+17)</b>	<b>1,12,328</b>	<b>1,26,302</b>	<b>1,36,427</b>	<b>1,54,655</b>	<b>1,46,097</b>
<b>19. आकस्मिकता निधि संवितरण</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>20. लोक लेखा संवितरण</b>	<b>45,923</b>	<b>57,268</b>	<b>46,299</b>	<b>67,135</b>	<b>1,97,747</b>
<b>21. राज्य द्वारा कुल संवितरण (18+19+20)</b>	<b>1,58,251</b>	<b>1,83,570</b>	<b>1,82,726</b>	<b>2,21,790</b>	<b>3,43,844</b>
<b>खंड स घाटा</b>					
22. राजस्व घाटा (-) / राजस्व आधिक्य (+) (1-11)	12,507	10,820	14,823	6,897	(-) 1,784
23. राजकोषीय घाटा (-) / राजकोषीय आधिक्य; (4-14)	(-)12,061	(-)16,479	(-)14,305	(-)13,807	(-) 14,724
24. प्रारंभिक घाटा / प्रारंभिक आधिक्य (23+25)	(-)4,963	(-)8,288	(-)5,251	(-)3,736	(-) 3,733
<b>खंड द अन्य आँकड़े</b>					
25. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	7,098	8,191	9,054	10,071	10,991
26. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	26,426	36,209	43,359	51,764	46,582
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) <sup>®</sup>	3,71,602	4,22,051	4,68,746	5,30,363	6,11,804
28. लंबित राजकोषीय देयताएँ (वर्ष के अंत में)	1,16,578	1,38,722	1,56,777	1,68,921	1,93,382
29. लंबित प्रत्याभूति (वर्ष के अंत में)	4,721	4,460	5,174	5,398	5,380
30. अधिकतम दी गई गारंटी (वर्ष के अंत में)	9,397	13,053	20,234	20,834	20,834
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	144	130	127	68	143
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	1,728	1,521	892	315	1001
<b>खंड ई राजकोषीय स्थिति का संकेतक</b>					
<b>I संसाधन संग्रहण (प्रतिशत में)</b>					
कर राजस्व / जी.एस.डी.पी.	6.85	5.62	4.77	5.28	4.93
करेतर राजस्व / जी.एस.डी.पी.	0.59	0.57	0.72	0.74	0.60
केंद्रीय अंतरण / जी.एस.डी.पी.	13.17	13.94	13.43	13.20	10.36

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
<b>II व्यय प्रबंधन (प्रतिशत में)</b>					
कुल व्यय / जी.एस.डी.पी.	29.12	28.91	27.18	26.44	22.72
कुल व्यय / राजस्व प्राप्तियाँ	112.57	115.63	112.20	111.86	111.88
राजस्व व्यय / कुल व्यय	77.28	77.62	77.88	84.72	90.67
सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय / कुल व्यय	33.22	33.37	34.73	39.53	41.60
आर्थिक सेवाओं पर व्यय / कुल व्यय	18.20	19.18	17.82	18.94	19.12
पूँजीगत व्यय / कुल व्यय	22.15	22.29	21.94	14.28	8.85
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय / कुल व्यय	18.81	20.57	19.84	12.04	7.13
<b>III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन (प्रतिशत में)</b>					
राजस्व आधिक्य / जी.एस.डी.पी.	3.37	2.56	3.06	1.24	(-)0.29
राजकोषीय घाटा / जी.एस.डी.पी.	3.25	3.90	2.95	2.48	2.41
प्राथमिक घाटा / जी.एस.डी.पी.	1.34	1.96	1.08	0.67	0.61
राजस्व अधिशेष / राजकोषीय घाटा	103.70	65.66	103.62	49.95	12.12
<b>IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन (प्रतिशत में)</b>					
राजकोषीय दायित्व / जी.एस.डी.पी.	31.37	32.85	32.34	30.30	31.61
राजकोषीय दायित्व / राजस्व प्राप्तियाँ	121.28	131.38	133.49	128.17	153.66
राजकोषीय दायित्व / राज्य के अपने संसाधन	421.85	530.59	588.41	503.66	563.82

कोषक में दिए गए आँकड़े प्रत्येक उप-शीर्षों की कुल प्रतिशतता दर्शाते हैं।

@जी.एस.डी.पी.:— सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.07.2020  
(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

## परिशिष्ट—3.1

(संदर्भ: कंडिका 3.3.3)

अनुपूरक प्रावधान के मामले

(प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3-5)=(6)
<b>राजस्व (भारित)</b>					
1.	5. राज्यपाल सचिवालय	29.88	1.01	1.33	28.55
(अ) योग राजस्व (भारित)		<b>29.88</b>	<b>1.01</b>	<b>1.33</b>	<b>28.55</b>
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>					
2.	1. कृषि विभाग	2,938.77	533.16	2,152.49	786.28
3.	2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	953.25	172.41	789.36	163.89
4.	3. भवन निर्माण विभाग	792.96	39.41	398.48	394.48
5.	4. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	365.40	5.64	152.01	213.39
6.	9. सहकारिता विभाग	1,514.44	226.88	586.00	928.44
7.	11. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,584.65	2.81	1,413.05	171.60
8.	12. वित्त विभाग	295.53	16.48	186.56	108.97
9.	15. पेंशन	18,443.71	77.30	17,118.98	1,324.73
10.	16. पंचायती राज विभाग	11,956.31	1,420.04	8,689.62	3,266.69
11.	18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,347.49	7.61	702.00	645.49
12.	20. स्वास्थ्य विभाग	7,693.06	1,590.75	6,960.84	732.22
13.	21. शिक्षा विभाग	34,027.21	3,033.56	25,958.41	8,068.80
14.	22. गृह विभाग	10,466.00	560.37	8,992.73	1,473.27
15.	23. उद्योग विभाग	709.30	59.08	435.26	274.04
16.	25. सूचना प्रोटोकॉल विभाग	154.00	27.91	106.89	47.11
17.	26. श्रम संसाधन विभाग	785.52	66.81	643.42	142.10
18.	27. विधि विभाग	990.28	6.68	768.04	222.24
19.	30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	189.10	33.62	88.63	100.47
20.	32. विधानमंडल	207.50	10.85	171.16	36.34
21.	33. सामान्य प्रशासन विभाग	720.78	31.63	526.05	194.73
22.	35. योजना एवं विकास विभाग	846.96	23.67	273.91	573.05
23.	38. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	237.41	54.39	219.30	18.11
24.	39. आपदा प्रबंधन विभाग	4,314.76	3,037.12	3,621.18	693.58
25.	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	845.93	85.11	561.72	284.21
26.	41. पथ निर्माण विभाग	1,469.14	600.00	854.48	614.66

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3-5)=(6)
27.	42. ग्रामीण विकास विभाग	15,639.03	2,924.05	9,692.46	5,946.57
28.	43. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	200.72	61.89	172.50	28.22
29.	44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,511.54	84.09	1,121.26	390.28
30.	46. पर्यटन विभाग	48.09	16.65	28.05	20.04
31.	47. परिवहन विभाग	443.42	10.00	267.64	175.78
32.	48. नगर विकास एवं आवास विभाग	5,148.79	1,086.25	2,984.53	2,164.26
33.	49. जल संसाधन विभाग	1,122.64	38.30	858.07	264.57
34.	50. लघु जल संसाधन विभाग	485.68	10.49	284.83	200.85
<b>(ब) योग राजस्व (दत्तमत)</b>		<b>1,28,449.37</b>	<b>15,955.01</b>	<b>97,779.91</b>	<b>30,669.46</b>
<b>योग राजस्व (अ+ब)</b>		<b>1,28,479.25</b>	<b>15,956.02</b>	<b>97,781.24</b>	<b>30,698.01</b>
<b>पूँजीगत (भारित)</b>					
35.	14. ऋण अदायगियाँ	7,235.93	431.60	7,109.83	126.10
<b>(स) योग पूँजीगत (भारित)</b>		<b>7,235.93</b>	<b>431.60</b>	<b>7,109.83</b>	<b>126.10</b>
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>					
36.	01. कृषि विभाग	20.00	126.91	0.00	20.00
37.	03. भवन निर्माण विभाग	4,582.10	573.88	1,384.86	3,197.24
38.	09. सहकारिता विभाग	483.27	78.02	7.29	475.98
39.	12. वित्त विभाग	879.40	63.59	613.94	265.46
40.	19. पर्यावरण एवं वन विभाग	83.00	37.47	60.34	22.66
41.	20. स्वास्थ्य विभाग	1,929.70	182.08	852.20	1,077.50
42.	21. शिक्षा विभाग	771.48	392.42	125.59	645.89
43.	23. उद्योग विभाग	112.09	50.00	0.00	112.09
44.	30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	270.00	17.50	161.30	108.70
45.	35. योजना एवं विकास विभाग	1,641.99	43.48	1,098.51	543.48
46.	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	3,124.34	45.68	1,905.18	1,219.16
47.	37. ग्रामीण कार्य विभाग	9,706.97	150.00	1,883.28	7,823.69
48.	43. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	78.00	23.50	46.71	31.29
49.	49. जल संसाधन विभाग	2,529.66	1,978.52	954.33	1,575.33
50.	50. लघु जल संसाधन विभाग	252.52	881.00	225.28	27.24
51.	51. समाज कल्याण विभाग	30.88	52.83	9.87	21.01
<b>(द) योग पूँजीगत (दत्तमत)</b>		<b>26,495.40</b>	<b>4,696.88</b>	<b>9,328.68</b>	<b>17,166.72</b>
<b>महायोग (अ+ब+स+द)</b>		<b>1,62,210.58</b>	<b>21,084.50</b>	<b>1,14,219.75</b>	<b>47,990.83</b>

(स्रोत: वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

## परिशिष्ट—3.2

(संदर्भ: कंडिका 3.3.4)  
निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	01	3451–00–090–0007– कृषि विभाग	6.94	0.00	6.94	0.10	3.94	0.00	3.10
2.	02	2403–00–001–0001– मुख्यालय स्थापना	7.63	0.00	7.63	0.53	7.14	0.00	1.02
3.		2403–00–107–0001– चारा तथा चारागाह विकास	1.61	0.00	1.61	0.20	1.54	0.00	0.27
4.		2404–00–001–0001– मुख्यालय स्थापना	4.16	0.00	4.16	0.04	3.75	0.00	0.45
5.		2059–60–103–0001– बिहार विधान मंडल भवनों का साज–समान	3.50	0.00	3.50	1.75	3.47	0.00	1.78
6.	03	2059–80–001–0004– क्रियान्वयन	207.63	0.00	207.63	0.55	151.08	0.00	57.10
7.		4059–60–051–0104– परिसदन का निर्माण एवं संधारण	25.01	0.00	25.01	15.00	3.67	0.00	36.34
8.		4059–80–051–0004– सरकारी भवनों में परिवर्तन/परिवर्तन संबंधी मुख्य निर्माण	6.25	0.00	6.25	0.40	5.39	0.00	1.26
9.		2015–00–102–0001– मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना	36.53	0.00	36.53	5.46	35.22	0.00	6.77
10.	06	2015–00–103–0001– विधान–सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची	70.25	0.00	70.25	11.17	65.84	0.00	15.58
11.		2015–00–106–0001– राज्य विधान–सभा निर्वाचन	2.27	18.00	20.27	0.18	9.29	0.00	11.16
12.	08	2204–00–104–0001– खेल कूद	11.42	0.00	11.42	1.32	10.76	0.00	1.98
13.	09	2425–00–003–0001– कर्मचारियों का प्रशिक्षण	0.30	0.00	0.30	0.03	0.28	0.00	0.05
14.	10	3451–00–090–0017– उर्जा विभाग	1.98	0.21	2.19	0.39	2.12	0.00	0.47
15.	11	2251–00–090–0024– पिछङ्गा वर्ग एवं अति पिछङ्गा वर्ग कल्याण विभाग	3.28	0.74	4.02	0.02	3.40	0.00	0.64
16.	16	2015–00–101–0001– राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)	3.17	0.00	3.17	0.15	2.65	0.00	0.67
17.		3451–00–090–0028– पंचायती राज विभाग	2.14	0.00	2.14	0.17	1.43	0.00	0.88

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18.	18	3451–00–090–0011– खाद्य एवं उपयोक्ता संरक्षण विभाग	9.07	0.52	9.59	0.05	8.16	0.00	1.48
19.	19	2406–01–001–0001– निदेशन और प्रशासन	19.09	0.00	19.09	0.54	18.92	0.00	0.71
20.		2406–02–110–0003– अभ्यारण्य	6.05	0.70	6.75	0.01	5.10	0.00	1.66
21.	20	2210–01–001–0001– स्वास्थ्य निदेशालय	32.47	0.00	32.47	0.95	22.91	0.00	10.51
22.		2210–02–101–0001– देशी आयुर्वेदिक विज्ञान निदेशालय	38.61	10.81	49.42	0.11	31.75	0.00	17.78
23.	21	2202–01–003–0001– बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.26
24.		2202–03–102–0001– पटना विश्वविद्यालय	323.98	0.00	323.98	1.50	267.53	33.91	24.04
25.		2202–03–102–0003– बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर (बिहार विश्वविद्यालय)	661.47	0.00	661.47	20.00	623.53	0.00	57.94
26.		2202–03–102–0004– जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, छपरा	290.64	9.50	300.14	20.00	238.36	64.65	17.13
27.		2202–03–102–0011– ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	584.47	84.00	668.47	25.00	483.60	24.56	185.31
28.		2202–03–102–0012– कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	99.45	8.00	107.45	2.00	107.13	0.00	2.32
29.		2202–03–102–0016– मौलाना मजहरुल हक अरबी / पारसी विश्वविद्यालय	4.10	0.25	4.35	0.25	3.53	0.79	0.28
30.		2202–03–102–0025– पुर्णिया विश्वविद्यालय, पुर्णिया	40.00	82.00	122.00	10.00	104.59	6.01	21.40
31.		2202–03–102–0027– मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	35.00	83.00	118.00	6.00	116.40	4.26	3.34
32.		2202–04–001–0002– जन शिक्षा निदेशालय	2.39	0.10	2.49	0.19	2.33	0.00	0.35
33.		2202–80–003–0006– जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	45.81	2.00	47.81	0.06	42.26	0.00	5.61
34.		2205–00–105–0001– सार्वजनिक पुस्तकालय	1.74	0.00	1.74	0.01	1.63	0.00	0.12
35.	22	2051–00–103–0003– बिहार पुलिस अवर सेवा अयोग	20.58	0.00	20.58	0.71	19.97	0.00	1.32
36.		2055–00–001–0003– केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय	141.75	0.50	142.25	4.00	68.27	0.00	77.98

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37.	22	2055-00-001-0008—सिपाही की नियुक्ति हेतु, केन्द्रीय चयन परिषद	22.93	0.24	23.17	10.05	20.97	0.00	12.25
38.		2055-00-104-0001—अश्वारोही सैन्य पुलिस	18.74	0.00	18.74	0.77	16.24	0.00	3.27
39.		2055-00-113-0001—चिकित्सालय व्यय	14.62	0.00	14.62	0.10	10.09	0.00	4.63
40.		2055-00-114-0001— संकेत	100.56	0.10	100.66	0.74	63.87	0.00	37.53
41.		2055-00-114-0002—कम्पयूटर	5.74	0.00	5.74	0.75	3.61	0.00	2.88
42.		2070-00-003-0008— गृह रक्षकों को प्रशिक्षण	20.00	0.00	20.00	0.20	14.25	0.00	5.95
43.	23	2851-00-102-0001— प्रदर्शन केंद्र	39.98	0.88	40.86	0.04	25.32	0.00	15.58
44.		2851-00-103-0001—हथकरघा के विकास की योजना	1.90	0.07	1.97	0.02	1.63	0.00	0.36
45.	24	2251-00-090-0014— सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	1.20	0.07	1.27	0.45	0.91	0.00	0.81
46.	25	3451-00-090-0027— सूचना प्रावैधिकी विभाग	7.00	0.00	7.00	0.09	3.74	2.15	1.20
47.	26	2230-01-114-0001— प्रवासी मजदूरों का कल्याण	0.47	0.00	0.47	0.04	0.36	0.00	0.15
48.		2230-03-003-0118— नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	40.00	6.80	46.80	5.00	38.62	0.00	13.18
49.	30	2225-04-277-0103— बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना	10.00	0.00	10.00	4.00	0.00	7.00	7.00
50.		2251-00-090-0011— अत्यसंख्यक कल्याण विभाग	7.28	0.00	7.28	0.56	6.76	0.00	1.08
51.	32	2011-02-101-0006— विपक्षी दल के नेता	0.98	0.00	0.98	0.07	0.86	0.00	0.19
52.		2011-02-103-0001— विधान सभा सचिवालय	43.58	5.15	48.73	0.03	43.30	0.00	5.46
53.		2011-02-103-0002— विधान परिषद् सचिवालय	44.71	5.45	50.16	0.78	45.31	0.00	5.63
54.	33	2053-00-094-0001— अनुमण्डलीय स्थापना	129.00	0.18	129.18	0.40	96.11	0.00	33.47
55.	35	2052-00-090-0010— योजना एवं विकास विभाग	18.13	0.23	18.36	0.20	12.28	0.00	6.28
56.	36	4215-01-102-0103— ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा)	21.58	45.68	67.26	10.00	61.46	0.00	15.80
57.		4215-01-102-0125— जल की गुणवत्ता की मोनेटरिंग एवं प्रयोगशाला का उन्नयन	1.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	11.00

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
58.	39	2245-02-101-0004— प्रभावित व्यक्तियों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण	1.00	0.00	1.00	4.00	0.33	0.00	4.67
59.		3054-03-103-0001— कार्यभारित व्यय	0.50	0.00	0.50	0.55	0.38	0.00	0.67
60.	41	3054-80-001-0010— बिहार लोक कार्य सविदा विवाद मध्यस्थ न्यायधिकरण	1.47	0.00	1.47	0.02	0.99	0.00	0.50
61.	43	3451-00-090-0003— विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1.77	0.20	1.97	0.11	1.78	0.00	0.30
62.	47	2052-00-090-0035— परिवहन विभाग	3.08	0.00	3.08	0.20	1.68	0.00	1.60
63.	48	2217-05-001-0104— निदेशालयों एवं इसके समतुल्य संस्थानों का आधुनिकीकरण हेतु	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
64.		2251-00-090-0005— नगर विकास एवं आवास विभाग	8.79	1.27	10.06	1.58	9.99	0.00	1.65
65.	49	2700-04-101-0001— अन्य रखरखाव व्यय	139.95	34.22	174.17	5.05	121.71	0.00	57.51
66.		4711-01-051-0111— बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य) (नाबाड़ सम्पोषित योजना)	61.33	0.00	61.33	15.33	24.06	0.00	52.60
67.	50	2702-03-103-0007— अन्य रखरखाव व्यय	10.00	0.00	10.00	1.50	3.81	0.00	7.69
<b>योग</b>			<b>3,528.03</b>	<b>400.88</b>	<b>3,928.91</b>	<b>202.73</b>	<b>3,107.36</b>	<b>143.33</b>	<b>880.95</b>

(स्रोत: वर्ष 2019-20 के विस्तृत विनियोग लेखे सहित अनुदान अंकेक्षण पंजी)

## परिशिष्ट—3.3

(संदर्भ: कंडिका 3.3.4)

निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन जहाँ अंतिम बचत ₹ 50 लाख से अधिक थे

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	03	2059–80–001–0001– निदेशन	20.13	2.24	20.41	0.00	1.96
2.	06	2015–00–105–0005– निर्वाचन में प्रतिनियुक्त अर्द्धसेनिक बलों पर व्यय	70.60	40.56	71.27	0.00	39.89
3.		2015–00–108–0001– मतदाताओं को पहचान–पत्र निर्गत करने पर व्यय	5.02	3.25	5.60	0.00	2.67
4.	13	2049–04–112–0001– बाह्य संधारणीय योजनाओं पर लिए गए कर्ज पर व्याज	306.89	15.00	307.60	0.00	14.27
5.	19	2406–01–105–0105– प्लांट टिशु कल्यार लैब	0.00	3.68	3.13	0.00	0.55
6.	21	2202–01–796–0211– समग्र शिक्षा–प्राथमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	9.19	53.96	57.27	0.00	5.88
7.		2202–03–102–0024– पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना	420.25	50.00	448.55	0.00	21.70
8.		2202–80–001–0002– राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय	1.30	0.58	1.34	0.00	0.54
9.	22	2055–00–001–0001– अधीक्षण	63.48	13.31	69.67	0.00	7.12
10.		2055–00–003–0006– बिहार पुलिस एकेडमी	16.40	3.67	17.03	0.00	3.04
11.		2070–00–107–0003– गृह रक्षा वाहिनी संबंधी कल्याण कार्यक्रम	12.00	28.00	38.62	0.00	1.38
12.	27	2235–60–200–0013– बिहार पीड़ित प्रतिकार स्कीम	5.00	5.00	7.63	0.00	2.37
13.	39	2235–01–200–0003– शीत लहर से बचाव के उपाय	0.50	0.75	0.69	0.00	0.56
14.		2245–02–101–0001– निःसहायों एवं विकलांगों को नगद भुगतान	631.53	369.00	990.86	0.00	9.67
15.		2245–02–101–0002– खाद्यान्न की आपूर्ति	811.53	369.00	1,013.76	0.00	166.77
16.		2245–02–113–0001– बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत / पुनर्स्थायन	4.00	50.00	7.88	0.00	46.12
<b>योग</b>			<b>2,377.82</b>	<b>1,008.00</b>	<b>3,061.31</b>	<b>0.00</b>	<b>324.49</b>

(स्रोत: 2019–20 का विस्तृत विनियोग लेखे एवं अनुदान अंकेक्षण पंजी)

## परिशिष्ट—3.4

(संदर्भ: कंडिका 3.3.4)  
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर पुर्नविनियोजन के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	विभाग का पत्र संख्या और दिनांक		वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति की पत्र संख्या और दिनांक		राशि
		पत्र सं०	दिनांक	पत्र सं०	दिनांक	
1.	01. कृषि विभाग	1184	20.03.2020	435	31.03.2020	0.28
2.	02. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	1091	24.03.2020	453	31.03.2020	0.70
3.		1094	24.03.2020	456	31.03.2020	0.13
4.		1095	24.03.2020	457	31.03.2020	0.08
5.		1096	24.03.2020	458	31.03.2020	0.58
6.		1097	24.03.2020	459	31.03.2020	0.32
7.		1098	24.03.2020	460	31.03.2020	0.01
8.		1099	24.03.2020	461	31.03.2020	0.15
9.		1100	24.03.2020	462	31.03.2020	0.07
10.		1101	24.03.2020	463	31.03.2020	0.10
11.		1102	24.03.2020	464	31.03.2020	0.13
12.	03. भवन निर्माण विभाग	2542	30.03.2020	477	31.03.2020	15.00
13.		2276	16.03.2020	476	31.03.2020	0.40
14.	04. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	27	09.03.2020	498	31.03.2020	0.02
15.	06. निर्वाचन विभाग	1002	24.03.2020	499	31.03.2020	1.77
16.		1003	24.03.2020	500	31.03.2020	0.03
17.		1004	24.03.2020	501	31.03.2020	11.17
18.		1005	24.03.2020	502	31.03.2020	10.53
19.		1006	24.03.2020	503	31.03.2020	3.26
20.		1007	24.03.2020	504	31.03.2020	0.18
21.		1008	24.03.2020	505	31.03.2020	3.25
22.	08. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	717	19.03.2020	465	31.03.2020	0.05
23.		718	19.03.2020	466	31.03.2020	0.02
24.		719	19.03.2020	467	31.03.2020	0.22
25.		716	19.03.2020	468	31.03.2020	0.75
26.	09. सहकारिता विभाग	2883	28.03.2020	452	31.03.2020	0.98
27.		2879	28.03.2020	448	31.03.2020	1.09
28.		2882	28.03.2020	451	31.03.2020	0.14
29.		2881	28.03.2020	450	31.03.2020	0.03
30.		2880	28.03.2020	449	31.03.2020	0.68
31.	19. पर्यावरण एवं वन विभाग	977	05.03.2020	446	31.03.2020	0.91
32.	20. स्वास्थ्य विभाग	354(1)	13.03.2020	479	31.03.2020	1.16
33.		424(1)	23.03.2020	480	31.03.2020	10.23
34.		355(1)	13.03.2020	481	31.03.2020	0.80

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	विभाग का पत्र संख्या और दिनांक		वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति की पत्र संख्या और दिनांक		राशि
		पत्र सं०	दिनांक	पत्र सं०	दिनांक	
35.	20. स्वास्थ्य विभाग	419(1)	23.03.2020	491	31.03.2020	4.98
36.		360(1)	13.03.2020	492	31.03.2020	0.15
37.		418(1)	23.03.2020	493	31.03.2020	2.50
38.		435	30.03.2020	445	31.03.2020	0.11
39.		359	13.03.2020	497	31.03.2020	1.25
40.		420	23.03.2020	482	31.03.2020	1.18
41.		421	23.03.2020	483	31.03.2020	1.20
42.		357	13.03.2020	484	31.03.2020	2.02
43.		423	23.03.2020	485	31.03.2020	4.84
44.		399	20.03.2020	486	31.03.2020	5.53
45.		361	13.03.2020	488	31.03.2020	0.15
46.		353	13.03.2020	489	31.03.2020	2.30
47.		358	13.03.2020	490	31.03.2020	1.02
48.	25. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	261	25.02.2020	474	31.03.2020	0.09
49.	26. श्रम संसाधन विभाग	318	27.03.2020	444	31.03.2020	0.21
50.	32. विधानमंडल	1292	31.03.2020	494	31.03.2020	0.09
51.	33. सामान्य प्रशासन विभाग	4168	31.03.2020	469	31.03.2020	0.02
52.		4166	31.03.2020	471	31.03.2020	0.01
53.	43. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1067	18.03.2020	472	31.03.2020	0.11
54.	49. जल संसाधन विभाग	294	20.03.2020	443	31.03.2020	0.07
55.		293	20.03.2020	442	31.03.2020	0.16
56.		292	20.03.2020	441	31.03.2020	0.42
57.		291	20.03.2020	440	31.03.2020	4.00
58.		290	20.03.2020	439	31.03.2020	4.00
59.		289	20.03.2020	438	31.03.2020	5.05
	योग					<b>106.67</b>

(स्रोत: वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

## परिशिष्ट—3.5

(संदर्भ: कड़िका 3.3.5)

**मूल प्रावधान मे से ₹ 100 करोड़ एवं अधिक बचत वाले अनुदान/विनियोग**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान/विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशत	प्रावधान के विरुद्ध प्रतिशत व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>(अ) राजस्व (दत्तमत)</b>								
1.	01— कृषि विभाग	2,938.77	533.16	3,471.93	2,152.49	1,319.44	38.00	62.00
2.	02— पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	953.25	172.41	1,125.66	789.36	336.30	29.88	70.12
3.	03— भवन निर्माण विभाग	792.96	39.41	832.37	398.48	433.89	52.13	47.87
4.	04— मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	365.40	5.64	371.04	152.01	219.03	59.03	40.97
5.	06— निर्वाचन विभाग	536.51	398.28	934.79	610.85	323.94	34.65	65.35
6.	09— सहकारिता विभाग	1,514.44	226.88	1,741.32	586.00	1,155.32	66.35	33.65
7.	11— पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,584.65	2.81	1,587.46	1,413.05	174.41	10.99	89.01
8.	12— वित्त विभाग	295.53	16.48	312.01	186.56	125.45	40.21	59.79
9.	15— पेंशन	18,443.71	77.30	18,521.01	17,118.98	1,402.03	7.57	92.43
10.	16— पंचायती राज विभाग	11,956.31	1,420.04	13,376.35	8,689.62	4,686.73	35.04	64.96
11.	18— खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,347.49	7.61	1,355.10	702.00	653.10	48.20	51.80
12.	19— पर्यावरण एवं वन विभाग	418.77	413.30	832.07	623.40	208.67	25.08	74.92
13.	20— स्वास्थ्य विभाग	7,693.06	1,590.75	9,283.81	6,960.84	2,322.97	25.02	74.98
14.	21— शिक्षा विभाग	34,027.21	3,033.56	37,060.77	25,958.41	11,102.36	29.96	70.04
15.	22— गृह विभाग	10,466.00	560.37	11,026.37	8,992.73	2,033.64	18.44	81.56
16.	23— उद्योग विभाग	709.30	59.08	768.38	435.26	333.12	43.35	56.65
17.	26— श्रम संसाधन विभाग	785.52	66.81	852.33	643.42	208.91	24.51	75.49
18.	27— विधि विभाग	990.28	6.68	996.96	768.04	228.92	22.96	77.04
19.	30— अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	189.10	33.62	222.72	88.63	134.09	60.21	39.79

क्रम सं०	अनुदान / विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशत	प्रावधान के विरुद्ध प्रतिशत व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20.	33— सामान्य प्रशासन विभाग	720.78	31.63	752.41	526.05	226.36	30.08	69.92
21.	35— योजना एवं विकास विभाग	846.96	23.67	870.63	273.91	596.72	68.54	31.46
22.	36— लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	559.84	0.00	559.84	437.11	122.73	21.92	78.08
23.	37— ग्रामीण कार्य विभाग	1,211.00	1,000.00	2,211.00	1,665.74	545.26	24.66	75.34
24.	39— आपदा प्रबंधन विभाग	4,314.76	3,037.12	7,351.88	3,621.18	3,730.70	50.74	49.26
25.	40— राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	845.93	85.11	931.04	561.72	369.32	39.67	60.33
26.	41— पथ निर्माण विभाग	1,469.14	600.00	2,069.14	854.48	1,214.66	58.70	41.30
27.	42— ग्रामीण विकास विभाग	15,639.03	2,924.05	18,563.08	9,692.46	8,870.62	47.79	52.21
28.	44— अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,511.54	84.09	1,595.63	1,121.26	474.37	29.73	70.27
29.	47— परिवहन विभाग	443.42	10.00	453.42	267.64	185.78	40.97	59.03
30.	48— नगर विकास एवं आवास विभाग	5,148.79	1,086.25	6,235.04	2,984.53	3,250.51	52.13	47.87
31.	49— जल संसाधन विभाग	1,122.64	38.30	1,160.94	858.07	302.87	26.09	73.91
32.	50— लघु जल संसाधन विभाग	485.68	10.49	496.17	284.83	211.34	42.59	57.41
33.	51— समाज कल्याण विभाग	7,006.85	2,624.77	9,631.62	7,366.22	2,265.40	23.52	76.48
	योग राजस्व	1,37,334.62	20,219.67	1,57,554.29	1,07,785.33	49,768.96	31.59	68.41
<b>(ब) पैंजीगत (भारित)</b>								
34.	14— ऋण अदायगियाँ	7,235.93	431.60	7,667.53	7,109.83	557.70	7.27	92.73
<b>(स) पैंजीगत (दत्तमत)</b>								
35.	01— कृषि विभाग	20.00	126.91	146.91	0.00	146.91	100.00	0.00
36.	03— भवन निर्माण विभाग	4,582.10	573.88	5,155.98	1,384.86	3,771.12	73.14	26.86
37.	09— सहकारिता विभाग	483.27	78.02	561.29	7.29	554.00	98.70	1.30

क्रम सं०	अनुदान / विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशत	प्रावधान के विरुद्ध प्रतिशत व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38.	10— उर्जा विभाग	4,573.13	0.00	4,573.13	3,118.89	1,454.24	31.80	68.20
39.	12— वित्त विभाग	879.40	63.59	942.99	613.94	329.05	34.89	65.11
40.	16— पंचायती राज विभाग	250.00	0.00	250.00	45.13	204.87	81.95	18.05
41.	20— स्वास्थ्य विभाग	1,929.70	182.08	2,111.78	852.20	1,259.58	59.65	40.35
42.	21— शिक्षा विभाग	771.48	392.42	1,163.90	125.59	1,038.31	89.21	10.79
43.	23— उद्योग विभाग	112.09	50.00	162.09	0.00	162.09	100.00	0.00
44.	30— अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	270.00	17.50	287.50	161.30	126.20	43.90	56.10
45.	35— योजना एवं विकास विभाग	1,641.99	43.48	1,685.47	1,098.51	586.96	34.82	65.18
46.	36— लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	3,124.34	45.68	3,170.02	1,905.18	1,264.84	39.90	60.10
47.	37— ग्रामीण कार्य विभाग	9,706.97	150.00	9,856.97	1,883.28	7,973.69	80.89	19.11
48.	41— पथ निर्माण विभाग	5,536.42	0.00	5,536.42	1,921.59	3,614.83	65.29	34.71
49.	46— पर्यटन विभाग	250.00	0.00	250.00	23.03	226.97	90.79	9.21
50.	49— जल संसाधन विभाग	2,529.66	1,978.52	4,508.18	954.33	3,553.85	78.83	21.17
51.	50— लघु जल संसाधन विभाग	252.52	881.00	1,133.52	225.28	908.24	80.13	19.87
<b>पूँजीगत योग</b>		<b>44,149.00</b>	<b>5,014.68</b>	<b>49,163.68</b>	<b>21,430.23</b>	<b>27,733.45</b>	<b>56.41</b>	<b>43.59</b>
<b>महायोग</b>		<b>1,81,483.62</b>	<b>25,234.35</b>	<b>2,06,717.97</b>	<b>1,29,215.56</b>	<b>77,502.41</b>	<b>37.49</b>	<b>62.51</b>

(आठ: वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

## परिशिष्ट—3.6

(संदर्भ: कंडिका 3.3.5)

**कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत एवं अधिक बचत प्रदर्शित करने वाले अनुदान/विनियोग  
(₹ करोड़ में)**

क्रम सं०	अनुदान/विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	उपयोग की प्रतिशतता	बचत	बचत की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	01— कृषि विभाग	2,958.77	660.07	3,618.84	2,152.49	59.48	1,466.35	40.52
2.	02— पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	953.25	172.41	1,125.66	789.36	70.12	336.30	29.88
3.	03— भवन निर्माण विभाग	5,375.06	613.29	5,988.35	1,783.34	29.78	4,205.01	70.22
4.	04— मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	491.81	127.08	618.89	304.45	49.19	314.44	50.81
5.	05— राज्यपाल सचिवालय	29.88	1.01	30.89	1.33	4.31	29.56	95.69
6.	06— निर्वाचन विभाग	536.51	398.28	934.79	610.85	65.35	323.94	34.65
7.	07— निगरानी विभाग	44.70	0.19	44.89	31.32	69.77	13.57	30.23
8.	08— कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	155.19	0.46	155.65	94.89	60.96	60.76	39.04
9.	09— सहकारिता विभाग	1,997.71	304.90	2,302.61	593.29	25.77	1,709.32	74.23
10.	12— वित्त विभाग	2,049.96	80.07	2,130.03	1,645.52	77.25	484.51	22.75
11.	16— पंचायती राज विभाग	12,206.31	1,420.04	13,626.35	8,734.75	64.10	4,891.60	35.90
12.	17— वाणिज्य—कर विभाग	161.83	0.51	162.34	120.92	74.49	41.42	25.51
13.	18— खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,397.80	7.61	1,405.41	706.24	50.25	699.17	49.75
14.	19— पर्यावरण एवं वन विभाग	501.77	450.77	952.54	683.74	71.78	268.80	28.22
15.	20— स्वास्थ्य विभाग	9,622.76	1,772.83	11,395.59	7,813.04	68.56	3,582.55	31.44
16.	21— शिक्षा विभाग	34,798.69	3,425.98	38,224.67	26,084.00	68.24	12,140.67	31.76
17.	23— उद्योग विभाग	821.39	109.08	930.47	435.26	46.78	495.21	53.22
18.	24— सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	238.32	0.07	238.39	181.80	76.26	56.59	23.74
19.	25— सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	269.00	79.58	348.58	263.55	75.61	85.03	24.39
20.	26— श्रम संसाधन विभाग	797.52	66.81	864.33	643.42	74.44	220.91	25.56
21.	27— विधि विभाग	990.28	6.68	996.96	768.04	77.04	228.92	22.96
22.	29— खान एवं भूतत्व विभाग	51.88	0.00	51.88	30.19	58.19	21.69	41.81
23.	30— अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	459.10	51.12	510.22	249.93	48.98	260.29	51.02
24.	32— विधानमंडल	208.66	10.85	219.51	174.62	79.55	44.89	20.45
25.	33— सामान्य प्रशासन विभाग	727.91	32.08	759.99	532.83	70.11	227.16	29.89
26.	35— योजना एवं विकास विभाग	2,488.95	67.15	2,556.10	1,372.42	53.69	1,183.68	46.31

क्रम सं०	अनुदान / विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	उपयोग की प्रतिशतता	बचत	बचत की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
27.	36— लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	3,684.18	45.68	3,729.86	2,342.29	62.80	1,387.57	37.20
28.	37— ग्रामीण कार्य विभाग	10,917.97	1,150.00	12,067.97	3,549.02	29.41	8,518.95	70.59
29.	38— निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	237.41	54.39	291.80	219.30	75.15	72.50	24.85
30.	39— आपदा प्रबंधन विभाग	4,320.56	3,037.12	7,357.68	3,621.18	49.22	3,736.50	50.78
31.	40— राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	886.80	85.11	971.91	561.72	57.80	410.19	42.20
32.	41— पथ निर्माण विभाग	7,005.56	600.00	7,605.56	2,776.07	36.50	4,829.49	63.50
33.	42— ग्रामीण विकास विभाग	15,669.04	2,924.05	18,593.09	9,692.46	52.13	8,900.63	47.87
34.	43— विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	278.72	85.39	364.11	219.21	60.20	144.90	39.80
35.	44— अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,515.54	84.09	1,599.63	1,121.26	70.09	478.37	29.91
36.	45— गन्ना उद्योग विभाग	217.52	0.72	218.24	143.01	65.53	75.23	34.47
37.	46— पर्यटन विभाग	298.09	16.65	314.74	51.08	16.23	263.66	83.77
38.	47— परिवहन विभाग	457.42	10.00	467.42	267.64	57.26	199.78	42.74
39.	48— नगर विकास एवं आवास विभाग	5,158.79	1,236.25	6,395.04	3,144.53	49.17	3,250.51	50.83
40.	49— जल संसाधन विभाग	3,652.30	2,016.82	5,669.12	1,812.40	31.97	3,856.72	68.03
41.	50— लघु जल संसाधन विभाग	738.20	891.49	1,629.69	510.11	31.30	1,119.58	68.70
42.	51— समाज कल्याण विभाग	7,037.73	2,677.60	9,715.33	7,376.09	75.92	2,339.24	24.08
<b>योग</b>		<b>1,42,410.84</b>	<b>24,774.28</b>	<b>1,67,185.12</b>	<b>94,208.96</b>	<b>56.41</b>	<b>72,976.16</b>	<b>43.65</b>

(स्रोत: वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

## परिशिष्ट—3.7

(संदर्भ: कंडिका 3.3.5)

**2015–16 से 2019–20 के दौरान लगातार बचत (100 करोड़ और अधिक) को प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान सं० तथा नाम	बचत की राशि (कुल अनुदान का प्रतिशत कोष्ठक में)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>						
		राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
1.	01. कृषि विभाग	1,652.10 (48.66)	1,214.66 (42.22)	1,150.72 (41.01)	1,436.00 (44.06)	1,319.44 (38.00)
2.	02. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	188.32 (31.37)	133.55 (22.25)	148.73 (19.90)	248.04 (26.51)	336.30 (29.88)
3.	03. भवन निर्माण विभाग	107.29 (18.92)	187.74 (29.91)	102.59 (16.63)	192.56 (24.81)	433.89 (52.13)
4.	09. सहकारिता विभाग	307.01 (34.28)	117.61 (21.62)	138.21 (14.67)	843.17 (46.26)	1,155.32 (66.35)
5.	11. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	523.79 (16.87)	921.82 (38.86)	285.23 (19.11)	342.72 (22.04)	174.41 (10.99)
6.	12. वित्त विभाग	116.02 (45.17)	100.83 (38.82)	119.66 (44.64)	104.75 (34.86)	125.45 (40.21)
7.	15. पेंशन	1,347.30 (10.22)	3,770.68 (23.17)	5,570.01 (28.04)	650.32 (3.90)	1,402.03 (7.57)
8.	16. पंचायती राज विभाग	2,572.10 (47.06)	919.67 (12.45)	607.76 (6.64)	1,836.67 (17.93)	4,686.73 (35.04)
9.	18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	976.24 (40.67)	1,097.53 (50.74)	1,208.16 (49.93)	255.11 (18.68)	653.10 (48.20)
10.	20. स्वास्थ्य विभाग	964.06 (21.44)	3,350.96 (41.37)	1,427.99 (19.99)	1,877.89 (22.84)	2,322.97 (25.02)
11.	21. शिक्षा विभाग	5,813.90 (23.77)	3,837.45 (16.77)	7,703.21 (24.50)	9,957.93 (26.96)	11,102.36 (29.96)
12.	22. गृह विभाग	622.85 (10.09)	970.47 (13.55)	866.99 (11.77)	724.29 (8.10)	2,033.64 (18.44)
13.	26. श्रम संसाधन विभाग	303.96 (55.50)	273.01 (39.50)	102.51 (22.49)	175.23 (24.13)	208.91 (24.51)
14.	27. विधि विभाग	146.64 (22.14)	289.30 (34.98)	204.74 (25.14)	153.84 (16.66)	228.92 (22.96)
15.	33. सामान्य प्रशासन विभाग	181.49 (33.32)	169.23 (25.13)	166.51 (30.27)	221.94 (30.75)	226.36 (30.08)
16.	35. योजना एवं विकास विभाग	135.04 (50.24)	1,291.09 (55.48)	1,030.36 (74.05)	156.02 (25.78)	596.72 (68.54)
17.	37. ग्रामीण कार्य विभाग	422.07 (29.96)	432.17 (27.33)	228.19 (14.39)	198.87 (16.53)	545.26 (24.66)
18.	39. आपदा प्रबंधन विभाग	2,406.75 (85.92)	1,210.03 (67.09)	1,362.71 (34.39)	3,176.72 (65.92)	3,730.70 (50.74)
19.	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	238.37 (32.74)	363.65 (44.40)	306.85 (35.34)	238.51 (30.14)	369.32 (39.67)

क्रम सं०	अनुदान सं० तथा नाम	बचत की राशि (कुल अनुदान का प्रतिशत कोष्ठक में)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	41. पथ निर्माण विभाग	117.63 (11.39)	222.55 (17.66)	476.18 (35.81)	487.94 (34.41)	1,214.66 (58.70)
21.	42. ग्रामीण विकास विभाग	3,554.04 (50.18)	4,468.35 (43.48)	5,166.39 (49.82)	6,175.24 (32.58)	8,870.62 (47.79)
22.	44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	361.50 (18.85)	497.99 (30.35)	390.28 (27.75)	441.72 (30.16)	474.37 (29.73)
23.	48. नगर विकास एवं आवास विभाग	1,133.68 (36.44)	1,244.82 (26.93)	1,811.89 (35.89)	2,064.28 (38.50)	3,250.51 (52.13)
24.	51. समाज कल्याण विभाग	1,502.39 (22.11)	1,798.95 (27.08)	2,142.20 (26.02)	3,243.44 (33.97)	2,265.40 (23.52)
योग		<b>25,694.54 (27.96)</b>	<b>28,884.11 (27.66)</b>	<b>32,718.07 (27.20)</b>	<b>35,203.20 (25.59)</b>	<b>47,727.39 (31.45)</b>

## पूँजीगत (दत्तमत)

25.	03. भवन निर्माण विभाग	1,347.14 (45.12)	1,537.81 (53.43)	2,348.80 (52.93)	1,018.64 (27.76)	3,771.12 (73.14)
26.	10. उर्जा विभाग	1,207.86 (29.16)	5,330.74 (47.83)	130.74 (1.79)	623.36 (10.72)	1,454.24 (31.80)
27.	20. स्वास्थ्य विभाग	579.60 (34.94)	261.23 (23.32)	619.16 (52.87)	481.38 (29.80)	1,259.58 (59.65)
28.	41. पथ निर्माण विभाग	599.98 (11.91)	442.80 (7.65)	372.09 (6.26)	192.24 (3.34)	3,614.83 (65.29)
29.	49. जल संसाधन विभाग	251.54 (14.48)	511.32 (23.38)	1,405.44 (35.54)	179.43 (5.89)	3,553.85 (78.83)
योग		<b>3,986.12 (25.61)</b>	<b>8,083.90 (34.97)</b>	<b>4,876.23 (21.40)</b>	<b>2,495.05 (12.54)</b>	<b>13,653.62 (62.39)</b>
महायोग		<b>29,680.66 (27.62)</b>	<b>36,968.01 (28.99)</b>	<b>37,594.30 (26.28)</b>	<b>37,698.25 (23.94)</b>	<b>61,381.01 (35.35)</b>

(स्रोत: वर्ष 2015–16 से 2019–20 के विनियोग लेखे)

## परिशिष्ट—3.8

(संदर्भ: कंडिका 3.4)  
निधियों का शत् प्रतिशत अनुपयोग (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अनुपयोगित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	01	2435–60–101–0101– कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	14.55
2.		4401–00–051–0101– कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	16.60
3.		6401–00–190–0002– बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को ऋण	126.91
4.	02	2403–00–106–0212– राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	11.21
5.		2403–00–106–0213– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	11.06
6.	03	4059–80–051–0116– राज्यपाल गृह भवन का निर्माण	11.80
7.		4225–04–051–0103– अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय	12.00
8.		4406–01–051–0101– वानिकी कॉलेज	40.00
9.		4408–02–101–0102– खाद्यान्न भंडार गोदामों का निर्माण (नाबार्ड सम्पोषित)	34.66
10.	04	2070–00–001–0107– बिहार विकास मिशन	150.00
11.	09	2425–00–107–0106– अधिप्राप्ति कार्य हेतु प्रबंधकीय अनुदान	50.00
12.		2425–00–108–0415– एकीकृत सहकारी विकास योजना	22.58
13.		2425–00–108–0419– प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना	423.15
14.		4425–00–051–0203– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०)(ए०सी०ए०)	63.02
15.		4425–00–108–0465– एकीकृत सहकारी विकास योजना	20.11
16.		6425–00–108–0419– प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना	423.15
17.		4801–05–190–0208– पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) (राज्य घटक (एन०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए)	138.00
18.		4801–05–190–0209– पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) (राज्य घटक (एस०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए)	623.33
19.		4801–05–190–0210– पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) (राज्य घटक (बी०एस०पी०टी०सी०एल० के लिए)	630.00
20.	11	2225–03–277–0215– पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	92.90
21.	12	2054–00–098–0001– स्थानीय निधि अंकेक्षण	32.27
22.		4058–00–103–0101– मशीनरी और उपस्कर–सरकारी प्रेस गुलजारबाग के आधुनिकीरण की योजना	12.00
23.		5475–00–800–0101– क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निवेश के लिए राज्य सरकार की शेयर पूँजी में योगदान	63.59
24.	13	2049–03–117–0001– सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज	10.00
25.		2071–01–106–0001– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 290 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को देय अंशदान–प्रभृत	12.08
26.		2071–01–197–0001– शिक्षकों को रिटायर्ड पेंशन बेनिफिट स्कीम के अन्तर्गत अंशदान	33.39
27.	15	2071–01–198–0001– शिक्षकों को रिटायर्ड पेंशन बेनिफिट स्कीम के अन्तर्गत अंशदान	38.01

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अनुपयोगित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
28.	16	2515–00–789–0513– पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन विकास (ई0ए0पी0)	15.00
29.		2515–00–789–0214– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर0जी0एस0ए0)	12.06
30.	18	2515–00–198–0215– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर0जी0एस0ए0)	62.75
31.		2408–01–101–0405– एन0एफ0एस0ए0 अन्तर्गत खाद्यानों के अंत राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन	417.54
32.		5475–00–051–0103– जिला आपूर्ति शृंखला प्रबंधन केन्द्र की स्थापना के निमित भवन निर्माण	38.48
33.	19	3435–04–101–0001– प्रदूषण नियंत्रण	10.00
34.	20	2210–01–110–0016– मानसिक आरोग्यशाला	15.00
35.		2235–60–110–0204– राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगहित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य विभाग)	45.00
36.		2235–60–110–0205– आयुष्मान भारत–राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (ए0बी0–एन0एच0पी0एम0)	260.00
37.		4210–01–051–0104– शहरी क्षेत्र में राजकीय औषधालय का निर्माण	25.00
38.		4210–01–110–0110– इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना	71.00
39.		4210–01–110–0117– मानसिक आरोग्यशाला कोईलवर अस्पताल भवनों का निर्माण	35.00
40.		4210–03–105–0119– बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज (सी0ई0आर0टी0ए0आई0एन0)	40.00
41.	21	4202–01–203–0105– केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए भूमि	29.52
42.		4202–01–789–0101– राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण	41.60
43.		2202–02–004–0102– दक्षता	10.00
44.	22	2055–00–115–0303– पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम	50.00
45.	23	2851–00–102–0107– मुख्यमंत्री अति पिछड़ा जाति उद्यमी योजना	52.50
46.		2851–00–789–0110– मुख्यमंत्री अनूसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति उद्यमी योजना	56.00
47.		2852–80–102–0135– इन्टरप्रेनियर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना	20.90
48.		2852–80–102–0150– सेन्ट्रल इन्स्टिच्यूट प्लासिक इन्जिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना	15.05
49.		5465–01–190–0108– बिहार राज्य वित्तीय निगम लिमिटेड	15.00
50.		5465–01–190–0109– बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	15.00
51.		5465–01–190–0110– बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	15.00
52.		6851–00–102–0101– मुख्यमंत्री अति पिछड़ा जाति उद्यमी योजना	50.00
53.		6851–00–789–0101– मुख्यमंत्री अनूसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	57.60
54.	26	4250–00–050–0101– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भू–अर्जन हेतु	12.00
55.	27	2014–00–105–0007– अतिरिक्त न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा)	17.50
56.	30	4225–04–051–0102– बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना	30.00
57.	35	2235–01–202–0505– आपातकालीन कोसी बाढ़ पुर्नवास परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	89.17
58.		2235–01–789–0501– आपातकालीन कोसी बाढ़ पुर्नवास परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	56.53
59.		3454–02–789–0101– समग्र सांख्यिकी विकास योजना	26.08
60.	37	4515–00–103–0113– मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना	133.46
61.		4515–00–103–0316– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	1,200.00

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अनुपयोगित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
62.	39	2245-02-112-0104- संचार उपकरणों का क्रय	12.00
63.	40	2029-00-103-0206- राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एन०एल०आर०एम०पी०)	87.72
64.		4047-00-789-0106- गृह विहीन परिवारों के लिए रैयती भूमि का क्रय	38.04
65.	41	3054-80-797-0101- केन्द्रीय सङ्क निधि से अन्तरण	400.00
66.		2203-00-112-0106- डेवलपमेंट मैनेजमेंट इन्स्टीचूट	57.99
67.		2215-02-105-0103- लोहिया स्वच्छता योजना	200.00
68.		2216-03-102-0101- मुख्यमंत्री वास स्थान क्रय सहायता योजना	15.00
69.		2216-03-789-0104- मुख्यमंत्री वास स्थान क्रय सहायता योजना	25.00
70.	42	2216-03-796-0103- मुख्यमंत्री वास स्थान क्रय सहायता योजना	10.00
71.		2220-60-101-0101- जल जीवन हरियाली	10.00
72.		2505-02-101-0301- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम (मनरेगा)	449.98
73.		3454-02-206-0102-विशिष्ट पहचान योजना (यू०आई०डी०)	10.00
74.		4515-00-103-0102- प्रखण्ड लघु निर्माण कार्य	30.00
75.		2225-01-102-0216- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी०एम०ए०जी०वाई०)	65.14
76.		2225-01-277-0219- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	60.00
77.	44	2225-02-102-0201- अनुसूचित जन जातियों का बहुमुखी विकास-संविधान के धारा 275 (1) के तहत भारत सरकार से प्राप्त	18.00
78.		2225-02-102-0202- अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	18.00
79.		2225-02-796-0125- थरुहट क्षेत्र का विकास	27.61
80.	45	2852-08-789-0101- आर्थिक सहायता	25.60
81.		2215-01-191-0106- जल जीवन हरियाली	10.00
82.		2217-03-051-0204- स्मार्ट सिटी मिशन योजना	420.00
83.	48	2217-03-051-0302- शहर पुर्ननवीनीकरण मिशन-अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरुत)	130.00
84.		2217-03-191-0113- भू-अर्जन	50.00
85.		2217-03-796-0101- परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	10.30
86.	49	4700-80-051-0310- उत्तर कोयल जलाशय परियोजना (नबार्ड एल०टी०आई०एफ०)	251.86
87.	51	2235-02-101-0223- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (एस०आई०पी०डी०ए०)	18.00
		योग	8,606.35

(स्रोत: वर्ष 2019-20 के विस्तृत विनियोग लेखे)

## परिशिष्ट—3.9

(संदर्भ: कंडिका 3.4.4)  
मार्च 2020 में सघन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	वर्ष 2019–20 के दौरान कुल व्यय	माह जनवरी से मार्च 2020 के दौरान हुआ व्यय	व्यय के सापेक्ष में कुल व्यय का प्रतिशत	
								जनवरी – मार्च 2020	मार्च 2020
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)					
1.	03— भवन निर्माण विभाग	141.21	277.41	264.54	1,101.64	1,784.80	828.41	61.72	46.41
2.	11— पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1.71	17.27	337.93	1,059.89	1,416.80	1,051.51	74.81	74.22
3.	18— खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	10.01	236.84	26.23	433.15	706.23	422.50	61.33	59.82
4.	23— उद्योग विभाग	14.99	42.59	64.46	313.22	435.26	286.57	71.96	65.84
5.	25— सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	0.70	24.30	112.33	122.07	259.40	80.35	47.06	30.98
6.	43— विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	25.94	56.07	37.51	99.69	219.21	67.15	45.48	30.63
7.	44— अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	33.30	46.73	324.65	716.58	1,121.26	651.39	63.91	58.09
8.	49— जल संसाधन विभाग	415.22	94.09	245.51	787.99	1,542.81	578.23	51.07	37.48
9.	50— लघु जल संसाधन विभाग	70.65	125.99	56.78	256.69	510.11	206.64	50.32	40.51
		<b>713.73</b>	<b>921.29</b>	<b>1,469.94</b>	<b>4,890.92</b>	<b>7,995.88</b>	<b>4,172.75</b>	<b>61.17</b>	<b>52.19</b>

(स्रोत: वर्ष 2019–20 के वित्त लेखे)

## परिशिष्ट—3.10

(संदर्भ: कंडिका 3.4.4)  
मार्च 2020 में किए गए शत् प्रतिशत व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मार्च में 100% व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	01	2415—01—277—0101— राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	0.42
2.	03	4059—01—796—0104— अनुसूचित जनजाति हेतु भवन	135.20
3.		4059—60—051—0318— अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम	4.25
4.	11	2225—03—277—0214— प्री—मैट्रिक छात्रवृत्ति	11.50
5.		2225—03—277—0314— प्री—मैट्रिक छात्रवृत्ति	11.50
6.	13	2049—03—104—0001— साधारण भविष्य निधि पर ब्याज	280.93
7.		2049—03—104—0002— भारतीय प्रशासनिक सेवा भविष्य निधि पर ब्याज	12.00
8.		2049—03—108—0001— बीमा और पेंशन निधि पर ब्याज	291.60
9.	19	2406—04—101—0201— राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	1.98
10.		2406—04—101—0301— राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	1.32
11.	20	2210—03—110—0305— एनएचएम के केन्द्रीय भाग मद में प्राप्त कम राशि का राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति	75.41
12.	21	2202—04—200—0204— राष्ट्रीय शिक्षा मिशन—साक्षर मिशन	5.25
13.		2202—04—200—0304— राष्ट्रीय शिक्षा मिशन—साक्षर मिशन	3.50
14.		2202—80—004—0011— ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकेनामिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज	2.30
15.		2205—00—105—0009— खुदाबख्श खॉ ओरियंटल उर्दू लाईब्रेरी, पटना को सहायक अनुदान	0.04
16.	25	5465—02—190—0001— बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम	19.35
17.	26	2230—03—003—0234— औद्योगिक मूल्य वृद्धि के लिए दक्षता वृद्धि (एस०टी०आर०आई०वाई०ई०)	1.56
18.	38	2039—00—001—0109— समेकित उत्पाद प्रबंधन प्रणाली	16.00
19.	44	2225—01—190—0001— बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, पटना	7.75
20.		2225—01—197—0001— प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	0.15
21.		2225—01—198—0001— प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	0.50
22.		2225—01—277—0319— पोस्ट—मैट्रिक छात्रवृत्ति	58.00
23.		2225—02—102—0105— अनुसूचित जनजाति विकास हेतु	10.00
24.		2225—02—277—0216— पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	3.00
25.	48	2215—02—106—0302— राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन०आर०सी०पी०)	1.00
26.		2215—02—789—0303— राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन०आर०सी०पी०)	39.00
27.		2215—02—796—0305— राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन०आर०सी०पी०)	4.00
28.		2217—01—789—0102— परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	20.00
29.		3435—04—101—0002— बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण और कार्यक्रम	0.25
30.	51	2235—03—101—0102— इंदिया गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना	3.00
योग			1,020.75

(स्रोत: वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

## परिशिष्ट—3.11

(संदर्भ: कंडिका 3.4.5)  
गैर आकस्मिक खर्च के लिए आकस्मिकता निधि से निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विभाग	उद्देश्य	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2012	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति / राज्यपाल, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक	बिहार के राज्यपाल के कार्यालय के लिए एक नई कार खरीदने हेतु	0.71
2.	2043	राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	वाणिज्यिक—कर—न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के लिए वाहन खरीदने हेतु	0.11
3.			फिल्म—“सुपर 30” के लिए मल्टीप्लेक्स / सिनेमा हॉल में प्रवेश शुल्क के रूप में प्रभारित राज्य कर के बराबर मुआवजा राशि	0.40
4.	2052	सचिवालय—सामान्य सेवाएँ	सरकार के प्रयोग के लिए दो इनोवा वाहन खरीदने हेतु	0.36
5.			मुख्यमंत्री सचिवालय के लिए वाहन क्रय हेतु	0.24
6.			मुख्यमंत्री सचिवालय के लिए प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक कार क्रय हेतु	0.24
7.			योजना एवं विकास विभाग, बिहार के लिए वाहन क्रय करने हेतु	0.23
8.			मुख्यमंत्री, बिहार के विशेष कार्य अधिकारी के लिए सफारी कार खरीदने हेतु	0.13
9.	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	नागरिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना के लिए वाहन क्रय करने हेतु	0.18
10.			सात नई मारुति सियाज और एक हुंडई कोना इलेक्ट्रिक कार खरीदने हेतु	0.93
11.	2202	सामान्य शिक्षा	उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के नियोजित होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों को अग्रिम वेतन भुगतान की स्वीकृति	50.00
12.			जल जीवन हरियाली, नशामुक्ति, बाल विवाह रोकथाम एवं दहेज उन्मूलन से संबंधित राज्यव्यापी मानव श्रृंखला के निर्माण हेतु व्यय	19.40
13.	2205	कला एवं संस्कृति	अभिलेखागार के लिए वाहन हेतु	0.09
14.	2251	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ	श्रम एवं संसाधन विभाग के कार्यालय हेतु वाहन क्रय करने हेतु	0.23
15.			कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के कार्यालय हेतु दो इनोवा कारों की खरीद हेतु	0.46
16.			समाज कल्याण विभाग के कार्यालय हेतु वाहन क्रय करने हेतु	0.23
17.			संविदा कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान के संबंध में	0.21
18.	2405	मत्स्य	राज्य मत्स्य विकास निगम के कर्मचारियों को नियोक्ता का पीएफ अंशदान	0.76

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विभाग	उद्देश्य	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19.	2406	वानिकी और वन्यजीव	जल जीवन हरियाली मिशन के तहत अतिरिक्त वृक्षारोपण	30.00
20.			जल जीवन हरियाली मिशन के तहत अतिरिक्त वृक्षारोपण	61.70
21.	2700	सिंचाई	बान सागर बांध के संचालन और रखरखाव के लिए एम०पी० सरकार को दी गई योजनागत भागीदारी हेतु	34.22
22.	3054	सड़कें और पुल	ओपीआरएमसी चरण-II और अन्य स्वीकृत योजना के निष्पादन के लिए अतिरिक्त निधि	450.00
23.	3451	सचिवालय— आर्थिक सेवाएँ	जल एवं संसाधन विभाग सचिवालय के लिए इनोवा कार खरीदने हेतु	0.18
24.			खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के लिए वाहन खरीदने हेतु	0.32
25.			लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के मुख्यालय के लिए एक नई कार खरीदने हेतु	0.12
26.			संविदा कर्मचारियों को बकाया भुगतान और मानदेय भुगतान हेतु	0.24
27.			इनोवा कार गन्ना (उद्योग) विभाग, बिहार की खरीद हेतु	0.23
28.			ऊर्जा विभाग, बिहार के लिए नया वाहन खरीदने हेतु	0.12
29.	4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	भवन निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति के संदर्भ में सिकंदरपुर मौजा, बिहटा (पटना) में डीएमआई के स्थायी परिसर हेतु	0.90
30	4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	वित्तीय वर्ष 2019–20 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन हेतु	16.00
31.			वित्तीय वर्ष 2019–20 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन हेतु	1.00
32.			वित्तीय वर्ष 2019–20 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन हेतु	83.00
33.	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	350वें गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर बहुउद्देशीय लाइटनिंग सेंटर एवं पार्कों के निर्माण हेतु	28.73
योग				781.67

(स्रोत: वित्त विभाग, बिहार सरकार के अभिलेख)

## परिशिष्ट—3.12

(संदर्भ: कंडिका 3.5.1)  
अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान संख्या—16)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय
1.	2515—00—198—0215— राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर०जी०एस०ए०)	8.28	54.47	62.75	0.00
2.	2515—00—789—0214— राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर०जी०एस०ए०)	1.59	10.46	12.05	0.00
3.	2515—00—796—0220— राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर०जी०एस०ए०)	0.13	0.84	0.97	0.00
4.	2515—00—198—0113— मुख्यमंत्री निश्चय योजना	1471.85	830.00	2301.85	894.66
5.	2515—00—789—0112— मुख्यमंत्री निश्चय योजना	422.14	160.00	582.14	282.77
6.	2515—00—796—0119— मुख्यमंत्री निश्चय योजना	31.01	10.00	41.01	30.89
7.	2515—00—196—0007— राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान	525.24	104.21	629.45	253.45
8.	2515—00—197—0004— राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान	262.62	7.10	269.72	95.88
9.	2515—00—198—0009— राज्य वित्त आयोग के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान	1796.36	239.59	2035.95	982.12
10.	2515—00—198—0001— पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	6368.25	3.37	6371.62	5678.20
<b>योग</b>		<b>10,887.47</b>	<b>1,420.04</b>	<b>12,307.51</b>	<b>8217.97</b>

(स्रोत: वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

## परिशिष्ट—3.13

(संदर्भ: कंडिका 3.5.1)  
सघन व्यय (अनुदान संख्या—16)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	शीर्ष	आवंटन सं० / दिनांक	आवंटित राशि	2019–20 के दौरान	मार्च 2020 में व्यय	मार्च में व्यय का प्रतिशत
1	2015.00.109.0002. जिला परिषद्/पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों का चुनाव	10/6.6.19	0.64	1.36	0.79	58.08
		11/6.6.19	0.005			
		20/30.7.19	0.10			
		41/4.9.19	0.09			
		42/4.9.19	0.51			
		52/4.10.19	0.43			
		57/21.11.19	0.21			
		63/15.1.20	0.10			
		64/15.1.20	0.10			
		71/6.3.20	0.23			
		72/12.3.20	3.26			
2	2515.अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—00—198—ग्राम पंचायतों को सहायता—0014—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम कचहरी को अंशदान	33/21.08.19	41.93	23.52	15.11	64.24
<b>योग</b>				<b>24.88</b>	<b>15.90</b>	<b>63.90</b>

(झोत: पंचायती राज विभाग, बिहार, विस्तृत विनियोग लेखे और मासिक व्यय प्रतिवेदन से प्राप्त आँकड़े)

## परिशिष्ट—3.14

(संदर्भ: कंडिका 3.5.1)  
व्यय के आँकड़े का असमाशोधन (अनुदान संख्या— 16)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	योजना का नाम	योजना शीर्ष	विभाग द्वारा दर्ज व्यय	महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा दर्ज व्यय	अन्तर
1.	निर्वाचन	2015—निर्वाचन—00—109—पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार—0002—जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव	1.41	1.36	0.05
2.	ग्राम कचहरी के लिए किराया एवं आकस्मिक	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—00—800—अन्य व्यय—0112—ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	4.72	3.41	1.31
3.	पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के कर्मचारियों को भत्ता तथा अन्य	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0103—ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	14.37	12.05	2.32
4.	ग्राम पंचायत के लिए आकस्मिक	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—00—800—अन्य व्यय—0114—ग्राम पंचायत के विभिन्न मदों हेतु	1.05	0.75	0.30
5.	मुखिया/सरपंच/जिला पंचायत का प्रशिक्षण एवं स्थापना	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—00—198—ग्राम पंचायतों को सहायता—0014—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम कचहरी को अंशदान	32.36	23.52	8.84
6.	पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के कर्मचारियों को भत्ता तथा अन्य	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—00—198—ग्राम पंचायतों को सहायता—0105—ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु	72.36	60.79	11.57
7.	पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के कर्मचारियों को भत्ता तथा अन्य	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0106—जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	0.64	0.59	0.05
8.	ग्राम कचहरी/न्यायमित्र/सचिव मानदेय	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—00—198—ग्राम पंचायतों को सहायता—0010—ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	136.59	93.83	42.76
9.	संविदा पर डी०इ०ओ० का प्रशिक्षण	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—00—001—निदेशन तथा प्रशासन—0102—जिला पंचायत की स्थापना	0.06	11.75	11.69
10.	मुखिया/सरपंच/जिला पंचायत का प्रशिक्षण एवं स्थापना	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—00—198—ग्राम पंचायतों को सहायता—0009—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान	990.39	982.12	8.27

क्रम सं०	योजना का नाम	योजना शीर्ष	विभाग द्वारा दर्ज व्यय	महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा दर्ज व्यय	अन्तर
11.	जिला पंचायत स्थापना	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—00—001—निदेशन तथा प्रशासन—0003—जिला पंचायत की स्थापना	157.71	159.64	1.93
12.	5वाँ राज्य वित्त आयोग	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—00—196—जिलों परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता—0007—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान	290.02	253.45	36.57
13.	पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के कर्मचारियों को भत्ता तथा अन्य	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—00—196—जिलों परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता—0106—जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	3.37	3.10	0.27
14.	पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के कर्मचारियों को भत्ता तथा अन्य	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—00—197—ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता—0103—प्रखंड/पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	16.27	13.62	2.65
15.	पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के कर्मचारियों को भत्ता तथा अन्य	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—00—198—ग्राम पंचायतों को सहायता—0106—ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	81.00	58.56	22.44
16.	सात निश्चय	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—00—198—ग्राम पंचायतों को सहायता—0113—मुख्यमंत्री निश्चय योजना	903.56	894.66	8.90
17.	पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के कर्मचारियों को भत्ता तथा अन्य	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0104—ग्राम कचहरी के निर्वाचन प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	17.37	13.10	4.27
18.	पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम कचहरी के कर्मचारियों को भत्ता तथा अन्य	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0105—पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	3.14	2.80	0.34
19.	5वाँ राज्य वित्त आयोग	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—00—197—ब्लॉक/पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता—0004—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान	111.93	95.88	16.05
20.	पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत सरकार भवन	4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—00—101—पंचायती राज—0108—पंचायत सरकार भवन	45.64	45.12	0.52
<b>योग</b>			<b>2,883.96</b>	<b>2,730.13</b>	<b>181.08</b>

(स्रोत: पंचायती राज विभाग, बिहार और विस्तृत विनियोग लेखे से प्राप्त आँकड़े)

## परिशिष्ट—3.15

(संदर्भ: कंडिका 3.5.1)  
लंबित सार आकस्मिक विपत्र (अनुदान संख्या— 16)

(₹ करोड में)

क्रम सं०	वर्ष	आहरित सार आकस्मिक विपत्र	समायोजित सार आकस्मिक विपत्र	लंबित सार आकस्मिक विपत्र
1.	2002-03	4.58	4.41	0.16
2.	2003-04	0.82	0.63	0.19
3.	2004-05	5.39	4.79	0.60
4.	2005-06	19.00	17.98	1.02
5.	2006-07	19.85	17.23	2.62
6.	2007-08	203.82	198.13	5.69
7.	2008-09	175.30	168.34	6.96
8.	2009-10	203.29	190.83	12.46
9.	2010-11	362.20	359.69	2.51
10.	2011-12	116.04	112.17	3.87
11.	2012-13	0.02	0.00	0.02
12.	2013-14	0.17	0.12	0.05
13.	2014-15	4.44	1.29	3.15
14.	2015-16	131.59	93.65	37.94
15.	2016-17	29.27	15.03	14.24
योग		1,275.78	1,184.30	91.48

(स्रोत: पंचायती राज विभाग से प्राप्त आँकड़े)

## परिशिष्ट—3.16

(संदर्भ: कंडिका 3.5.1)  
लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (अनुदान संख्या— 16)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत राशि	समायोजित राशि	उपयोगिता के लिए बकाया (राशि)
1.	2003–04 से 2016–17	25,567.14	17,138.47	8,428.67
2.	2017–18	7,028.64	140.41	6,888.23
3.	2018–19 (31.05.2020 तक)	4,664.32	5.71	4,658.61
<b>योग</b>		<b>37,260.10</b>	<b>17,284.59</b>	<b>19,975.51</b>

(स्रोत: पंचायती राज विभाग से प्राप्त आँकड़े)

## परिशिष्ट—3.17

(संदर्भ: कंडिका 3.5.2)  
अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान संख्या— 51)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	खर्च	बचत
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>						
1.	2235—02—102—0324— किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (एस०ए०बी०ए०एल०ए०) (किशोरी बालिकाओं के लिए योजना)	7.00	1.16	8.16	0.69	7.47
2.	2235—02—103—0225— मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना)	22.13	1.04	23.17	2.42	20.75
3.	2235—02—102—0222— एकीकृत बाल विकास सेवाएँ	854.15	12.25	866.4	740.99	125.41
4.	2235—02—102—0225— राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आई०एस०एस०एन०आई०पी० सहित) योजना	198.17	63.67	261.84	193.39	68.45
5.	2235—03—101—0201— इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	678.55	13.89	692.44	629.74	62.70
6.	2235—03—101—0203— इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	177.84	3.12	180.96	153.12	27.84
7.	2235—03—789—0201— इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	370.00	6.70	376.70	290.00	86.70
	<b>योग</b>	<b>2,307.84</b>	<b>101.83</b>	<b>2,409.67</b>	<b>2,010.35</b>	<b>399.32</b>
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>						
8.	4235—02—102—0208— एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आर०सी०डी०एस०)	30.83	34.18	65.01	9.67	55.34
	<b>योग</b>	<b>30.83</b>	<b>34.18</b>	<b>65.01</b>	<b>9.67</b>	<b>55.34</b>
	<b>महायोग</b>	<b>2,338.67</b>	<b>136.01</b>	<b>2,474.68</b>	<b>2,020.02</b>	<b>454.66</b>

(स्रोत: वर्ष 2019–20 के विनियोग लेखे)

## परिशिष्ट—3.18

(संदर्भ: कंडिका 3.5.2)  
वार्षिक योजना 2019–20 की स्वीकृति, व्यय एवं समर्पण  
(अनुदान संख्या— 51)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	योजना का नाम	परिव्यय (2019–20)	आंतरिक समायोजन के बाद कुल परिव्यय तृतीय आपूर्ति	बजटीय राशि	स्वीकृत राशि	परिव्यय मार्च 2020 में अन्वर्पण	परिव्यय मार्च 2020 के बाद अन्वर्पण	संचयी व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>राज्य योजना</b>									
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	381.00	681.00	681.00	681.00	0.00	681.00	680.68	99.95
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	20.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100.00
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	100.00
4	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	0.00	584.00	584.00	584.00	0.00	584.00	583.75	99.96
5	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	185.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	100.00
6	बिहार विकलांगता पेंशन योजना	250.00	386.00	386.00	386.00	0.00	386.00	386.00	100.00
7	कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना	50.00	35.00	35.00	35.00	0.00	35.00	32.50	92.86
8	मुख्यमंत्री विकलांग सुदृढीकरण योजना (संबल)	5.00	8.50	8.50	8.50	0.00	8.50	8.50	100.00
9	मुख्यमंत्री परिवारिक लाभ योजना	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	3.25	65.00
10	बिहार शताब्दी मजदूर कल्याण योजना	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100.00
11	मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	3.30	33.00
12	वृद्धावस्था भवन (सहारा)	6.00	4.50	4.50	4.50	0.00	4.50	1.85	41.11
13	वृद्धाश्रम निर्माण (डी० ३)	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100.00
14	बिहार एड्स पीडित कल्याण योजना	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	9.50	95.00
15	मुख्यमंत्री विकलांग विवाह अनुदान योजना	1.00	2.50	2.50	2.50	0.00	2.50	2.50	100.00
16	एस०आई०पी०डी०ए०	0.00	1.00	1.00	1.00	0.15	0.85	0.85	100.00
17	एस०आई०पी०डी०ए० (डी० ३)	0.00	5.34	5.34	5.34	0.00	5.34	5.34	100.00
18	क्षतिग्रस्त भवन का मरम्मतिकरण (डी० ३)	0.00	1.15	1.15	1.15	0.01	1.14	1.14	100.00
19	एम०आई०एस०	12.50	16.50	16.50	16.50	0.00	16.50	13.06	79.18
20	आंगनवाड़ी केंद्र में पूर्वस्कूली बच्चों के लिए पोशाक	142.33	155.22	155.22	155.22	0.00	155.22	145.79	93.93

क्रम सं०	योजना का नाम	परिव्यय (2019–20)	आंतरिक समायोजन के बाद कुल परिव्यय, तृतीय आपूर्ति	बजटीय राशि	स्वीकृत राशि	परिव्यय मार्च 2020 में अभ्यर्पण	परिव्यय मार्च 2020 के बाद अभ्यर्पण	संचयी व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	आई०सी०डी०एस०— स्थापना	285.17	299.09	299.09	299.09	2.66	296.43	266.60	89.94
22	महिला विकास निगम	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	4.25	85.00
23	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	91.40	49.79	49.79	49.79	0.00	49.79	40.37	81.08
24	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	62.00	31.98	31.98	31.98	11.52	20.46	20.46	100.00
25	मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना	100.00	43.00	43.00	43.00	0.00	43.00	42.73	99.37
26	बाल अधिकार सुरक्षा हेतु राज्य आयोग	4.30	4.30	4.30	4.30	0.00	4.30	2.28	53.00
27	कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों, अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए विशेष योजना	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	17.00	10.77	63.37
28	प्रदर्शनी/संगोष्ठी और सम्मेलन	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00
29	फील्ड अधिकारियों का प्रशिक्षण	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.10	0.05	45.90
30	भूमि अधिग्रहण	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00
31	परवरिश	19.00	20.46	20.46	20.46	0.00	20.46	20.46	100.00
32	भवन निर्माण (डी-३)	5.00	37.18	37.18	37.18	0.00	37.18	37.18	100.00
33	निःशक्तता आयुक्त कार्यालय की स्थापना	1.00	1.20	1.20	1.20	0.00	1.20	1.00	83.33
योग		1,700.00	2,757.01	2,725.01	2,757.01	14.33	2,742.68	2,666.17	97.21
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं									
केन्द्रांश									
अ									
34	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	1,100.00	951.19	951.19	951.19	0.00	951.19	951.19	100.00
35	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	275.00	203.12	203.12	203.12	0.00	203.12	203.12	100.00
36	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना	50.00	45.70	45.70	45.70	0.00	45.70	45.70	100.00
37	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	75.00	32.97	32.97	32.97	0.00	32.97	4.96	15.04
38	मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय नीति	0.00	1.13	1.13	1.13	0.00	1.13	0.15	12.89
39	वृद्ध नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
40	एस०आई०पी०डी०ए०	18.00	12.99	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00
41	एस०आई०पी०डी०ए० (डी० ३)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
42	आई०सी०डी०एस० (स्थापना, प्रशिक्षण, आई०एस०एस०एन० आई०पी० सहित)	854.16	753.14	753.14	753.14	281.73	471.41	394.37	83.66

क्रम सं०	योजना का नाम	परिव्यय (2019–20)	आंतरिक समायोजन के बाद कुल परिव्यय तृतीय आपूर्ति	बजटीय राशि	स्वीकृत राशि	परिव्यय मार्च 2020 में अभ्यर्पण	परिव्यय मार्च 2020 के बाद अभ्यर्पण	संचयी व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	पोषण	1,279.27	911.23	911.23	911.23	122.97	788.25	573.19	72.72
44	एनएमईडब्ल्यू (आई०जी०एम०एस०वाई०)	29.22	14.17	14.17	14.17	5.32	8.86	8.86	100.00
45	पी०एम०एम०वी०वाई०	22.13	22.13	22.13	22.13	20.44	1.69	1.00	58.89
46	एस०ए०जी० (सबला)	30.19	4.31	4.31	4.31	2.31	2.00	0.16	7.84
47	आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण	53.89	53.89	53.89	53.89	44.23	9.66	5.83	60.30
48	राष्ट्रीय पोषण मिशन (एन०एन०एम०) / आई०एस०एस० एन०आई०पी०	198.17	198.17	198.17	198.17	10.53	187.64	134.34	71.59
49	राष्ट्रीय शिशु गृह योजना	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
50	आई०सी०पी०एस०	80.00	72.00	72.00	72.00	45.00	27.00	14.05	52.05
<b>योग</b>		<b>4,067.63</b>	<b>3,280.72</b>	<b>3,280.72</b>	<b>3,280.72</b>	<b>548.11</b>	<b>2,732.61</b>	<b>2,336.89</b>	<b>85.52</b>
<b>ब</b>	<b>राज्यांश</b>								
51	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	324.00	650.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	100.00
52	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	40.00	66.00	66.00	66.00	0.00	66.00	66.00	100.00
53	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना	7.00	14.00	14.00	14.00	0.00	14.00	14.00	100.00
54	आई०सी०डी०एस० (स्थापना, प्रशिक्षण, आई०एस०एस० एन०आई०पी० सहित)	253.25	474.22	474.22	474.22	9.75	464.48	365.66	78.73
55	पोषण	450.92	1,013.63	1,013.63	1,013.63	0.00	1,013.63	956.66	94.38
56	एनएमईडब्ल्यू (आई०जी०एम०एस०वाई०)	0.00	6.00	6.00	6.00	0.10	5.90	5.90	100.00
57	पी०एम०एम०वी०वाई०	13.17	36.66	36.66	36.66	0.03	36.63	36.11	98.58
58	एस०ए०जी० (सबला)	9.33	0.90	0.90	0.90	0.05	0.85	0.08	9.10
59	आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण	0.00	11.13	11.13	11.13	0.05	11.08	5.69	51.41
60	राष्ट्रीय पोषण मिशन (एन०एन०एम०) / आई०एस०एस० एन०आई०पी०	33.03	51.10	51.10	51.10	0.99	50.11	23.55	47.00
61	राष्ट्रीय शिशु गृह योजना	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	आई०सी०पी०एस०	19.00	29.00	29.00	29.00	0.00	29.00	27.35	94.31
<b>उप योग</b>		<b>1,150.00</b>	<b>2,352.64</b>	<b>2,352.64</b>	<b>2,352.64</b>	<b>10.97</b>	<b>2,341.67</b>	<b>2,151.01</b>	<b>91.86</b>
	<b>योग</b>						<b>7816.96</b>	<b>7154.07</b>	
	<b>ई०ए०पी० को छोड़कर स्वतः अभ्यर्पण</b>						<b>662.89</b>		
	<b>ई०ए०पी०</b>								
63	बी०आई०एस०पी०एस०	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00	26.40	33.00
	<b>उप योग</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>	<b>26.40</b>	<b>33.00</b>
	<b>महा योग</b>	<b>6,997.63</b>	<b>8,470.37</b>	<b>8,470.37</b>	<b>8,470.37</b>	<b>573.41</b>	<b>7,896.96</b>	<b>7,180.47</b>	<b>90.93</b>

(स्रोत: समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े)

## परिशिष्ट—3.19

(संदर्भ: कंडिका 3.5.2)  
लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (अनुदान संख्या— 51)

(₹ करोड में)

समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना (उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतिवेदन)			
वर्ष	स्वीकृत	समायोजन राशि	शेष
2003-04	150.13	69.01	81.12
2004-05	4.21	4.21	0.00
2005-06	3.96	3.66	0.30
2006-07	105.71	95.00	10.71
2007-08	10.00	6.36	3.64
2008-09	4.10	4.10	0.00
2009-10	10.20	10.00	0.20
2010-11	893.38	856.85	36.53
2011-12	1,874.81	1,774.32	100.49
2012-13	1,777.40	1,737.38	40.03
2013-14	2,135.60	2,117.57	18.03
2014-15	3,686.76	3,549.63	137.13
2015-16	3,588.36	3,454.15	134.21
2016-17	4,229.90	3,123.71	1,106.20
2017-18	6,311.46	3,664.00	2,647.46
2018-19	9,113.24	2,870.82	6,242.43
योग	33,899.23	23,340.75	10,558.48

(स्रोत: समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े)

## परिशिष्ट—3.20

(संदर्भ: कंडिका 3.5.2)  
लंबित सार आकस्मिक विपत्रों की स्थिति (अनुदान संख्या— 51)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सार आकस्मिक विपत्रों का आहरण		विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का प्रस्तुतीकरण		लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र	
	तक	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या
2002-2003		1423	33.72	1423	23.40	1423
2003-2004		1300	47.50	1300	41.24	1300
2004-2005		823	67.98	823	57.61	823
2005-2006		398	63.18	398	52.82	398
2006-2007		342	160.92	342	150.93	342
2007-2008		605	166.51	605	157.92	605
2008-2009		1298	60.42	1298	51.62	1298
2009-2010		1854	526.54	1854	516.03	1854
2010-2011		1052	680.04	1052	660.79	1052
2011-2012		2306	443.90	2306	420.91	2306
2012-2013		54	2.64	54	2.03	54
2013-2014		22	0.91	22	0.88	22
2014-2015		14	9.55	14	4.26	14
2015-2016		474	59.52	474	54.23	474
2016-2017		194	15.58	194	9.85	194
2017-2018		11	11.47	11	8.35	11
2018-2019		11	60.22	11	0.73	11
2019-2020		5	2.21	5	0.00	5
<b>महायोग</b>		<b>2,412.82</b>		<b>2,213.62</b>		<b>199.20</b>

(चोत: समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े)

## परिशिष्ट—4.1

**(संदर्भ: कंडिका 4.2; पृष्ठ 83)**  
**अपूर्ण परियोजनाओं पर लंबित भुगतान**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	परियोजना / कार्यों का नाम	कार्य की अनुमानित लागत / स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	लक्ष्य पूरा होने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो / पुनरीक्षण की तिथि#	मुद्रास्फीति के रूप में समायोजित शेष कार्य की लागत
1.	नवादा जिले में पचराहा शिवनारायण बीघा आहर/पाइन सिंचाई प्रणाली का नवीनीकरण	338.45	2018-19	2019-20	62	118.97	152.81	185.64	**	**
2.	जहानाबाद जिले में मंडई वियर, एफलक्स बाँध, गाझड बाँध हेड रेगुलेटर इसकी वितरण प्रणाली के निर्माण के लिए अवशिष्ट कार्य	23,283.82	2017-18	2019-20	28	285.00	3,010.37	8,244.32	**	**
3.	औरंगाबाद जिले में जगरनाथ मेन पाइन और इसकी प्रणाली तेतरिया और कंचनपुर पाइन का नवीनीकरण	393.57	2018-19	2019-20	44	190.30	190.30	152.07	**	**
4.	गया जिले में बेलनागिनिया आहर/पाइन का जीर्णोद्धार	592.68	2018-19	2019-20	62	230.13	289.25	303.43	**	**
5.	गया जिले में सॉडिहा आंटी का जीर्णोद्धार	502.81	2019-20	2019-20	86	124.3	124.3	378.5	**	**
6.	गया जिले में रूपसुपुर पाली आहर/पाइन का जीर्णोद्धार	367.07	2019-20	2019-20	72	1.70	1.70	365.37	**	**
7.	गया जिले में खतनाही पोखर का जीर्णोद्धार	139.57	2019-20	2019-20	80	0.000	0.000	139.57	**	**
8.	पटना जिले में बम्बनलाई आहर/पाइन योजना का जीर्णोद्धार एवं पुनरस्थापना	119.39	2019-20	2019-20	70	**	**	109.78	**	109.78
9.	पटना जिले में नवी आहर पाइन योजना का नवीनीकरण	273.41	2019-20	2019-20	75	12.47	12.47	238.96	**	238.96
10.	पटना जिले में तिसखोरा आहर/पाइन योजना का नवीनीकरण	426.16	2019-20	2019-20	70	**	**	391.70	**	391.7
11.	पटना जिले में नानौरी आहर/पाइन योजना का जीर्णोद्धार एवं पुनरस्थापना	250.33	2019-20	2019-20	70	12.83	12.83	217.79	**	217.79
12.	पटना जिले में दौलतपुर सिमरी तालाब योजना का नवीनीकरण	103.79	2019-20	2019-20	70	**	**	94.96	**	94.97
13.	पटना जिले में नाहरपुर (निसारपुरा) कुरकुरी आहर/पाइन योजना का नवीनीकरण	109.09	2019-20	2019-20	85	**	**	100.24	**	100.24
14.	पटना जिले में फतेहपुर करहा आहर योजना का नवीनीकरण	112.91	2019-20	2019-20	70	**	**	97.31	**	97.31

क्रम सं०	परियोजना / कार्यों का नाम	कार्य की अनुमानित लागत / स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	लक्ष्य पूरा होने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो / पुनरीक्षण की तिथि#	मुद्रास्फीति के रूप में समायोजित शेष कार्य की लागत
15.	पटना जिले में बरनी आहर / पाइन योजना का नवीनीकरण	109.53	2019-20	2019-20	50	**	**	100.59	**	100.59
16.	पटना जिले में नेतर आहर / पाइन योजना का नवीनीकरण	229.31	2019-20	2019-20	85	56.29	56.29	154.68	**	154.68
17.	पटना जिले में बड़ा आहर / पाइन योजना का नवीनीकरण	137.87	2019-20	2019-20	60	**	**	125.85	**	125.85
18.	पटना जिले में देवड़ा आहर / पाइन योजना का नवीनीकरण	130.36	2019-20	2019-20	70	22.71	22.71	96.34	**	96.34
19.	पटना जिले में देवकुली आहर / पाइन योजना का नवीनीकरण	271.95	2019-20	2019-20	70	40.33	40.33	209.58	0.00	209.58
20.	पटना जिले में बहुआरा आहर / पाइन योजना का नवीनीकरण	152.83	2019-20	2019-20	80	37.4	37.4	101.85	0.00	101..85
21.	पटना जिले में बकरपुर आहर / पाइन योजना का नवीनीकरण	430.15	2019-20	2019-20	70	19.63	19.63	375.70	0.00	375.70
22.	सासाराम जिले में कावन वीयर का जीर्णोद्धार	1790	2017-18	2019-20	82	1,053.88	412.08	412.08	**	**
23.	सासाराम जिला के सोन बैराज अंचल, डेहरी में सोन पश्चिमी लिंक नहर का जीर्णोद्धार एवं लाइनिंग कार्य	149	2017-18	2019-20	66	33.15	144.25	84.75	229.00 dt.27/02/19	**
24.	सूरजगढ़ा प्रखण्ड, लखीसराय जिला की सूरजगढ़ा पंप नहर योजना का नवीनीकरण	1218	2018-19	2019-20	75	1,060.22	1,260.22	356.63	399.07 dt.20/09/19	**
25.	लखीसराय जिले के सूरजगढ़ा प्रखण्ड के ग्राम पंचायत सलेमपुर पूर्व, सलेमपुर पश्चिम, गोपालपुर एवं जकरपुरा के अंतर्गत सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सलेमपुर खरनपुर पाइन के जीर्णोद्धार का निर्माण	1390	2018-19	2019-20	80	770.80	870.80	565.83	47.08 dt.20/09/19	**
26.	गया में राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन का कार्य	873.00	2018-19	2019-20	27	**	236.20	636.80	**	**
27.	जिला परिवहन कार्यालय निर्माण कार्य, मधेपुरा	131.83	2018-19	2019-20	49	19.31	63.96	32.13	**	**
28.	जिला आपूर्ति श्रृंखला भवन का निर्माण मधेपुरा	113.22	2019-20	2019-20	28	31.31	31.31	81.92	**	**
29.	पटना उच्च न्यायालय के परिसर विस्तार के लिए विकास, भूनिर्माण, बागवानी और कनेक्टिंग ब्रिज कार्य	1,320.78	2019-20	2019-20	71	943.44	943.44	377.34	**	**

क्रम सं०	परियोजना / कार्यों का नाम	कार्य की अनुमानित लागत / स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	लक्ष्य पूरा होने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो / पुनरीक्षण की तिथि#	मुद्रास्फीति के रूप में समायोजित शेष कार्य की लागत
30.	42, हार्डिंग रोड, पटना में वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के आवास में बाउंस्री वॉल, मेन गेट गार्ड रुम के साथ निर्माण कार्य	136.81	2019-20	2019-20	37	50.00	50.00	86.81	**	**
31.	चौथम, खगड़िया में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र भवन का निर्माण	740.79	2017-18	2019-20	79	4.68	4.68	1.24	**	**
32.	औरंगाबाद के केरोप और दहाजी में पंचायत सरकारी भवन का निर्माण	255.3	2018-19	2019-20	70	16.35	156.41	89.82	**	**
33.	पटना में (i) ब्लॉक धनरुआ में कोसुत पंचायत और (ii) ब्लॉक धनरुआ में विजयपुरा पंचायत में पंचायत सरकारी भवन का निर्माण	280.66	2018-19	2019-20	51	51.24	103.02	177.63	**	**
34.	पटना में ब्लॉक दानापुर, (विश्व बैंक समर्थित) में सरकार पंचायत में पंचायत सरकारी भवन का निर्माण	129.87	2018-19	2019-20	58	47.32	75.57	54.30	**	**
35.	रोहतास सासाराम के पंचायत अकोडी गोला, में सरकारी पंचायत भवन का निर्माण	144	2018-19	2019-20	30	43.92	43.92	100.07	**	**
36.	प्रखंड रोहतास में रोहतास गढ़ पंचायत का निर्माण	144	2018-19	2019-20	30	44.43	44.43	99.57	**	**
37.	पंचायत सरकारी भवन (i) यदुनाथपुर पंचायत प्रखंड नौहटा, सासाराम, रोहतास में निर्माण	144	2018-19	2019-20	25	32.63	32.63	111.3	**	**
38.	सीतामढी के ब्लॉक बैरगनिया के मड़पा ताहिद पंचायत पथाही में कब्रिस्तान और चारदीवारी निर्माण कार्य	107.94	2019-20	2019-20	70	74.36	74.36	3.32	**	**
39.	समस्तीपुर में वर्ष 2018–2019 के एस0बी0डी0 के अंतर्गत मोतीपुर चौक–भेरोखेड़ा–इमली चौक–सिलौत–गंडक बाँध का 0.00 में 13.600 किमी में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	1,873.38	2018-19	2019-20	38	72.36	713.72	1,159.65	**	**
40.	समस्तीपुर में वर्ष 2018–2019 के एस0बी0डी0 के तहत पटेल चौक एनएच–103 से बसरिया एनएच–28 का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	1,251.63	2018-19	2019-20	59	93.93	742.90	508.72	**	**

क्रम सं०	परियोजना / कार्यों का नाम	कार्य की अनुमानित लागत / स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	लक्ष्य पूरा होने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो / पुनरीक्षण की तिथि#	मुद्रास्फीति के रूप में समायोजित शेष कार्य की लागत
41.	मुंगेर में वर्ष 2018–19 के लिए कुल 4.18 किमी में, कोतवाली चौक – शास्त्री चौक – मंगल बाजार – सुभाष चौक – नया गांव – आईटीसी मजदूर गेट – काला पत्थर चौक रोड, (सीएच 0 – 4.18) के नाले, हार्ड शोल्डरिंग एवं सीडी0 कार्य के साथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	1,064.00	2018-19	2019-20	85	747.30	900.80	163.19	**	**
42.	मुंगेर में वर्ष 2018–19 के लिए लल्लू पोखर तिनबटिया – भगत सिंह चौक – कोतवाली चौक शिवाला – साउथ विवल गेट मुंगेर रोड (सी0एच0 0 – 3.90) कुल 3.90 किमी का नाला, हार्ड शोल्डरिंग और सीडी वर्क के साथ चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	870	2018-19	2019-20	84	616.90	737.87	132.13	**	**
43.	मुंगेर में वर्ष 2018–19 के लिए कुल 3.84 किमी में उत्तर किला गेट – लॉ कॉलेज – आईटीसी पार्क – पूरब सराय – मुंगेर बरियाएपुर लिंक रोड (सी0एच0 0 – 3.84) का नाला, हार्ड शोल्डर सीडी वर्क के साथ चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	594.54	2018-19	2019-20	80	451.17	479.05	115.49	**	
44.	मुंगेर में वर्ष 2018–19 के लिए कुल 2.00 किमी में चुआ बाग महावीर मंदिर – कासिम बाजार – खोजा बाजार – बिंदवाड़ा मोड़ (मुंगेर – जमालपुर रोड) (सीएच 0 – 2.00) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण नाली, हार्ड शोल्डर एवं सीडी के साथ	498.82	2019-20	2019-20	45	224.03	224.03	274.79	**	**
45.	अररिया में वर्ष 2017–2018 के लिए पलासी रा.रा. 57 से जुम्मन चौक फोरबिसगंज तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	1,031.65	2018-19	2019-20	43	301.76	444.3	587.35	**	**

क्रम सं०	परियोजना / कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत / स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	लक्ष्य पूरा होने का वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, यदि कोई हो / पुनरीक्षण की तिथि#	मुद्रास्फीति के रूप में समायोजित शेष कार्य की लागत
46.	अररिया में वर्ष 2017 – 2018 के लिए चांदनी चौक से गाँधी चौक तक सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	2,263.37	2018-19	2019-20	41	945.48	945.48	1317.89	**	**
47.	गोपालगंज में वर्ष 2017–2018 के लिए कटेया बाजार के माध्यम से भगपट्टी–समौर बनकाटा के रखरखाव कार्य के साथ चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण 0.00 से 7.705 किमी	2,077.00	2018-19	2019-20	31	26.62	641.38	1435.62	**	**
48.	भामुआ में रामगढ़ से बरोरा रोड कि०मी० ० से 7.255 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	1,706.61	2018-19	2019-20	82	0	1,402.41	304.2	**	**
49.	एम०एम०जी०एस०वाय० बंकाटिया से लोहाटी टोला तक पथ निर्माण कार्य	121.23	2018-19	2019-20	47	57.72	57.72	63.51	**	**
	योग							<b>12380.43 (123.80 करोड़)</b>		

\*\*संबंधित प्रभागों/राज्य सरकार द्वारा विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।  
(स्रोत: वित्त लेखे 2019–20)

## परिशिष्ट—4.2

(संदर्भ: कंडिका 4.10)

लघु शीर्ष—800—‘अन्य व्यय’ का परिचालन  
(संबंधित शीर्ष के अंतर्गत 10 प्रतिशत से अधिक वाले मामले)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	कुल व्ययों में से लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय की प्रतिशतता
1	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	23.05	21.25	92.21
2	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	619.15	216.42	34.95
3	6004	केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम	2245.67	390.77	17.4

(चोत: वित्त लेखे 2019–20)

## परिशिष्ट—4.3

(संदर्भ: कंडिका 4.10)

**लघु शीर्ष 800—‘अन्य प्राप्तियाँ’ का परिचालन**  
(संबंधित शीर्ष के अन्तर्गत 10 प्रतिशत से अधिक वाले मामले)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों में से लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत हुए प्राप्तियों की प्रतिशतता
1	0029	भू—राजस्व	275.28	104.88	38.1
2	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	1416.48	478.1	33.75
3	0059	लोक निर्माण	8.6	5.8	67.44
4	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	137.39	126.42	92.02
5	0202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	17.13	4.88	28.49
6	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	47.54	26.53	55.81
7	0220	सूचना एवं प्रसार	0.24	0.07	29.17
8	0230	श्रम एवं रोजगार	11.28	7.76	68.79
9	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.17	0.17	100
10	0401	फसल कृषि कर्म	13.12	5.97	45.5
11	0403	पशुपालन	0.7	0.21	30
12	0404	डेयरी विकास	0.02	0.02	100
13	0405	मत्स्य	14.28	1.5	10.5
14	0406	वानिकी और वन्य प्राणी	20.33	2.3	11.31
15	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	24.96	7.14	28.61
16	0702	लघु सिंचाई	17.69	10.9	61.62
17	0851	ग्राम एवं लघु उद्योग	0.08	0.08	100
18	0852	उद्योग	14.64	14.63	99.93
19	1053	नागरिक उड्डयन	1.95	1.58	81.03
20	1056	अंतर्देशीय जल परिवहन	0.01	0.01	100
21	1456	सिविल आपूर्ति	0.02	0.02	100

(स्रोत: वित्त लेखे 2019–20)

## परिशिष्ट—4.4

(संदर्भ: कंडिका 4.15)

**निकायों या प्राधिकरणों की सूची, जिन्होंने सी0ए0जी0 को लेखाओं की लेखापरीक्षा नहीं सौंपी है**

क्रम संख्या	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	जिला
1	शिक्षा	सिमुलतल्ला शिक्षण संस्थान	जमुई
2	शिक्षा	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद	पटना
3	शिक्षा	एल0एन0मिश्रा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान	पटना
4	शिक्षा	ए0एन0सिन्हा समाजिक शिक्षण संस्थान	पटना
5	शिक्षा	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (एस0एस0)	पटना
6	शिक्षा	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति	पटना
7	शिक्षा	टी0एम0 विश्वविद्यालय	भागलपुर
8	शिक्षा	वीर कुँअर सिंह विश्वविद्यालय	भोजपुर
9	शिक्षा	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	दरभंगा
10	शिक्षा	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	दरभंगा
11	शिक्षा	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया	गया
12	शिक्षा	भूपेन्द्र नारायण मंडल, विश्वविद्यालय	मधेपुरा
13	शिक्षा	बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
14	शिक्षा	पटना विश्वविद्यालय	पटना
15	शिक्षा	आर्यभट्ट विश्वविद्यालय	पटना
16	शिक्षा	जय प्रकाश विश्वविद्यालय	सारण
17	स्वास्थ्य	इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान	पटना
18	स्वास्थ्य	बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति	पटना
19	स्वास्थ्य	बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा बोर्ड	पटना
20	स्वास्थ्य	बिहार नर्स पंजीकरण परिषद, पटना	पटना
21	स्वास्थ्य	बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड	पटना
22	श्रम संसाधन	बिहार भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	पटना
23	अल्पसंख्यक कल्याण	बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड	पटना
24	अल्पसंख्यक कल्याण	सैयद शहीद सफेदार पीर	पटना
25	अल्पसंख्यक कल्याण	बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड	पटना
26	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	पटना
27	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण	बिहार महादलित विकास मिशन	पटना
28	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण	राज्य महादलित आयोग	पटना
29	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण	राज्य अनुसूचित जाति आयोग	पटना
30	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण	राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग	पटना
31	समाजिक कल्याण	महिला विकास निगम	पटना
32	समाजिक कल्याण	राज्य महिला आयोग	पटना
33	समाजिक कल्याण	बिहार राज्य समाजिक कल्याण बोर्ड	पटना
34	समाजिक कल्याण	बिहार बाल अधिकार सुरक्षा आयोग	पटना
35	आपदा प्रबंधन	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	पटना
36	उद्योग	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	पटना
37	उद्योग	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण	पटना
38	उद्योग	आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण	पटना
39	उर्जा	बिहार नवीनीकरण ऊर्जा विभाग अभिकरण (बी0आर0ई0डी0ए0)	पटना
40	जल संसाधन	जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान	पटना
41	नगर विकास एवं आवास विभाग	बिहार राज्य आवास बोर्ड	पटना

(स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा संकलित आँकड़े)

## परिशिष्ट—4.5

(संदर्भ: कंडिका 4.16)

30/09/2020 को सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के बकाए लेखे, बिहार सरकार

क्रम सं०	सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र का नाम	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया हैं	बकाए लेखाओं की संख्या
<b>अ. कार्यशील कम्पनियाँ</b>			
<b>5 वर्ष से कम</b>			
1	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2018–19 से 2019–20	2
2	बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड	2018–19 से 2019–20	2
3	बिहार स्टेट पावर ट्रॉसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2019–20	1
4	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2018–19 से 2019–20	2
5	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2019–20	1
6	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2019–20	1
7	बिहारशीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018–19 से 2019–20	2
8	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2017–18 से 2019–20	3
9	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	2019–20	1
10	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2017–18 से 2019–20	3
11	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2018–19 से 2019–20	2
12	बिहार राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड	2017–18 से 2019–20	3
13	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2018–19 से 2019–20	2
14	बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड	2019–20	1
15	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2018–19 से 2019–20	2
16	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2019–20	1
17	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016–17 से 2019–20	4
18	पीरपेंती बिजली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	2017–18 से 2019–20	3
19	लखीसराय बिजली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	2017–18 से 2019–20	3
20	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	2019–20	1
21	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019–20	1
22	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018–19 से 2019–20	2
23	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	2019–20	1
24	बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड	2017–18 से 2019–20	3
<b>योग</b>			<b>47</b>
<b>5 से 10 वर्ष</b>			
1	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2012–13 से 2019–20	8
2	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	2013–14 से 2019–20	7
3	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	2014–15 से 2019–20	6
4	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015–16 से 2019–20	5
5	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2015–16 से 2019–20	5
6	बिहार राज्य साख एवं विनिवेश निगम लिमिटेड	2015–16 से 2019–20	5
<b>योग</b>			<b>36</b>
<b>10 वर्ष से अधिक</b>			
1	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2005–06 से 2019–20	15

क्रम सं०	सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र का नाम	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया हैं	बकाए लेखाओं की संख्या
2	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2003–04 से 2019–20	17
3	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1998–99 से 2019–20	22
	योग		54
	योग (अ)		137
<b>ब. सांविधिक निगम (कार्यशील)</b>			
<b>5 वर्ष से कम</b>			
1	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2019–20	1
	योग		1
<b>5 से 10 वर्ष</b>			
1	बिहार राज्य भंडारण निगम	2015–16 से 2019–20	5
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2015–16 से 2019–20	5
	योग (ब)		11
<b>स. अकार्यशील कंपनियां (समापन की प्रक्रिया से अलग)</b>			
<b>5 वर्ष से कम</b>			
1	बिहार राज्य एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2019–20	1
	योग		1
<b>5 से 10 वर्ष</b>			
1	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	2015–16 से 2019–20	5
2	स्काडा एग्रो बिजनेस निगम लिमिटेड	2015–16 से 2019–20	5
	योग		10
<b>10 वर्ष से अधिक</b>			
1	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1986–87 से 2019–20	34
2	बिहार रस्कूटर्स लिमिटेड	1977–78 से 2019–20	43
3	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	1987–88 से 2019–20	33
4	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1988–89 से 2019–20	32
5	बिहार मक्का उत्पाद लिमिटेड	1984–85 से 2019–20	36
6	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाइल्स एंड सेरामिक्स लिमिटेड	1986–87 से 2019–20	34
7	विश्वामित्र कागज उद्योग लिमिटेड	1985–86 से 2019–20	35
8	बिहार ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	1986–87 से 2019–20	34
9	झांझारपुर कागज उद्योग लिमिटेड	1986–87 से 2019–20	34
10	सिंथेटिक रेजिन (पूर्वी) लिमिटेड	1984–85 से 2019–20	36
11	बेलट्रॉन वीडियो सिस्टम लिमिटेड	1990–91 से 2019–20	30
12	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	1991–92 से 2019–20	29
13	भवानी एकिट्व कार्बन लिमिटेड	1986–87 से 2019–20	34
14	मगध मिनरल्स लिमिटेड	1984–85 से 2019–20	36
15	बेलट्रॉन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड	1988–89 से 2019–20	32
16	बिहार स्टेट टैनिन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	1989–90 से 2019–20	31
17	बिहार स्टेट सॉल्वेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड	1987–88 से 2019–20	33
18	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	2003–04 से 2019–20	17
19	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1983–84 से 2019–20	37
20	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1985–86 से 2019–20	35
21	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1985–86 से 2019–20	35
22	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1979–80 से 2019–20	41

क्रम सं०	सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र का नाम	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया हैं	बकाए लेखाओं की संख्या
23	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	1981–82 से 2019–20	39
24	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1984–85 से 2019–20	36
25	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड	1986–87 से 2019–20	34
26	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी, डेहरी लिमिटेड	1993–94 से 2019–20	27
27	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी, औरंगाबाद लिमिटेड	1993–94 से 2019–20	27
28	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी, मोहनिया लिमिटेड	1993–94 से 2019–20	27
29	स्काडा एग्रो वानिकी कंपनी खगौल लिमिटेड	1993–94 से 2019–20	27
30	बिहार राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड	1998–99 से 2019–20	22
31	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1993–94 से 2019–20	27
32	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2001–02 से 2019–20	19
33	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2001–02 से 2019–20	19
34	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2009–10 से 2019–20	11
योग			<b>1056</b>
कुल योग (स)			<b>1067</b>
महायोग (आ+ब+स)			<b>1215</b>

## अकार्यशील कंपनियाँ जो परिसमापन के अधीन हैं

क्रम सं०	सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र का नाम	स्थिति
1	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
2	बिहार फिनिशड लेदर लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
3	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
4	कुमारधुबी मेटल कार्सिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
5	बिहार राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत

(चेता: वित्त लेखे 2019–20 और लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा संकलित आँकड़े)

## परिशास्त-4.6

उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को वित्तीय सहायता जिनके लेखे 2019–20 तक बकाया है  
(संदर्भ: कांडिका 4.16; पृष्ठ 99)

क्रम सं०	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	वर्ष के दोरान राज्य सरकार द्वारा इकिवटी, ऋण, सब्सिडी और प्रत्याहृति जिनके लेखे बकाया हैं (₹ करोड़ में)				
		इकिवटी	ऋण	प्रत्याहृति	पूँजी	सब्सिडी
अ. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ		अनुदान				
1.	बिहार राज्य शैक्षणिक वित्तीय निगम लिमिटेड	0.00	598.00	0.00	5.00	0.00
2.	पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	113.60	0.00	0.00	0.00	603.00
3.	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.00	113.60
4.	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.00	110.05
5.	बिहार राज्य खनन निगम	20.00	0.00	0.00	0.00	0.05
6.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं चित्र निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
7.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	5.23	0.00
8.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	9.90	0.00	0.00	0.00	9.90
9.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	120.91	7.00	1.13	165.00	0.00
10.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	0.00	2.28	0.00	105.39	8.66
11.	बिहार राज्य खाद्य एवं असेन्टिक अपूर्ति निगम लिमिटेड	1,114.81	1,861.33	0.00	6,283.07	9,259.21
12.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	20.74	7.49	15.39	0.00	43.62
13.	बिहार राज्य जल विद्युत पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	40.26	243.34	0.00	283.60
14.	बिहार राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	964.03	0.00	964.03
15.	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	2,381.52	0.00	2,381.52
16.	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	2,198.42	0.00	2,198.42
	योग अ	285.25	1,769.84	7,665.16	393.07	6,291.73
						16,405.05
ब. कार्यशील साधिक निगम						95
1.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	0.00	318.24	0.00	157.03	899.81
2.	बिहार राज्य भूज्ञाल निगम लिमिटेड	0.00	0.00	149.11	0.00	149.11
	योग अ	0.00	318.24	149.11	157.03	899.81
						1,524.19
						10

क्रम सं०	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा इविवटी, ऋण, सम्पत्ति और प्रत्याभूति जिनके लेखे बकाया हैं						
		इक्विटी	ऋण	प्रत्याभूतियाँ	पूँजी	सबिसडी	कुल	वर्ष जबसे लेखे बकाया हैं लेखों की संख्या
स. अकार्यशील सरकारी कंपनियाँ								
1.	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2015-16 5
2.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2009-10 11
3.	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28	2003-04 17
4.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	2001-02 19	
5.	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12	2001-02 19
6.	बिहार राज्य मर्त्य विकास निगम लिमिटेड	1.25	5.63	0.00	0.26	0.00	7.14	1993-94 27
7.	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	0.00	2.21	0.00	0.00	0.08	2.29	1992-93 28
8.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0.00	1.66	0.00	0.00	2.47	4.13	1991-92 29
9.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	5.80	2.74	0.00	0.00	0.00	8.54	1988-89 32
10.	बिहार स्टेट फार्मास्ट्रिकल्स एंड कोमिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।	12.92	6.30	0.00	0.00	0.00	19.22	1986-87 34
11.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	11.21	365.32	0.00	0.00	197.93	574.46	1985-86 35
12.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	3.72	0.25	0.00	0.00	0.48	4.45	1984-85 36
13.	बिहार हिल एसिया लिपट सिंचाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5.22	18.78	0.00	0.00	55.41	79.41	1983-84 37
14.	बिहार राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम लिमिटेड	12.26	43.18	0.00	0.00	0.00	55.44	1983-84 37
15.	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	5.00	154.33	0.00	0.00	0.00	159.33	1979-80 41
16.	बिहार स्कूलर लिमिटेड	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	6.09	1977-78 43
<b>योग (₹)</b>		<b>57.38</b>	<b>617.89</b>	<b>0.00</b>	<b>11.26</b>	<b>256.37</b>	<b>942.90</b>	<b>450</b>
<b>योग (आ+ब+स)</b>		<b>342.63</b>	<b>2,705.97</b>	<b>7,814.27</b>	<b>561.36</b>	<b>7,447.91</b>	<b>18,872.14</b>	<b>555</b>

(चोत: लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा संकलित आँकड़े)

## परिशिष्ट—4.7

(संदर्भ: कंडिका 4.16)  
घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / निगमों की सूची


(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विभाग का नाम	निवल मूल्य (-)
1	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	54.74
2	बिहार राज्य साख एवं विनिवेश निगम लिमिटेड	152.66
3	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	0.77
4	बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	74.76
5	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	110.36
6	बिहार राज्य वित्तीय निगम	434.01
7	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1523.59
8	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	0.17
9	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड	1.73
10	बिहार राज्य डेयरी निगम लिमिटेड	3.85
11	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	173.19
12	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	5.91
13	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	0.46
14	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	9.38
15	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	119.74
16	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	20.51
17	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड	5.99
18	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	62.34
19	बिहार स्टेट ग्लेज़ टाइल्स एंड सेरामिक्स लिमिटेड	0.35
20	बिहार राज्य फिनिशेड लेदर निगम लिमिटेड	0.66

(स्रोत: लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा संकलित आँकड़े)



## संकेताक्षरों की शब्दावली



## संकेताक्षरों की शब्दावली

क्रम सं०	संकेताक्षर	पूर्ण विस्तार
1	ल० एवं हक०	लेखा एवं हकदारी
2	ए सी	सार आक्रिमिक
3	ए ई	संचयी व्यय
4	ए जी	महालेखाकार
5	बी बी एम	बिहार बजट हस्तक
6	बी ई	बजट अनुमान
7	बी एफ आर	बिहार वित्तीय नियम
8	बी एफ आर बी एम	बिहार राजकोपीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन
9	बी ओ सी डब्लू	भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण
10	बी टी सी	बिहार कोषागार संहिता
11	सी ए जी	नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
12	सी ए जी आर	चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर
13	सी ई	पूँजीगत व्यय
14	डी सी	विस्तृत आक्रिमिक
15	डी डी ओ	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
16	डी ई	विकास व्यय
17	डीस्कॉम	वितरण कम्पनी
18	ई एस	आर्थिक सेवाएँ
19	एफ सी	वित्त आयोग
20	जी डी पी	सकल घरेलू उत्पाद
21	जी आई ए	सहायता अनुदान
22	जी ओ बी	बिहार सरकार
23	जी ओ आई	भारत सरकार
24	जी एस	सामान्य सेवाएँ
25	जी एस डी पी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
26	एस जी एस टी	राज्य वस्तु सेवा कर
27	एन पी आर ई	गैर-योजना राजस्व व्यय
28	एन पी एस	राष्ट्रीय पेंशन योजना
29	एन एस डी एल	नेशनल सिक्योरिटिज डिपॉजिटरी लिमिटेड
30	एन एस एस एफ	राष्ट्रीय लघु बचत निधि
31	एन टी आर	करेतार राजस्व
32	पी ए सी	लोक लेखा समिति
33	पी डी	व्यवितगत जमा
34	पी एफ	भविष्य निधि
35	पी एस यू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
36	आर बी आई	भारतीय रिजर्व बैंक
37	आर ई	राजस्व व्यय
38	आर आर	राजस्व प्राप्तियाँ
39	एस डी आर एफ	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष
40	एस — डब्लू	वेतन एवं मजदूरी
41	एस एल आर	सांविधिक तरलता अनुपात
42	एस एस	सामाजिक सेवाएँ
43	एफ एफ सी (XIV)	चौदवाँ वित्त आयोग
44	यू सी	उपयोगिता प्रमाण—पत्र
45	उदय	उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना
46	भी ए टी	मूल्य वर्धित कर
47	भी एल सी	अभिश्रव स्तर का कम्प्यूटरीकरण

